चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

शहर इंसानों के लायक़ नहीं रहे

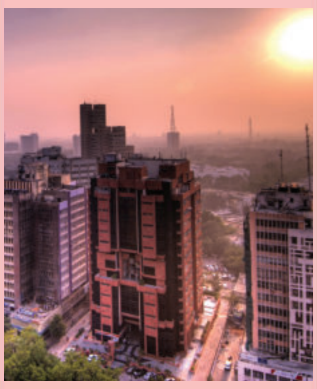

पेज-4

सरकार प्रॉपर्टी डीलर बन गई है

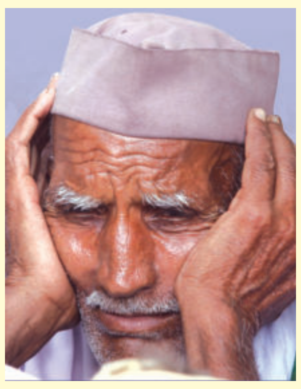

पेज-5

विकास के वादे कहां गए

पेज-6

जिधर देखो उधर मिलावट

पेज-7

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 13 सितंबर–19 सितंबर 2010

कैसे कैसे जज

न्यायाधीश सरकारी ख़ज़ाने को लूटते रहे, अपने और घरवालों के महंगे शौक़ पूरे करते रहे. और जब बात खुली तो इस लूट के राज़दार की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो जाती है. अब सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या सीबीआई की जांच पर भरोसा है? अगर नहीं तो क्या वह कोई न्यायिक जांच बैठाएंगे और अगर भरोसा है तो इसकी कार्रवाई इतनी तेज़ी से हो, जिससे देश की जनता को लगे कि न्यायपालिका न्याय के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रभात रंजन दीन

जज कोर्ट की कुर्सी, मेजें, पंखे, कूलर, बल्ब सब बेचकर खा गए...एक दो जज नहीं, बल्कि जजों की पूरी टोली, जिन्होंने मामूली कर्मचारियों के पीएफ एकाउंट से जालसाज़ी कर निकाले गए करोड़ों रुपयों से अपने घरों के लिए सामान ख़रीदा, एसी-कूलर लगवाए, टैक्सियों पर पैसे फूंके, बच्चों की फीस भरवाई, हवाई जहाज के टिकट कटवाए और तमाम अय्याशियां कीं, घर के लिए सब्जियां तक ख़रीदवाईं... इसके अलावा कोर्ट की ख़रीदारी के नाम पर भी करोड़ों रुपये खा गए. यह उन लोगों के भ्रष्टाचार की निकृष्ट हरकतें हैं, जो देश की न्यायिक व्यवस्था चलाते हैं. जी हां, संदर्भ ग़ाज़ियाबाद के पीएफ घोटाले का है. देश में जैसा अन्य घोटालों का हुआ, वैसा ही हश्र पीएफ घोटाले का भी होगा. यहां घोटाला उजागर होता है तो जांच होती है और जांच होती है तो उसमें कुछ ख़ास नहीं पाया जाता. ख़ास उनके साथ होता है, जिनका भविष्य खा लिया जाता है और ख़ास उसके लिए होता है, जो जजों के साथ मिलीभगत कर उन्हें ऐश कराने के लिए घोटाला कर सरकारी कोषागार से पैसे निकालता है, पकड़ा जाता है और जेल में ही मार डाला जाता है.

आप याद करें, अरबों रुपये के शेयर घोटाले में गिरफ़्तार हर्षद मेहता भी जेल में ऐसी ही संदेहास्पद स्थितियों में मौत का शिकार बना था और शेयर घोटाला न्यायिक व्यवस्था की अंधी सुरंग जैसे पेट में ग़ायब हो गया. भारत के लोगों को ऐसे ही न्याय मिलता है. जजों ने कर्मचारियों की भविष्य निधि के करोड़ों रुपये डकार लिए. मामला सीबीआई की जांच तक पहुंचा. जांच के बाद सीबीआई की चार्जशीट पर जब सुनवाई शुरू हुई, तब मीडिया का ध्यान फिर से पीएफ घोटाले की तरफ़ गया. सीबीआई को कुछ जजों के ख़िलाफ़ सबूत मिला तो कुछ के ख़िलाफ़ नहीं मिला. सीबीआई का हाल सब जानते हैं. देश के सारे संवेदनशील मामलों की ऐसी-तैसी करने के लिए ही अब सीबीआई को बीच में लाया जाता है. आज तक किसी भी महत्वपूर्ण मामले में सीबीआई किसी नतीजे तक नहीं पहुंची. पहले सीबीआई राजनीतिक इस्तेमाल के दबाव में काम करती थी. अब सीबीआई ख़ुद सियासी धार देख कर अपना तेल बहाती है. सीबीआई ने पीएफ घोटाला मामले में जब चार्जशीट दाख़िल की तो उसमें उस व्यक्ति की आरोपित हत्या का ज़िक्र नहीं था, जिसका इक़बालिया बयान सीबीआई जांच का आधार बना. जिस मुख्य अभियुक्त की गिरफ़्तारी से देश के सामने पीएफ घोटाला ब्यौरेवार उजागर हो सका, उसे सुनियोजित तरीक़े से रास्ते से हटा दिया गया, इस पर सीबीआई ने ध्यान क्यों नहीं दिया? मुख्य अभियुक्त के रास्ते से हटने से कितने जज बेलाग बच गए? या मुख्य अभियुक्त के ज़िंदा रहने से कितने जजों के ख़िलाफ़ और कच्चा चिट्ठा मिलता? ये सवाल सामने हैं, पर देश के लोग इन सवालों का जवाब जानते हैं. मीडिया ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया.

बहरहाल, इसी न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी अधिकारी हैं श्रीमती रमा जैन, जिन्होंने पीएफ घोटाले का पर्दाफ़ाश किया और अभियुक्तों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई. फ़िलहाल, श्रीमती जैन फर्रुखाबाद की अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ह श्रीमती जैन की तहरीर पर ही मुख्य सरकारी ख़ज़ांची (सेंट्रल ट्रेज़री) आशुतोष अस्थाना समेत ग़ाज़ियाबाद कोर्ट में तीसरी श्रेणी के 13 कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों और 39 बाहरी व्यक्तियों के ख़िलाफ़ ग़ाज़ियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई और छानबीन में यह पता चला कि अभियुक्तों ने ग़ाज़ियाबाद कोषागार के पीएफ एकाउंट में लूट मचा रखी थी. जजों से औपचारिक सहमति पाकर ट्रेज़री प्रभारी आशुतोष अस्थाना ने फ़र्ज़ी दस्तावेज बनवा-बनवा कर करोड़ों रुपये लूटे. अंधी लूट का हाल यह था कि जो कर्मचारी नहीं था, उसने भी फ़र्ज़ी दस्तावेजों पर पीएफ एकाउंट से पैसा निकालने की मंज़ूरी ले ली और अनाप-शनाप तरीक़े से पैसे निकाले. सीबीआई और पुलिस दोनों की छानबीन में यह भेद खुलकर दस्तावेजों में दर्ज हो गया कि जजों एवं न्यायिक अधिकारियों के उकसाने पर ही फ़र्ज़ी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के नाम पर बिल तैयार कराया जाता था, उस पर बाक़ायदा जज साहबानों के हस्ताक्षर होते थे और उसे सरकारी कोषागार भेजा जाता था. वहां से बिल पास होने के बाद संबधित कर्मचारी के खाते में पैसा जमा हो जाता था. वह पैसा जजों की अय्याशियों पर ख़र्च होता था और कर्मचारी भी मौज उड़ाते थे. जजों ने क़ानून की भी ऐसी तैसी करके रख दी.

जांच की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अभियुक्तों को बचाने की ग़ैर क़ानूनी कोशिशें कीं. घोटालेबाज़ कर्मचारियों की अवैध संपत्ति की जांच करने वाली पुलिस टीम को दिग्भ्रमित किया. जांच में न केवल असहयोग किया, बल्कि जांच की दिशा मोड़ने की भी कोशिश की. यहां तक कि घोटाले का पर्दाफ़ाश करने वाली ग़ाज़ियाबाद कोर्ट की सतर्कता अधिकारी एवं सीबीआई की विशेष न्यायाधीश श्रीमती रमा जैन का ही तबादला करा दिया गया.

prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

अस्थाना की संदेहास्पद स्थितियों में मौत : जांच बेनतीजा

सुप्रीमकोर्ट ने अस्थाना की संदेहास्पद मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया था, लेकिन उस जांच का क्या नतीजा निकला, किसी को भी नहीं मालूम. यहां तक कि अस्थाना की लाश की विसरा रिपोर्ट सीबीआई के सुपुर्द किए जाने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था, लेकिन उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला. आख़िरकार सीबीआई को कहा गया कि वह एम्स से अस्थाना की लाश की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की जांच कर इस बारे में अदालत को अवगत कराए, लेकिन अस्थाना की मौत का मसला रहस्य के गर्त में ही दबा रह गया. सीबीआई ने घोटाले के मामले में जजों से पूछताछ की, लेकिन अस्थाना की मौत पर किसी से बात करने या उस संदेहास्पद स्थितियों में मौत पर कोई बयान जारी करने से सीबीआई साफ़ बच गई. अजीबोग़रीब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना की लाश का अंतिम संस्कार करने से रोक तब लगाई, जब आनन-फानन उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था. अस्थाना की पत्नी सुषमा अस्थाना को शाम के पांच बजे जेल से बाहर निकाला गया, जबकि उसके पहले ही अस्थाना की लाश का पोस्टमॉर्टम भी निपटा दिया गया. साढ़े छह बजते-बजते अस्थाना की लाश फूंक डाली गई. अस्थाना की पत्नी चिल्ला-चिल्ला कर कहती रही कि उसके पति की हत्या की गई है. देश के क़ानून मंत्री वीरप्पा मोइली भी अस्थाना की मौत पर हतप्रभ रह गए. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ऐसे नाजुक समय में अस्थाना की मौत शॉकिंग है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और गहराई से जांच का नतीजा यह निकला कि अनैतिक धन से जज और जजों के परिवार मौज करते रहे.

घोटाले के घेरे में जज

सुप्रीम कोर्ट : जस्टिस तरुण चटर्जी (रि.)
कोलकाता हाईकोर्ट : जस्टिस पीके सामंत
उत्तराखंड हाईकोर्ट : जस्टिस जेसीएस रावत
इलाहाबाद हाईकोर्ट : जस्टिस तरुण अग्रवाल (उत्तराखांड हाईकोर्ट स्थानांतरित), जस्टिस वीएम सहाय, जस्टिस सुशील हरकोली (झारखंड हाईकोर्ट स्थानांतरित), जस्टिस अंजनी कुमार (रि.), जस्टिस अजय कुमार सिंह (रि.), जस्टिस आरएन मिश्रा, जस्टिस ओएन खंडेलवाल (रि.), जस्टिस डी एस त्रिपाठी (रि.), जस्टिस आरएस त्रिपाठी (रि.), जस्टिस आरपी यादव (रि.), जस्टिस स्वतंत्र सिंह (रि.).

लोअर कोर्ट्स

1. अशोक के चौधरी, अतिरिक्त ज़िला जज, ग़ाज़ियाबाद.
2. सुभाष चंद्र अग्रवाल, प्रशासनिक जज, महोवा.
3. अली जामिन, अतिरिक्त ज़िला जज, वाराणसी (मऊ के वर्तमान ज़िला जज).
4. दीपक श्रीवास्तव, अतिरिक्त ज़िला जज, ग़ाज़ियाबाद.
5. अखिलेश दुबे, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, ग़ाज़ियाबाद.
6. हिमांशु भटनागर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मथुरा.
7. हमीदुल्ला, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, ग़ाज़ियाबाद.
8. अनिल कुमार सिंह, रेलवे मजिस्ट्रेट, ग़ाज़ियाबाद.
9. आरपी मिश्रा, ज़िला जज (रि.), ग़ाज़ियाबाद.
10. आरएस चौबे, ज़िला जज (रि.), ग़ाज़ियाबाद.
11. अरुण कुमार, अतिरिक्त ज़िला जज (रि.), ग़ाज़ियाबाद .
12. साधना चौधरी, अतिरिक्त ज़िला जज (रि.), बाराबंकी.
13. चंदर प्रकाश, ज़िला जज (रि.), बाराबंकी.
14. आरसी सिंह, ज़िला जज (रि.), एटा.
15. सीके त्यागी, अतिरिक्त ज़िला जज (रि.), ग़ाज़ियाबाद.

जस्टिस राधेश्याम त्रिपाठी (रि.)

जस्टिस एके सिंह (रि.)

जस्टिस तरुण चटर्जी (रि.)

जस्टिस वीएम सहाय

जस्टिस आरपी यादव (रि.)

जस्टिस विष्णु सहाय

जस्टिस जेसीएस रावत

जस्टिस अंजनी कुमार (रि.)

जस्टिस ओएन खंडेलवाल (रि.)

जस्टिस सुशील हरकोली

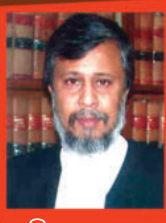

जस्टिस तरुण अग्रवाल

जस्टिस सुभाषचंद अग्रवाल

जज आर पी मिश्रा के रिटायर होने के बाद जज नियुक्त हुए आर एस त्रिपाठी भी उसी ढर्रे पर चल पड़े.

किस जज ने कितना लूटा

घोटालेबाज़ कर्मचारियों को संरक्षण देने और उन्हें बचाने में ग़ाज़ियाबाद के तत्कालीन ज़िला जज आर एस चौबे का नाम सबसे अव्वल है. न्यायाधीश स्तर के ऊंचे अधिकारी और घोटाला करने वाले सामान्य स्तर के कर्मचारी आशुतोष अस्थाना की मिलीभगत के तमाम काग़ज़ी प्रमाण पुलिस को भी मिले और सीबीआई को भी. दस्तावेज बताते हैं कि ट्रेज़री प्रभारी आशुतोष अस्थाना, कर्मचारी मोहन सिंह बिष्ट, रामाशीष, इंद्रबहादुर, कलुआ, सत्यपाल के गैंग में ज़िला जज आर एस चौबे शामिल थे. अस्थाना का इक़बालिया बयान कहता है कि ज़िला जज *आर एस चौबे* और कार्यवाहक जज *अरुण कुमार* ट्रेज़री प्रभारी आशुतोष अस्थाना से हर महीने ख़र्चे के लिए 30 से 35 हज़ार रुपये मांगा करते थे. कार्यवाहक ज़िला जज अरुण कुमार प्रायः 50 हज़ार से ढाई लाख रुपये मांग लेते थे. इसके अलावा जज अरुण कुमार के परिवार वालों की तफ़रीह के लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की जाती थी. आशुतोष अस्थाना ये गाड़ियां त्यागी ट्रैवल्स के ज़रिए उपलब्ध कराता था. जज अरुण कुमार की बेटी की शादी में टाटा सूमो और ट्वेटा, क्वालिस जैसी चार गाड़ियों का इंतज़ाम आशुतोष अस्थाना ने किया था. इसके अलावा शादी में पानी–बिजली और अतिथियों के कलकत्ता से आने–जाने की व्यवस्था भी अस्थाना ने ही की थी. अस्थाना ने जज अरुण कुमार की बिटिया की शादी में नकद दो लाख रुपये इसके अतिरिक्त दिए थे. ग़ाज़ियाबाद के तत्कालीन ज़िला जज *आर पी मिश्रा* ने तो हद ही कर दी. उन्होंने ही सरकारी कोषागार के प्रभारी आशुतोष अस्थाना को बुलाकर कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जीपीएफ एकाउंट ट्रेज़री में नहीं होता और न उसका कोई रिकॉर्ड एजी ऑफिस में होता है. जज आर पी मिश्रा ने अस्थाना को रास्ता दिखाया कि किसी के भी नाम से वहां से पैसा निकाला जा सकता है.

अस्थाना का इक़बालिया बयान हैरत से भर देने वाला है. वह कहता है कि ज़िला जज का मासिक ख़र्च 40–50 हज़ार के बीच होता है, लेकिन वे अपने खाते से इतनी राशि कभी नहीं निकालते. उनका सारा ख़र्च कोर्ट के कर्मचारियों को वहन करना होता है. आर पी मिश्रा ने तो ज़िला जज के पद पर नियुक्त होते ही पीएफ एकाउंट से अतिरिक्त धन की अवैध निकासी शुरू करा दी. जज आर पी मिश्रा ने अपने बेटे का एडमिशन ग़ाज़ियाबाद के एक प्रबंधन कॉलेज में कराया और दो साल तक उसकी फीस जीपीएफ एकाउंट से भरी जाती रही. जज साहब की लखनऊ के गोमती नगर स्थित कोठी पर लकड़ी का सारा काम न्यायालय के बढ़ई कर्मचारी अनोखेलाल से कराया गया, लेकिन डेढ़ लाख रुपये का बिल जीपीएफ एकाउंट से भरा गया. रिटायरमेंट के बाद भी जज साहब छह महीने तक सरकारी आवास में विराजमान रहे और उनका ख़र्च जीपीएफ एकाउंट के पैसे से उठाया जाता रहा. ग़ाज़ियाबाद के सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स से जज आर पी मिश्रा के लिए टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन वग़ैरह लाई गई, जिसका बिल जीपीएफ एकाउंट से भरा गया. जज साहब और उनके परिवार के कपड़े व अन्य सामान घंटाघर स्थित मंगलदीप स्टोर व रेमंड शोरूम से, जेवरात वग़ैरह दीपाली ज्वैलर्स के यहां से और राशन चड्ढा स्टोर्स से ख़रीदा जाता था. गाड़ियों का इंतज़ाम त्यागी ट्रैवल्स से और गोविंदपुरम स्थित आशु स्टूडियो से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी का काम होता था. इसका ख़र्च जीपीएफ एकाउंट से वहन किया जाता था. जज साहब के घर की क्रॉकरी व ट्रांसपोर्ट वग़ैरह का भुगतान अमीचंद को जीपीएफ एकाउंट से निकाले गए चेक व धन से ही किया गया. यहां तक कि उनके रिटायरमेंट के बाद ट्रक से उनका सामान लखनऊ भेजने की व्यवस्था भी अमीचंद ने ही की, जिसका भुगतान भी जीपीएफ एकाउंट से किया गया. जज आर पी मिश्रा को उक्त ख़र्चों के अलावा प्रति माह डेढ़ लाख रुपये भी जीपीएफ एकाउंट से दिए जाते थे और इसके लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के नाम पर भारी धनराशि निकाले जाने के फ़र्ज़ी काग़ज़ातों पर भी जज आर पी मिश्रा आंख मूंदकर हस्ताक्षर कर दिया करते थे.

जज आर पी मिश्रा के रिटायर होने के बाद जज नियुक्त हुए *आर एस त्रिपाठी* भी उसी ढर्रे पर चल पड़े. उनके परिवार के ख़र्चे के लिए प्रतिमाह 50–60 हज़ार रुपये जीपीएफ एकाउंट से निकाल कर दिए जाते थे. जज त्रिपाठी के लिए भी ग़ाज़ियाबाद के सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स से दो टीवी, फ्रिज, विंडो और स्प्लिट एसी, वाशिंग मशीन, बड़े वोल्टेज वाला स्टेबिलाइज़र, कैमरा, एक्जॉस्ट फैन, पेडस्ट्रल फैन, सीलिंग फैन और इनवर्टर वग़ैरह ख़रीद कर दिए गए. मंगलदीप स्टोर से जज साहब एवं उनके परिवार के लिए कपड़े और जेवरात, अंबेडकर रोड स्थित टच पावर से क़ीमती मोबाइल फोन और बढ़ई अनोखेलाल से क़रीब डेढ़ लाख रुपये के फर्नीचर बनवाए गए, जिसका सारा ख़र्चा जीपीएफ एकाउंट से भरा जाता रहा. जज साहब के बेटे–बेटी और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर दिल्ली घूमने आते और जीपीएफ एकाउंट के बूते तफ़रीह कर चले जाते. त्यागी ट्रैवल्स का अनाप–शनाप बिल जीपीएफ एकाउंट के पैसे से भरा जाता. दस्तावेज यह भी कहते हैं कि जज आर एस त्रिपाठी को तीन से चार लाख रुपये नकद प्रति माह जीपीएफ एकाउंट से निकाल कर दिए जाते रहे. आर एस त्रिपाठी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी बने. अब रिटायर हो चुके हैं. जज आर एस त्रिपाठी के रिटायरमेंट के बाद ज़िला जज बने *आर पी यादव* ने आशुतोष अस्थाना के अभूतपूर्व काम को देखते हुए उसे तरक़्क़ी दे दी. जज आर पी यादव का घरेलू ख़र्च 15 से 20 हज़ार रुपये ही था, जो जीपीएफ एकाउंट से ही भरा जाता था. जज साहब के घर के लिए सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स से एसी, टीवी, फ्रिज एवं वाशिंग मशीन ख़रीदी गई. जज साहब की पत्नी के लिए मंगलदीप से जेवरात और जज साहब के लिए टच पावर से क़ीमती मोबाइल फोन ख़रीदे गए, जिसका ख़र्च आशुतोष अस्थाना ने वहन किया. जज आर पी यादव के सरकारी आवास और उनके वकील बेटे निखिल यादव के इलाहाबाद आवास पर फर्नीचर के काम पर जो डेढ़–दो लाख रुपये का ख़र्च आया, वह भी जीपीएफ एकाउंट से भरा गया. इसके अलावा जज साहब के बेटे निखिल के लिए भी टीवी, फ्रिज, एसी, कपड़े और ज्वेलरी वग़ैरह ख़रीदी गई, जिसका भुगतान भी उसी जीपीएफ एकाउंट से किया गया, जिसे जजों ने टकसाल समझ लिया था. आर पी यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी बने. अब रिटायर हो चुके हैं. जज आर पी यादव के बाद ज़िला जज के रूप में *आर एन मिश्रा* पधारे. आर एन मिश्रा के स्थानांतरण के बाद *ए के सिंह* ज़िला जज बनकर आए. छानबीन के दस्तावेज बताते हैं कि ए के सिंह और उनका परिवार अच्छे कपड़े पहनने और घूमने–फिरने का शौक़ीन था. लिहाज़ा यह शौक़ जीपीएफ एकाउंट से पूरा किया गया. उन्हीं तयशुदा दुकानों से टीवी, फ्रिज, एसी, कैमरे, पंखे, मिक्सी वग़ैरह ख़रीदे गए. इसके अलावा कमल स्टोर और रमते राम स्टोर से जज साहब के लिए फर्नीचर, आलमारी, ड्रेसिंग टेबल ख़रीदे गए. मंगलदीप, रेमंड और विंदल से महंगे कपड़े ख़रीदे गए और इन सबका भुगतान उसी तरह किया गया, जैसे अन्य जजों के लिए किया जाता रहा. जज साहब की शौक़ीनी का हाल यह था कि महंगे जिमनैजियम में एक्सरसाइज़ करने, महंगा मसाज कराने, वेट लॉस एवं परिवार की महिला सदस्यों के ब्यूटी ट्रीटमेंट का जो डेढ़ लाख रुपये का बिल आया, वह भी जीपीएफ एकाउंट से अवैध तरीक़े से निकाले गए धन से भरा गया. जज ए के सिंह के सहारा इंडिया में काम करने वाले बेटे अभिषेक गौतम के नोएडा सेक्टर 52 स्थित आवास का तीन साल तक किराया इसी जीपीएफ एकाउंट से भरा जाता रहा. इसके अलावा जज साहब के साहबजादे के लिए पल्सर मोटरसाइकिल और कंप्यूटर वग़ैरह भी जीपीएफ एकाउंट के पैसे से ही ख़रीद कर दिए गए. अभिषेक गौतम के इलाहाबाद बैंक एकाउंट में 36,500 रुपये का चेक जमा कराया गया, वह इन सब ख़र्चों के अतिरिक्त है. ख़ूबी यह है कि वह चेक जीपीएफ एकाउंट का है.

सरकारी धन की लूट का यह वाकई आश्चर्यजनक कथानक है. जज साहब के लखनऊ में गोमती नगर स्थित निर्माणाधीन घर पर बोरिंग कराने से लेकर सबमर्सिबल पंप लगाने और बिजली की फिटिंग कराने तक का ख़र्च जीपीएफ एकाउंट से भरा गया. पीएफ स्कैम में सबसे पहले नपने वाले जजों में ए के सिंह का नाम शुमार है, जिन्हें सुप्रीमकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पद से हटाया गया था. ए के सिंह के बाद ग़ाज़ियाबाद के ज़िला जज बने *आर एस चौबे* ने तो बढ़–चढ़ कर घोटालेबाज़ों को संरक्षण दिया और पीएफ घोटाले की राशि से मौज उड़ाई. उनके लिए तयशुदा दुकानों और शोरूम से विलासिता के वे सारे सामान ख़रीदे गए, जो अन्य जजों और उनके परिवारों के लिए ख़रीदे गए थे. टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, क्रॉकरी, कपड़े, जेवरात सब कुछ. जज साहब के इलाहाबाद स्थित आवास पर न्यायालय के बढ़ई अनोखेलाल ने साल भर तक रह कर काम किया. घोटाले की रकम से जज साहब के घर में शीशम की क़ीमती लकड़ी के फर्नीचर, सोफे, ड्रेसिंग टेबल, डबल बेड वग़ैरह तैयार कराए गए. ग़ाज़ियाबाद के आरडीसी स्थित मार्डिया जिम में कसरत करने और त्यागी ट्रैवल्स की गाड़ियों पर घूमने–फिरने के अलावा जज साहब प्रति माह चार से पांच लाख रुपये भी वसूल लिया करते थे.

पीएफ घोटाले के मुख्य अभियुक्त आशुतोष अस्थाना ने अपने इक़बालिया बयान में कहा भी कि घोटाला कर्मचारियों के नाम पर किया गया, लेकिन घोटाले की राशि का 80 फ़ीसदी हिस्सा जजों ने खा लिया. महज़ 20 से 25 फ़ीसदी हिस्सा ही कर्मचारियों तक पहुंचा. जजों ने घोटाला करने का नायाब तरीक़ा निकाला, लेकिन देश की सत्ता और न्यायिक व्यवस्था ने इस नायाब तरीक़े को और उधेड़ने के बजाय उसे नज़रअंदाज़ कर दिया. घोटाले का घिनौना सच यह है कि जजों के आधिकारिक दौरों पर होने वाला आलीशान ख़र्च भी जीपीएफ घोटाले की रकम से ही किया जाता रहा. ग़ाज़ियाबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) *हमीदुल्ला* नजारत के प्रभारी भी थे और उन्होंने आशुतोष अस्थाना के साथ मिलकर पीएफ की राशि से मौज उड़ाई. इसी राशि से उनके मासिक व्यय का भुगतान होता रहा, जो प्रति माह 10 से 15 हज़ार रुपये हुआ करता था. नवयुग मार्केट से उन्होंने गीजर, पंखे वग़ैरह भी ख़रीदवाए, जिसका भुगतान पीएफ घोटाले की राशि से हुआ. नजारत प्रभारी रहे *जयशील पाठक* हस्ताक्षर करने के एवज में प्रतिमाह ढाई लाख रुपये नकद लिया करते थे. इसके अलावा 30 से 40 हज़ार रुपये घरेलू ख़र्चे में जाते थे. पाठक के लिए टीवी, फ्रिज, आलमारी, जेवरात, कपड़े के अतिरिक्त उनकी बिटिया की मेरठ में पढ़ाई का ख़र्चा भी जीपीएफ घोटाले की राशि से ही भरा जाता था. 60 हज़ार रुपये के पर्दे के कपड़े और क़रीब इतने के ही फर्नीचर का भी भुगतान अस्थाना ने ही किया था. त्यागी ट्रैवल्स से तफ़रीह के लिए ली गई गाड़ियों और नागपुर तक सामान पहुंचाने का भाड़ा भी घोटाले के धन से ही भरा गया. अतिरिक्त ज़िला जज व नजारत प्रभारी रहे *सी के त्यागी* पर 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह ख़र्च किया जाता था. इसके अलावा त्यागी ट्रैवल्स से हमेशा इस्तेमाल में लाई जाने वाली गाड़ियों का भाड़ा भी अस्थाना द्वारा ही भरा गया. अपर ज़िला जज एवं नजारत प्रभारी *आर सी सिंह* के घरेलू ख़र्च के बतौर प्रति माह 20 हज़ार रुपये का भुगतान जीपीएफ एकाउंट से किया जाता था. इसके अलावा जज साहब दो लाख रुपये नकद प्रति माह वसूला करते थे. त्यागी ट्रैवल्स की गाड़ियों का तफ़रीह के लिए इस्तेमाल और अस्थाना द्वारा उसका भुगतान तो जजों का चलन बन गया था. अपर ज़िला जज और नजारत प्रभारी रहे *चंद्रप्रकाश* का घरेलू ख़र्च 30 हज़ार रुपये प्रतिमाह था, जो पीएफ घोटाले की राशि से भरा जाता था. घोटाले के पैसे से इनके लिए भी सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स से टीवी, फ्रिज, एसी, कैमरे, टचपावर से क़ीमती मोबाइल फोन, मंगलदीप से क़ीमती जेवरात, क्रॉकरीज़ और कपड़े वग़ैरह ख़रीदे गए. जज साहब का तबादला होने पर उनका जो सामान लखनऊ और इलाहाबाद के आवासों तक पहुंचवाया गया, उसका ख़र्चा भी आशुतोष अस्थाना ने जीपीएफ एकाउंट से भरा. नजारत प्रभारी रहे *आर ए कौशिक* को 30 हज़ार रुपये प्रतिमाह का घरेलू ख़र्चा दिया जाता था. मुफ्त का फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन और तफ़रीह के लिए त्यागी ट्रैवल्स की गाड़ियां तो जैसे जजों के लिए बपौती बन गई थीं. आर ए कौशिक को भी ये भ्रष्ट सुविधाएं मिलीं और जीपीएफ घोटाले की राशि से उसका भुगतान हुआ. अतिरिक्त ज़िला जज *दीपक कुमार श्रीवास्तव* को घोटाले की राशि से 25 हज़ार रुपये प्रति माह घरेलू ख़र्चे के लिए दिए जाते थे. अमीचंद की तरफ़ से जज साहब के लिए क़ीमती फर्नीचर लखनऊ भिजवाए गए. जज साहब के घूमने–फिरने के लिए त्यागी ट्रैवल्स की गाड़ियां तो तैयार रहती ही थीं, जिसका ख़र्च जीपीएफ एकाउंट उठाता था. अपर ज़िला जज *अली ज़ामिन* को घोटाले की राशि से 25 हज़ार रुपये प्रति माह घरेलू ख़र्च के लिए दिए जाते थे. इसके अतिरिक्त भी जज साहब अस्थाना से नकद वसूला करते थे. कूलर, पंखे, गीजर वग़ैरह की ख़रीद भी घोटाले की राशि से ही हुई और तफ़रीह के लिए इस्तेमाल में लाई गई त्यागी ट्रैवल्स की गाड़ियों का भाड़ा भी उसी से भरा गया. तबादला होने पर घर का सामान भी अमीचंद की गाड़ी से भिजवाया गया, जिसका भुगतान अस्थाना ने किया. अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश *श्रीप्रकाश* का घरेलू ख़र्च भी मुख्य अभियुक्त आशुतोष अस्थाना द्वारा उठाया जाता था.

श्रीप्रकाश की ख़ासियत यह थी कि लेखा विभाग के बिलों पर साइन करने के लिए वह ढाई लाख रुपये नकद लिया करते थे. फर्नीचर, डबल बेड, सोफे, आलमारी व बरेली तबादला होने पर सामान पहुंचवाने का ख़र्च सब जीपीएफ घोटाले की राशि से ही पूरा हुआ. जज *डी एस त्रिपाठी* जब ग़ाज़ियाबाद न्यायालय में आहरण और वितरण (ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग) अधिकारी थे, तब प्रतिमाह एक लाख रुपये नकद लिया करते थे. घरेलू ख़र्चा, टीवी, फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन, क्रॉकरीज़ और तफ़रीह के लिए गाड़ियां इसके अतिरिक्त हैं. डी एस त्रिपाठी बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने और अब रिटायर हैं. ग़ाज़ियाबाद कोर्ट के डीडीओ रहे *आर पी शुक्ला* को प्रतिमाह 2 लाख रुपये नकद दिए जाते थे. घरेलू ख़र्च के रूप में मिलने वाले 25 हज़ार रुपये इसके अतिरिक्त थे. इन्हें भी टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल फोन वग़ैरह ख़रीद कर दिए गए और तफ़रीह के लिए त्यागी ट्रैवल्स की गाड़ियां, जिसका भुगतान जीपीएफ घोटाले की राशि से किया गया. ग़ाज़ियाबाद की अपर सत्र न्यायाधीश *श्रीमती साधना जौहरी* 25 हज़ार रुपये मासिक के घरेलू ख़र्च के अलावा दो लाख रुपये नकद प्रति माह लिया करती थीं. इनके घर पर लगे क़ीमती फर्नीचर और तफ़रीह के लिए मिली गाड़ियों का ख़र्चा भी पीएफ घोटाले की राशि से ही भरा जाता रहा. अपर ज़िला जज एवं डीडीओ रहे *सुभाष चंद्र निगम* को प्रतिमाह दो लाख रुपये और प्रतिमाह 25 हज़ार रुपये घरेलू ख़र्च के बतौर दिए जाते थे. अपर ज़िला जज एवं डीडीओ रहे *सुभाष चंद्र अग्रवाल* को प्रति माह डेढ़ से दो लाख रुपये और 25 हज़ार रुपये प्रतिमाह घरेलू ख़र्च के लिए दिए जाते थे. अपर ज़िला जज एवं पूर्व डीडीओ *उज्जवला गर्ग* को 15 हज़ार रुपये प्रति माह घरेलू ख़र्च के लिए दिए जाते थे. इसके अलावा त्यागी ट्रैवल्स की गाड़ियों के इस्तेमाल का ख़र्च भी अस्थाना वहन करता था. अपर ज़िला जज एवं पूर्व डीडीओ *अशोक कुमार चौधरी* घोटाले की राशि से प्रति माह दो लाख रुपये नकद लिया करते थे. इसके अलावा उन्हें 25 हज़ार रुपये प्रति माह घरेलू ख़र्च के लिए भी मिलते थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस *सुशील हरकोली* जब ग़ाज़ियाबाद में तैनात थे, उस समय ज़िला जज *आर एन मिश्रा* के कहने पर आशुतोष अस्थाना ने जस्टिस हरकोली को प्रोजेक्टर और स्क्रीन व क़ीमती मोबाइल फोन ख़रीद कर दिए. इसके अलावा समय–समय पर क़ीमती क्रॉकरीज़ और स्कॉच की बोतलें भी भेंट में दी जाती थीं. इन सभी का भुगतान घोटाले की राशि से ही होता था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस *अंजनी कुमार* जब ग़ाज़ियाबाद में तैनात थे, तब ज़िला जज आर एस चौबे के कहने पर आशुतोष अस्थाना की ओर से अंजनी कुमार को क़ीमती घरेलू सामान, बॉम्बे डाइंग की चादरें और तौलिए व क्रॉकरीज़ वग़ैरह ख़रीद कर दिए जाते रहे. उन्हें भी सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स से एलसीडी टीवी, होम थिएटर, पत्नी और बेटे को मोबाइल फोन ख़रीद कर दिए गए. जज साहब के बेटे के ग़ाज़ियाबाद आने पर उन्हें तफ़रीह के लिए महंगी लक्ज़री टैक्सी मंगा कर दी जाती थी, जिसका भुगतान पीएफ एकाउंट से ही किया जाता था. जीपीएफ घोटाले के मुख्य अभियुक्त आशुतोष अस्थाना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस *तरुण अग्रवाल* के नोएडा सेक्टर 14–ए स्थित आवास संख्या ए–5 में महंगे विंडो और स्प्लिट एसी लगवाए थे. इसके अलावा जस्टिस अग्रवाल के लिए त्यागी ट्रैवल्स से महंगी लक्ज़री गाड़ियां भी भेजी जाती थीं, जिनका भुगतान पीएफ घोटाले की राशि से ही हुआ करता था. जीपीएफ घोटाले के मुख्य अभियुक्त आशुतोष अस्थाना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस *वी एम सहाय* को टच पावर से ख़रीद कर महंगा मोबाइल फोन तो दिया ही, साथ ही जज साहब के ससुर पूर्व न्यायाधीश *विष्णु सहाय* को भी एक महंगा मोबाइल सेट ख़रीद कर दिया. उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस *जे सी एस रावत* को जीपीएफ घोटाले की राशि से ख़रीदे गए टीवी, एसी, फ्रिज एवं कई अन्य सामान दिए गए. उनके गोविंदपुरम स्थित आवास (संख्या ए–350) में क़ीमती फर्नीचर लगाए गए और इसके अलावा टीनशेड, लोहे की ग्रिल, खिड़की एवं बरामदा बनाने का काम हुआ, जिसका भुगतान घोटाले की राशि से किया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस *ओ एन खंडेलवाल* के घर पर भी पीएफ घोटाले की राशि से ख़रीदे गए टीवी, फ्रिज, एसी, ओवन एवं पंखे लगे. उन्हें क़ीमती क्रॉकरीज़, बॉम्बे डाइंग की चादरें और तौलिए भी दिए जाते रहे. जस्टिस खंडेलवाल के बेटे के घर पर क़रीब सवा लाख रुपये का फर्नीचर का काम हुआ, जिसका भुगतान घोटाले की राशि से ही हुआ. पीएफ घोटाले की राशि से ही त्यागी ट्रैवल्स की महंगी लक्ज़री कारें तफ़रीह के लिए इस्तेमाल होती रहीं. उल्लेखनीय है कि जस्टिस ओ एन खंडेलवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एवं रजिस्ट्रार जनरल रहे *स्वतंत्र सिंह* को त्यागी ट्रैवल्स की महंगी लक्ज़री कारें तफ़रीह के लिए दी जाती रहीं और उनके बेटे के गुड़गांव स्थित आवास पर क़रीब सवा लाख रुपये का लकड़ी का काम कराया गया, जिसका भुगतान घोटाले की राशि से किया गया. सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस *तरुण चटर्जी* के कहने पर उनके रिश्तेदार एवं कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस *पी के सामंत* के लिए आईएफबी सीओवाई की फ्रंट लोडिंग मशीन और सैमसंग की लार्ज स्क्रीन टीवी यहां से ख़रीद कर कलकत्ता भिजवाई गई. ग़ाज़ियाबाद कोर्ट का कर्मचारी श्रवण कुमार यह सामान लेकर ट्रेन से कलकत्ता गया और उसे जस्टिस सामंत के सुपुर्द करके वापस आया. इसका भुगतान पीएफ घोटाले की राशि से किया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस तरुण चटर्जी के घर में घरेलू सामान भेजे जाते थे. क्रॉकरीज़ और फर्नीचर भी दिए गए. अमीचंद के यहां से 50 हज़ार रुपये की क्रॉकरीज़ और राजकमल फर्नीचर से आलमारी और बेड वग़ैरह यहां से कलकत्ता भेजे गए. जस्टिस तरुण चटर्जी के बेटे अनिरुद्ध चटर्जी को पायनियर कंप्यूटर से सवा लाख रुपये का सोनी लैपटॉप ख़रीद कर दिया गया. इसके अलावा अनिरुद्ध को क़ीमती मोबाइल फोन और कपड़े भी ख़रीद कर दिए गए. स्वाभाविक है, इन सबका भुगतान भी पीएफ घोटाले की राशि से ही हुआ.

ग़ाज़ियाबाद के तत्कालीन ज़िला जज *आर एन मिश्रा* के आदेश पर रेलवे मजिस्ट्रेट डी सी सिंह की बिटिया की शादी में टीवी, फ्रिज, एसी एवं अन्य सामान दिए गए. इन सामानों की ख़रीद पीएफ घोटाले की राशि से ही हुई थी. ग़ाज़ियाबाद के तत्कालीन ज़िला जज आर एस चौबे के आदेश पर रेलवे मजिस्ट्रेट *अनिल कुमार सिंह* को दो एयर कंडीशनर ख़रीद कर दिए गए. एसी पीएफ घोटाले के धन से ही ख़रीदे गए थे. ग़ाज़ियाबाद कोर्ट के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी *गौरी शंकर सिंह* के हाथ में प्रति माह 50 हज़ार रुपये पहुंचते थे. इसके अलावा इनके घर घरेलू सामान भी पहुंचाए जाते थे. हार्ट अटैक पड़ने पर नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में ऑपरेशन का साढ़े तीन लाख रुपये का ख़र्च भी पीएफ घोटाले की राशि से ही पूरा किया गया. गौरी शंकर सिंह तृतीय वर्ग के कर्मचारियों से ज़बरन वसूली करने के लिए भी कुख्यात रहे हैं, क्योंकि इन वर्ग के कर्मचारियों का तबादला करने का उन्हें अधिकार था. आशुतोष अस्थाना ने पीएफ घोटाले की रकम में गौरी शंकर सिंह को वर्ष 2006 में 80 हज़ार और 50 हज़ार रुपये का चेक भी दिया था, जो उसके खाते में जमा किया गया था.

prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

डासना जेल में 97 से 2009 तक 93 क़ैदी मरे

ग़ाज़ियाबाद की डासना जेल में अस्थाना की संदेहास्पद स्थितियों में मौत से यह भेद खुला कि यह जेल ऐसी कई मौतों का केंद्र रहा है. 1997 से लेकर 2009 तक इस जेल में 93 क़ैदियों की संदेहजनक परिस्थितियों में मौतें हो चुकी हैं, लेकिन एक भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. अकेले 2009 के पहले 10 महीने में ही नौ क़ैदियों की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हुई. इनमें फ्रंटियर मेल विस्फोट कांड का अभियुक्त शक़ील भी शामिल है. आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि शकील ने कमीज से लटक कर जान दे दी. 2008 में चार क़ैदियों की मौत हुई, जबकि 2007 में नौ और 2006 में छह क़ैदियों की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हुई. प्रोफेसर कविता चौधरी जैसे महत्वपूर्ण हत्याकांड का अभियुक्त रवींद्र प्रधान जेल में मर गया और उसके बारे में यह बता दिया गया कि प्रधान ने बचपन में टूटा हुआ कांच पी लिया था, इस कारण अब जाकर उसकी मौत हो गई. इस तरह के मज़ाकिया जेल प्रशासन में कमरुद्दीन, इक़बाल सिंह, हाजी हसन, गुरु ज्ञान सिंह, नूर हसन एवं ठाकुर सिंह जैसे कई क़ैदियों की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो चुकी है... अधिकारी मौज कर रहे हैं.

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 27
दिल्ली, 13 सितंबर–19 सितंबर 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 13 सितंबर–19 सितंबर 2010

ग़ाज़ियाबाद कोर्ट के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गौरीशंकर सिंह के हाथ में प्रतिमाह 50 हज़ार रुपये पहुंचते थे. इसके अलावा इनके घर घरेलू सामान भी पहुंचाए जाते थे.

यह एक सुनियोजित लूट है

अब तक की कहानी तो इस घोटाले का ट्रेलर भर था. इसके विस्तार में जाएंगे तो आप देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति घृणा से वैसे ही भर जाएंगे, जैसी नफरत लोकतंत्र के बाकी तीन खंभों के प्रति है. जीपीएफ घोटाले का भेद खुल जाने के बाद इन्हीं जजों ने मुख्य अभियुक्त को बचाने की काफ़ी कोशिशें कीं. ऐसा करके दरअसल वे ख़ुद को बचाना चाहते थे. दस्तावेज बताते हैं कि जजों की जांच कमेटी द्वारा तलब किए जाने पर 14 फरवरी 2008 को जब आशुतोष अस्थाना इलाहाबाद हाज़िर हुआ तो जस्टिस ए के सिंह, जस्टिस आर एन मिश्रा और जस्टिस अंजनी कुमार ने उसे आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद वे देख लेंगे. 16 फरवरी को अस्थाना इलाहाबाद के होटल में ही था तो उसे पता चला कि ग़ाज़ियाबाद में उसकी पत्नी, बेटी और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है. अस्थाना भाग कर जस्टिस अंजनी कुमार के पास पहुंचा. अंजनी कुमार ने अस्थाना को अपने बेटे चंदन से मिलवाया. चंदन ने अस्थाना की मुलाकात सीनियर वकील ब्रजेश सहाय से कराई. सहाय ने अस्थाना को सलाह दी कि वह फौरन होटल छोड़ दे. चंदन ने अपने पिता जस्टिस अंजनी कुमार से सलाह–मशविरा कर अस्थाना को इलाहाबाद के रजापुर इलाक़े में एक प्राइवेट मकान में रहने की व्यवस्था करा दी. वहां 15 दिन छुपे रहने के बाद अस्थाना जस्टिस ए के सिंह से मिला. ए के सिंह ने मिर्ज़ापुर के किसी न्यायिक अधिकारी से बात कर विंध्याचल में एक पंडित के घर में अस्थाना के रहने की व्यवस्था करा दी. विंध्याचल में 20 दिन रहने के बाद अस्थाना फिर इलाहाबाद आया और जस्टिस आर एन मिश्रा से मिला. आर एन मिश्रा के बेटे सुनील कुमार मिश्रा ने निरंजन टॉकीज के पीछे किसी के घर में अस्थाना के रहने का इंतजाम कर दिया. इसके बाद जजों ने पल्ला झाड़ लिया. उसके बाद अस्थाना की गिरफ्तारी से लेकर डासना जेल में उसकी संदेहास्पद स्थितियों में मौत की घटना तक आप जानते हैं. अभियोजन के सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि अस्थाना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पीएफ घोटाले से जुड़े तमाम सबूत इकट्ठा किए. वे तमाम बिल्स भी बरामद हुए, जिन पर क़ीमती सामान जजों के घर पहुंचाए गए थे. पीएफ एकाउंट से फ़र्ज़ीवाड़ा करके निकाले गए करोड़ों रुपयों का कच्चा चिट्ठा भी मिला, जिन पर जजों की औपचारिक सहमतियां दर्ज थीं, लेकिन अस्थाना जेल में मारा गया. छोटे स्तर के तमाम कर्मचारी और उनके रिश्तेदार जेल में ठूंस दिए गए, पर पीएफ घोटाले की राशि से अय्याशियां करने वाले जजों का कुछ नहीं बिगड़ा. यही देश की क़ानून व्यवस्था है.

पीएफ घोटाला अन्य घोटालों की तरह नहीं, बल्कि यह एक सुनियोजित घोटाला है, जिसमें जजों ने अपने मातहत कर्मचारियों को उकसा कर करोड़ों रुपये का चूना लगाया, उसी धन से अय्याशियां कीं, लेकिन ख़ुद को अलग रखा. ठंडे दिमाग़ से सोच–समझ कर किए गए करोड़ों रुपये के सरकारी धन के घपले में किसी भी जज या न्यायिक अधिकारी को अभियुक्त नहीं बनाया गया, गिरफ्तारी की बात तो दूर रही. कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों की गिरफ्तारियां हुईं, मुख्य अभियुक्त संदेहास्पद स्थितियों में मौत का शिकार हुआ, जिससे कई जज बेदाग़ बच गए. इस मामले की जांच पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी. उसने अपनी प्राथमिक छानबीन में ढेर सारे महत्वपूर्ण सबूत, दस्तावेज और गवाहों से सुराग हासिल किए. फिर भी मामला इस बिना पर सीबीआई को दिया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर दबाव पड़ने का अंदेशा. फिर सीबीआई पर कौन सा दबाव था, जिससे उसकी छानबीन ढाक का तीन पात बनकर रह गई? उल्लेखनीय है कि जिस उत्तर प्रदेश पुलिस पर दबाव का अंदेशा जताया गया, उसी ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की पहल की थी. ग़ाज़ियाबाद के तत्कालीन एसएसपी दीपक रतन ने तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह को रिपोर्ट लिख कर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और कहा था कि जजों से पूछताछ करना स्थानीय पुलिस के लिए मुश्किल काम है. एसएसपी ने लिखा था कि पीएफ प्रकरण में जिन जजों के नाम सामने आए हैं, उनमें एक जज उत्तराखंड में तैनात हैं तो दूसरे पश्चिम बंगाल में, आठ जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में तैनात हैं और शेष अन्य विभिन्न ज़िलों के ज़िला जज हैं. ऐसे में स्थानीय पुलिस के लिए प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के अलावा अन्य राज्यों में जाकर उनसे निष्पक्ष पूछताछ कर पाना मुश्किल है. पीएफ घोटाला अदालत का एक बड़ा स्कैम है और ग़ाज़ियाबाद में तैनात रहे कई जज इस स्कैम में सीधे तौर पर लिप्त पाए जा रहे हैं. लिहाज़ा इस मामले को सीबीआई को जांच के लिए देना मुनासिब होगा. पुलिस और सीबीआई दोनों की छानबीन में यह अधिकारिक तौर पर साबित हुआ कि जजों के साथ मिलीभगत कर ट्रेजरी प्रभारी आशुतोष अस्थाना एवं अन्य कर्मचारियों ने तमाम फ़र्ज़ी दस्तावेज तैयार किए. तीसरे वर्ग के कर्मचारियों को चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी दिखा दिया और अपने नाते–रिश्तेदारों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी दिखाकर जीपीएफ एकाउंट से करोड़ों रुपये निकाल लिए. घोटाला करने के लिए कोर्ट के कर्मचारी औजार थे और दिमाग़ जज. एक झटके में उक्त कर्मचारियों ने फ़र्ज़ी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपये निकाले. इस तरह की अनगिनत निकासियां हुईं. उसकी हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे. लेकिन सवाल है कि क्या इन कर्मचारियों की इतनी हैसियत थी कि वे इतना बड़ा घोटाला बिना किसी संरक्षण के कर पाते? दरअसल उन्हें बाक़ायदा जजों का संरक्षण मिला हुआ था और सरगना बना हुआ था सरकारी कोषागार का प्रभारी आशुतोष अस्थाना. घोटाला कर्मचारियों के नाम पर हुआ, पर मौज उड़ाई जजों ने.

आपके समक्ष हम इस तरह की कई सूची सामने रखेंगे और पीएफ लूट की वीभत्स तस्वीर दिखाएंगे. किस तरह जजों के संरक्षण में घोटाला करने वाले ताक़तवर कोर्ट कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों और नौकरों तक के नाम पर पीएफ एकाउंट से रकमें निकालीं और अनाप–शनाप चल–अचल संपत्ति खड़ी की. हम जजों की वह लिस्ट भी आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने पीएफ घोटाले की राशि से अय्याशियां कीं, तौलिए तक ख़रीदे. पीएफ घोटाले की जो चार्जशीट पहले स्थानीय पुलिस ने फाइल की और बाद में जिसे सीबीआई ने फाइल किया, उसमें अंतर यही है कि सीबीआई ने कई जजों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई करने लायक सबूत तो पाए, पर अभियोजन के लायक नहीं पाए. क़ानूनी शब्दावलियों के पचड़े में फंसाकर ही देश में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अनैतिक कृत्यों पर पर्दा डाला जाता रहा है. देश के आम लोगों को इन शब्दावलियों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें साफ़–साफ़ जजों के कृत्य जानने की ज़रूरत है. सीबीआई की चार्जशीट में जिन 39 बाहरी व्यक्तियों का ज़िक्र है, वे कौन लोग हैं? वे घोटालेबाज़ कर्मचारियों के सगे रिश्तेदार हैं, साले–सालियां हैं, बच्चे–बच्चियां हैं और नौकर तक हैं. आप बानगी देखिए– मुख्य अभियुक्त आशुतोष अस्थाना की सास सावित्री अस्थाना, साला धर्मेंद्र अस्थाना, बेटी चंचल कुमारी, पत्नी सुषमा अस्थाना के साथ–साथ अभियुक्त श्रीकांत यादव का बेटा कुबेर यादव, अभियुक्त वेदप्रकाश की पत्नी शकुंतला, अभियुक्त खेमराज का बेटा चमनलाल, अभियुक्त नरेंद्र कुमार की पत्नी मेघा, कुंदनलाल का बेटा रामबाबू, अभियुक्त भूपाल सिंह की पत्नी पुष्पा, मिथिलेश शर्मा की पत्नी आशा शर्मा, संजीव त्यागी की पत्नी सविता त्यागी, राम अवतार त्यागी की पत्नी अमरीश त्यागी, ईश्वर दास का बेटा चंचल कुमार, आत्म प्रकाश अग्रवाल का बेटा रवि अग्रवाल, राम सिंह का बेटा सत्यपाल चौधरी, मुमताज का बेटा मोबीन, हरीश चंद्र का बेटा राजन शर्मा, टेकचंद का बेटा हेमेंद्र त्यागी, कृष्णा शर्मा का बेटा अरुण कुमार, जगदीश की पत्नी लक्ष्मी उर्फ़ कमलेश, प्रेमचंद की पत्नी गीता समेत ऐसे कई लोगों के नाम हैं, जिन्होंने अपने रिश्तेदार कर्मचारियों के ज़रिए फ़र्ज़ीवाड़ा कर ख़ुद को कोर्ट का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बता दिया और पीएफ एकाउंट से करोड़ों रुपये साफ़ कर दिए, कर्मचारियों के ये रिश्तेदार भी पीएफ घोटाले के अभियुक्त हैं. स्पष्ट है कि कोर्ट के जितने भी घोटालेबाज कर्मचारी पकड़े गए, सबने अपने रिश्तेदारों और सगों के नाम पर पीएफ एकाउंट से धन निकाला और संपत्ति बनाई. इसके अलावा कोर्ट के तीसरी श्रेणी के 13 कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बताकर भी पीएफ एकाउंट से करोड़ों रुपये लूटे गए. इसके लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज बनवाए गए और उन पर विभिन्न जजों से औपचारिक सहमतियां ली गईं. ख़ुद चार्जशीट बताती है कि सात साल में सात करोड़ रुपये तो ऐसे ही निकाल लिए गए. इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों से साठगांठ कर 2007 में चार करोड़ रुपये निकाल लिए गए. विडंबना यह है कि ये बाहरी लोग कोर्ट के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन फ़र्ज़ी दस्तावेजों पर इन्हें कोर्ट का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बताया गया और पीएफ एकाउंट से बड़ी धनराशियां निकाल ली गईं. इन सब पर जजों की सहमतियां रहीं. आप देखिए, जजों के संरक्षण में किस तरह का फ़र्ज़ीवाड़ा किया गया. बाहरी लोगों को कोर्ट का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बताया गया, इसके लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज तैयार किए गए, जीपीएफ का फ़र्ज़ी खाता तैयार किया गया, जीपीएफ की अग्रिम धनराशि स्वीकृत कराई गई, खातों में पैसा नहीं था, फिर भी जजों ने बड़ी–बड़ी धनराशियां स्वीकृत कर दीं, इस पर बाक़ायदा सरकारी कोषागार से चेक हासिल किए गए और फ़र्ज़ी कर्मचारियों के फ़र्ज़ी खातों में जमा कराए गए और सरकारी कोष लूट लिया गया. बहरहाल, सीबीआई की जांच के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्य अभियुक्त समेत अन्य कई अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और सबूत वगैरह जुटाने का काम बहुत हद तक पूरा कर लिया था. पीएफ घोटाले के मुख्य अभियुक्त आशुतोष अस्थाना का इक़बालिया बयान आईपीसी की धारा 164 के तहत बाकायदा ग़ाज़ियाबाद के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार की मौजूदगी में दर्ज किया गया था. यही इक़बालिया बयान सीबीआई की जांच का मुख्य आधार भी बना. और सीबीआई ने क्या किया..? सीबीआई ने कहा कि 41 जजों और न्यायिक अधिकारियों में से 17 के ख़िलाफ़ ठोस सबूत नहीं मिल पाए. शेष 24 जजों के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस नहीं बनता, केवल विभागीय कार्रवाई का मुकम्मल मामला बनता है. इन 24 जजों में एक सुप्रीमकोर्ट के जज भी शामिल हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं. कुल 78 लोगों के ख़िलाफ़ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है. इसमें छह रिटायर्ड न्यायाधीश शामिल हैं. सीबीआई ने कहा कि पीएफ घोटाले के दौरान ग़ाज़ियाबाद की अदालत में तैनात रहे और जांच के घेरे में आए 17 जजों के ख़िलाफ़ सबूत नहीं मिले हैं. जिन जजों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें से दो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं और एक घोटाले के समय हाईकोर्ट के महापंजीयक थे. जिन्हें सीबीआई की क्लीन चिट मिली, उनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद निगम, न्यायाधीश विष्णु सहाय एवं घोटाले के दौरान रजिस्ट्रार जनरल रहे पी के गोयल शामिल हैं. इसके अलावा घोटाले के वक़्त ग़ाज़ियाबाद में अतिरिक्त ज़िला जज के पद पर तैनात रहे आर ए कौशिक, हमीदुल्लाह, सी के त्यागी, सुभाष चंद अग्रवाल, निर्विकार गुप्ता, अशोक कुमार चौधरी, श्रीप्रभु, ए के अग्रवाल, रमेश चंद सिंह, ग़ाज़ियाबाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहे वी के श्रीवास्तव, कौशलेंद्र यादव, अखिलेश दुबे, हिमांशु भटनागर एवं वी एस पटेल शामिल हैं. सीबीआई ने 24 न्यायाधीशों पर विभागीय कार्रवाई किए जाने की सिफ़ारिश की है.

prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

सीबीआई की चार्जशीट में क्या महत्वपूर्ण

पीएफ घोटाला मामले में सीबीआई ने तीन जुलाई को 78 लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की. इनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन रिटायर जज भी शामिल हैं. तीन ज़िला जज भी अभियुक्त हैं. ग़ाज़ियाबाद के ए के सिंह की विशेष अदालत में दाखिल हुई चार्जशीट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन पूर्व जजों आर पी यादव, आर एन मिश्रा एवं ए के सिंह और ग़ाज़ियाबाद के तीन ज़िला जजों आर पी मिश्रा, आर एस चौबे एवं अरुण कुमार को अभियुक्त बनाया गया है. सीबीआई ने 781 ट्रेज़री चेकों का पता लगाया, जो ग़ाज़ियाबाद ज़िला अदालत के विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर अप्रैल 2007 से फरवरी 2008 के बीच निकाले गए थे. यह राशि 7.92 करोड़ रुपये है. इन 781 चेकों में से 482 चेक यानी 6.58 करोड़ (65,857,892) रुपये फ़र्ज़ी दस्तावेज बनाकर निकाले गए थे. अप्रैल 2007 से जनवरी 2008 के बीच महज 10 महीने में अस्थाना ने 33 क़ीमती मोबाइल फोन ख़रीदे. इन पर तीन लाख रुपये ख़र्च हुए. जजों के लिए 33 मोबाइल फोन ग़ाज़ियाबाद के कालकागढ़ी चौक स्थित दुकान टच पावर से ही ख़रीदे गए. इसके बिल भी बरामद हुए. अस्थाना ने यह उजागर किया था कि उसने जजों के लिए 70 से अधिक क़ीमती मोबाइल फोन सेट ख़रीदे थे. 540 स्लिप्स, बिल्स, काग़ज़ के टुकड़ों पर लिखा हिसाब और 43 टैक्सी बिल्स बरामद हुए, जो जजों पर ख़र्च किए गए. सीबीआई के संयुक्त निदेशक आलोक पटेरिया के नेतृत्व में जांच हुई. ट्रेज़री प्रभारी आशुतोष अस्थाना के नेतृत्व में हुआ पीएफ घोटाला बाक़ायदा जजों की सहमति लेकर किया गया. अस्थाना की 17 अक्टूबर 2009 को ग़ाज़ियाबाद जेल में संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई. वजहें साफ़ हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ़ नहीं...

बाहरी लोगों के साथ मिल कर की गई लूट का वीभत्स दृश्य

1. श्रीकांत यादव	5,30,000	14. चंचल कुमार	1,54,000	28. अमीचंद	3,50,000
2. श्रीमती शकुंतला	12,50,000	15. रवि अग्रवाल	1,50,000	29. अमित चड्ढा	9,50,000
3. वेदप्रकाश	10,10,000	16. सत्यपाल चौधरी	4,15,000	30. देवेंद्र	3,50,000
4. खेमराज	1,44,000	17. मोबीन– 3,32,000	(कुल 7 लाख रु.)	31. अमरीश	6,00,000
5. चमनलाल	1,80,000	18. राजन शर्मा	3,00,000	32. श्रीमती लक्ष्मी	2,20,000
6. श्रीमती मेघा राज	2,50,000	19. हेमेंद्र त्यागी	6,31,000	33. श्रीमती जया	2,00,000
7. रामबाबू	10,00,000		(कुल 9 लाख रु.)	34. श्रीमती मिथिलेश	2,00,000
8. श्रीमती पुष्पा	3,10,000	20. अरुण कुमार	5, 30,000	35. संजीव कुमार	6,22,000
9. श्रीमती आशा शर्मा	2,00,000	21. श्रीमती कमलेश	6,18,000	36. अब्दुल निसार	1,75,000
10. श्रीमती सावित्री अस्थाना	12,18,000	22. श्रीमती गीता देवी	6,10,000	37. श्रीमती कांता देवी	1,77,869
	(कुल 16 लाख रु.)	23. धर्मेंद्र	18,00,000	38. रितू	2,85,000
11. श्रीमती सुषमा अस्थाना	13,23,000	24. सचिन	2,25,000	39. हाजी इक़बाल	3,25,000
	(कुल 14 लाख रु.)	25. रामेश्वर तिवारी	1,90,000	40. गौरव गर्ग	1,25,000
12. श्रीमती सविता त्यागी	2,75,000	26. अरुण कुमार कौशिक	12,50,000	41. ईश्वर नाथ शर्मा	6,75,000
13. अंबरीश त्यागी	3,55,000	27. अनिल कुमार गर्ग	2,42,000	42. राजेंद्र कुमार	11,50,000

इस सूची में उन सात लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं जिन्होंने 21 हज़ार रुपए से 80 हज़ार रुपए निकाले. सूची में केवल उन्हीं लोगों के नाम हमने शामिल किए जिन्होंने लाख से अधिक रुपए उड़ाए.

कर्मचारियों ने किस तरह पैसे लूटे

तृतीय श्रेणी के कर्मचारी		1. लल्लन पांडेय	9,00,000	19. राजेंदर	25,95,000
1. नंद किशोर स्टेनो	1,50,000	2. ओमप्रकाश ओझा	7,07,000	20. महेंद्र सिंह	6,00,000
2. अभिलेख कुमार	20,00,000	3. अशोक कुमार	12,75,000	21. प्रेमचंद	8,50,000
3. संजय प्रताप सिंह	6,50,000	4. गजेंद्र सिंह	9,25,000	22. नरेंद्र सिंह	12,18,000
4. जगदीश	25,00,000	5. अजय कुमार	9,00,000	23. अरविंद ओझा	7,00,000
5. पारसनाथ	6,50,000	6. कलबा सिंह दफ्तरी	12,00,000	24. सत्येंद्र कुमार	4,50,000
6. भूपाल सिंह	25,00,000	7. पवन कुमार	7,59,000	25. महिपाल	6,75,000
7. जीतेंद्र कुमार	5,50,000	8. मोहन सिंह बिष्ट	9,75,000	26. गोपाल सिंह	2,00,000
8. राजेश त्यागी	20,72,000	9. सत्यपाल सिंह	15,00,000	27. मदनलाल	2,00,000
9. मो. आरिफ	10,00,000	10. राम आशीष	15,00,000	28. लोकेश	4,80,000
10. राधेश्याम	4,26,000	11. रणवीर सिंह	2,50,000	29. अलाउद्दीन	3,85,000
11. राकेश कुमार	3,00,000	12. नरेंद्र सिंह	14,29,000	30. शंकरलाल	2,54,000
12. चमनलाल	3,00,000	13. राम भगवान शर्मा	6,14,000	31. विजय बहादुर	4,36,000
13. श्रीमती ममता वाही	2,25,000	14. राजीव शुक्ला	10,12,000	32. रमाकांत	3,75,000
14. अखिलेश	3,00,000	15. सतीश माली	8,75,000	33. रमेशचंद्र	3,50,000
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी		16. ताराचंद	1,30,000	34. श्रवण कुमार	6,75,000
इसी तरह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार की बहती गंगा में हाथ धोए.		17. अनोखेलाल	5,30,000		
		18. इंद्रबहादुर	10,30,000		

एक महीने बाद राष्ट्रमंडल खेल होना है. दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर के रूप में तैयार किया जा रहा था. मानसून की बारिश ने सरकार और योजना बनाने वाले उच्च अधिकारियों की पोल खोल दी.

दिल्ली, 13 सितंबर-19 सितंबर 2010

चौथी दुनिया

शहर इंसानों के लायक़ नहीं रहे

1850 तक लंदन की टेम्स नदी का हाल दिल्ली की यमुना नदी की तरह था, बिल्कुल किसी नाले की तरह. गंदगी की वजह से लंदन में हैजा फैल गया. ख़तरे को देखते हुए 1958 में संसद ने एक मॉडर्न सीवेज सिस्टम की योजना बनाई. इस योजना के चीफ इंजीनियर जोसेफ बेजेलगेट थे. उन्होंने काफी शोध के बाद पूरे लंदन शहर में ज़मीन के अंदर 134 किलोमीटर का एक सीवेज सिस्टम बनाया. साथ ही टेम्स नदी के साथ-साथ सड़क बनाई गई, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए. लंदन के सीवेज सिस्टम को बने हुए 150 साल पूरे हो चुके हैं. शहर की जनसंख्या कई सौ गुना ज़्यादा हो गई है, लेकिन आज भी लंदन का सीवेज सिस्टम दुरुस्त है. योजना का अर्थ यही होता है कि उसे भविष्य को समझते हुए बनाया जाए. भारत में शायद सब कुछ उल्टा है. अंग्रेजों का शासन तंत्र मौजूद है, लेकिन दूरदर्शिता नहीं है.

रीतिका सोनाली

दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं. दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर के रूप में तैयार किया जा रहा था. बारिश ने सरकार और योजना बनाने वाले उच्च अधिकारियों की पोल खोल दी. देश की राजधानी में बारिश के पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है. रिहायशी इलाक़ों से लेकर सड़कों तक पानी भर गया. ट्रैफिक जाम के चलते लोग घंटों रास्ते में फंसे रहे. यह भी जगज़ाहिर है कि तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरत के मुताबिक़ शहरीकरण के लिए कोई योजना नहीं है. देश के अन्य शहरों की हालत इससे भी बदतर है. एक तो योजना बनने के स्तर पर कमी है और जो योजना बनती भी है, वह भ्रष्टाचार और दिशाहीनता की बलि चढ़ जाती है. दिनोंदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक और पानी की समस्या गहराती जा रही है. शहरों में लोगों के अति संकुचन से भीड़ और संकुचन की समस्या उत्पन्न हो गई है. टाउन प्लानिंग का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि शहर की 26 फ़ीसदी ज़मीन सड़कों के लिए छोड़ दी जाए. हमारे शहरों में औसतन सिर्फ़ 6 फ़ीसदी ज़मीन पर सड़क है. शहरों में यातायात की बदहाली की मुख्य वजह यही है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि हमारे शहरों में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है. एक अनुमान के मुताबिक़, वाहनों की संख्या में हर साल 20 फ़ीसदी इज़ाफ़ा होता है और दूसरी बात यह है कि व्यवसायिक अवसरों की वजह से गांवों से लोगों का शहर में आना निरंतर जारी है. यह दोनों बातें ही आम जानकारी की हैं. क्या अधिकारियों को इन ज़रूरतों को देखते हुए योजना नहीं बनानी चाहिए? योजना के अभाव या ग़लत योजनाओं की वजह से देश के कई शहरों का विकास रुक गया है.

उदाहरण के तौर पर उड़ीसा की व्यवसायिक राजधानी कटक को लीजिए. 1980 और 90 के दशकों में मिलेनियम सिटी कटक में विकास का पहिया तेज़ी से चला और वह कमर्शियल एवं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का बाज़ार बन गया. राज्य की कमर्शियल कैपिटल में पिछले एक दशक से विकास का पहिया बहुत धीरे चलने लगा है, जिसकी वजह है अनियोजित शहरी संरचना. यहां प्रति वर्ष बढ़ने वाली जनसंख्या के अनुपात में जगह और संसाधनों की कमी ने कटक के विकास पर ताला लगा दिया. दिल्ली और दूसरे महानगरों को अगर छोड़कर हम छोटे शहरों की ओर देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक है. उदाहरण के तौर पर बिहार के भागलपुर को ले लीजिए. यह एक प्रमंडल मुख्यालय है. आज़ादी मिले साठ साल हो गए, लेकिन इस शहर में गंदे पानी के निकास की कोई व्यवस्था ही नहीं है. सड़कों पर नाले का पानी बहने के लिए बारिश की ज़रूरत नहीं है. सालों भर यहां की नालियां सड़क पर बहती हैं. भागलपुर में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है. अलीगढ़ का भी यही हाल है. भागलपुर और अलीगढ़ में ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं हैं, फिर भी यहां की जनसंख्या बढ़ रही है. अफसोस इस बात का है कि इन शहरों में कचरे से निपटने के लिए सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई है. जिन शहरों में सरकार कचरे के निवारण के लिए पैसे ख़र्च करती है, वहां का भी हाल बुरा है. लुधियाना में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 100 करोड़ का बजट है, फिर भी यहां कचरे का पहाड़ नज़र आता है. हर तरफ़ गंदगी फैली है.

अच्छे शहर का मतलब सिर्फ़ अच्छी सड़कें और नालियां ही नहीं होती हैं. संसाधनों की कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी और लगातार बढ़ रही जनसंख्या हमारे शहरों को तबाही की कगार पर पहुंचा रही है. इन सबके ऊपर हमारा प्रशासन है, जो समस्या के सामने आंख बंद कर निश्चिंत है. जो भी योजना बनाई जाती है, वह हर पांच साल के बाद बेकार हो जाती है. यही वजह है कि सरकार की योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं. शहरों में न रहने की व्यवस्था है, न ही पीने के पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की. पानी की स्थिति दिनोंदिन ख़राब होती जा रही है. सरकार लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने में असमर्थ है. हाल यह है कि आए दिन प्रदूषित पानी की आपूर्ति से बीमारियां फैलने की ख़बर मिलती है. देश के शहरों में जलापूर्ति की मात्रा 105 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि ज़रूरत कम से कम 150 लीटर है और आदर्श आपूर्ति मात्रा 220 लीटर प्रतिदिन होनी चाहिए. पाइप से आपूर्ति होने वाला पानी केवल 74 प्रतिशत शहरी जनसंख्या तक पहुंच पाता है. पूरे देश में कोई भी शहर ऐसा नहीं है, जहां पानी की आपूर्ति चौबीस घंटे होती हो. चेन्नई, हैदराबाद, राजकोट, अजमेर एवं उदयपुर जैसे शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिदिन केवल एक घंटे जलापूर्ति होती है. देश में ऐसे कई शहर हैं, जहां नगरपालिका की आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. हमारे देश में बेहतर जलनीति न होने की वजह से यहां हर वर्ष होने वाली बारिश के पानी के संरक्षण और इस्तेमाल की योजना नहीं बन पाती. पीने के लिए लोग ज़मीन के अंदर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. इस वजह से वहां का भी पानी ख़त्म होता जा रहा है. जहां इंडस्ट्री हैं, वहां कारगर सीवेज सिस्टम न होने की वजह से फैक्ट्रियों का गंदा पानी ज़मीन में डाल दिया जाता है. इसके चलते ज़मीन के अंदर का पानी भी दूषित हो गया है. ग़ाज़ियाबाद, मेरठ एवं दिल्ली के कई इलाक़ों और पंजाब-हरियाणा के कई शहरों का पानी दूषित हो चुका है. इससे कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं. जब पीने का पानी ही नहीं है तो लोग कहां जाएंगे. पैसा कमाने के लिए शहरों में रहना ज़रूरी है, लेकिन हमारे शहर हैं कि इंसानों की तरह जीने नहीं देते. शहरों में लगातार लोगों का प्रवासन जारी है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक़, वर्ष 2001 में 1961-91 की तुलना में प्रवासन के मामले काफी ज़्यादा बढ़े हैं. गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन सबसे ज़्यादा बढ़ा है. इसकी सबसे बड़ी वजह आर्थिक रही है. लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों से पलायन कर विकसित शहरों में जा रहे हैं. वर्ष 2001 के टीसीपीओ आंकड़ों के मुताबिक़, हिंदुस्तान के शहरों में 61.80 मिलियन लोग झुग्गियों में रह रहे थे. आश्चर्य की बात यह है कि देश के कुछ बड़े शहरों में गांव की अपेक्षा ज़्यादा ग़रीबी है. यह शहरी ग़रीबी का एक उदाहरण भर है. शहर में ग़रीब जीविका के अलावा घर, भोजन, सैनिटेशन, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी परेशानियों का सामना करते हैं. भारत में दीर्घकालिक तौर पर शहरीकरण का संदर्भ संरक्षण एवं झुग्गियां, मूलभूत शहरी सेवाओं, शहरों का आर्थिक विकास और शासन एवं नियोजन से है. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के साथ देश की आर्थिक अवस्था में तो सुधार आया है, पर शहरी ग़रीबी की दर में गिरावट नहीं आई है. मुंबई की 54 प्रतिशत जनता झुग्गियों में रहती है, शहर के केवल 6 प्रतिशत इलाक़े में इन झुग्गियों का जमावड़ा है. गुजरात के अहमदाबाद में बेतरतीब तरीक़े से बढ़ते जा रहे उद्योगों और शहरी जीवनशैली ने शहर को तंगी, गंदगी एवं अभाव का शिकार बना दिया है. सूरत में आठ लाख लोग शहर की 406 झुग्गियों में रहते हैं. 2012 में शहर की जनसंख्या 53.58 लाख हो जाएगी. इस जनसंख्या का पांचवा हिस्सा यानी 11 लाख लोग 425 झुग्गियों में रहेंगे. शहरी ग़रीबों के लिए जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत बनाए जा रहे 42,156 घर झुग्गियों में रहने वालों के लिए हैं, जिनमें केवल दो लाख लोग रह पाएंगे. 2012 में सूरत को ज़ीरो स्लम सिटी बनाने की योजना गर्त में चली जाएगी. लगता है, बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर हमारे देश में योजनाएं बनाने की प्रथा ही नहीं है. दूसरे देशों में शहरीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वहां की सरकारें भूमि, निजी क्षेत्र की भागीदारी और धन का इस्तेमाल बिल्कुल सटीक तरीक़े से करने का प्रयास करती हैं. हमारे देश में ऐसी किसी नीति का सर्वथा अभाव है. इसके अलावा शहरों की शासन प्रणाली भी काफी कमज़ोर है, स्थानीय संस्थाओं के पास अधिकार न के बराबर हैं. केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज का आलम यह है कि सुनियोजित योजना के अभाव में शहर के विकास की नींव कमज़ोर पड़ जाती है. जी-20 देशों में भारत अकेला ऐसा देश है, जिसने महापौर को शहर चलाने का अधिकार देने की प्रणाली नहीं अपनाई है, न ही किसी एक्सपर्ट एजेंसी की सेवाएं ली जाती हैं.

शहर की जर्जर अवस्था का सबसे बड़ा कारण ख़राब नियोजन है. हमारे शहरों की त्रासदी यह है कि शहर पहले बन जाते हैं, उनके लिए योजनाएं बाद में बनाई जाती हैं. लोग घर बनाकर नई बस्तियों में रहने लगते हैं, फिर वहां सड़क, सीवेज, पानी, टेलीफोन और बिजली की व्यवस्था के बारे में सोचा जाता है. समस्या यह है कि हमारे देश की शासन प्रणाली पूरी तरह से केंद्रीयकृत है. अंग्रेजों ने यह व्यवस्था गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी. आज भी वही प्रणाली चल रही है. यही वजह है कि फ़ैसला करने का अधिकार कुछ लोगों के हाथों में सिमटा है. अंग्रेजों के जमाने की केंद्रीयकृत प्रणाली सिर्फ़ मौजूद ही नहीं है, बल्कि इसके साथ नए-नए नियमों का भंवरजाल बना दिया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया ही उलझ कर रह गई है. शहरों की योजना और देखरेख ज़िलाधिकारी करते हैं. वे इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गणित पढ़कर आईएएस अधिकारी बनते हैं और परीक्षा पास करते ही राष्ट्रनिर्माण के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के महा एक्सपर्ट बन जाते हैं. समय के साथ वे रेलवे, मानव संसाधन, शहरी विकास या अन्य विभागों के मुखिया बन जाते हैं. बिना किसी ट्रेनिंग या अध्ययन के कभी इस विभाग तो कभी उस विभाग में उनका तबादला भी हो जाता है. उन्हें फ़ैसला लेने का एकाधिकार मिल जाता है. ऐसे ही अधिकारी हमारे शहरों की तकदीर लिखते हैं. इसके साथ-साथ शासन प्रणाली में मौजूद भ्रष्टाचार और कमीशन की परंपरा हमारे शहरों के विनाश का कारण बन रही है. हमारे शहरों की दुर्गति इसलिए हो रही है, क्योंकि योजना, नीति और नियम बनाने वालों में स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों की हिस्सेदारी नहीं है. एक समस्या देशवासियों के मनोविज्ञान की भी है. हम अपने घरों को तो साफ रखते हैं, लेकिन घर के बाहर फैली गंदगी को नज़रअंदाज़ करने में महारत हासिल कर चुके हैं. भारत विश्व में सबसे तेज़ी से शहरीकृत होने वाले देशों में भले शुमार हो, लेकिन हमारे पास शहरीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जोसेफ बेजेलगेट तो दूर, कोई कार्य योजना तक नहीं है.

ritika@chauthiduniya.com

> **दिल्ली, आगरा, पटना, लखनऊ, गोरखपुर या भागलपुर, महानगर हो या फिर मुफस्सिल, कहीं भी आप चले जाएं, एक सच्चाई हमारी आंखों के सामने से गुज़रती है कि हमारे देश के शहर अब इंसानों के रहने के लायक़ नहीं हैं. लोगों की ज़रूरतों और शहरों में उपलब्ध सुविधाओं के बीच ज़मीन-आसमान का अंतर है. ट्रैफिक जाम की समस्या है, पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली की कमी, कचरे का जमाव, प्रदूषण की समस्या का आलम यह है कि सरकार के पास न तो इससे निपटने के लिए कोई योजना है, न ही योजना बनाने की तरकीब. हालात यह हैं कि कई शहरों में अंडरग्राउंड नालियों का मानचित्र भी ग़ायब है. सरकारी काम करने का तरीक़ा यह है कि पहले सड़क बन जाती है, फिर सीवर के लिए नई सड़कों की खुदाई हो जाती है. सड़क फिर से बनती है और फिर टेलीफोन लाइन के लिए खुदाई शुरू हो जाती है. फिर से सड़क बनाई जाती है. कुछ दिनों बाद बिजली विभाग खुदाई करने पहुंच जाता है. सड़कों का बनना और उसे फिर से बर्बाद करने का सरकारी चक्र लगातार चलता रहता है. इससे यह तो ज़ाहिर हो ही जाता है कि सरकार के विभागों में न तो कोई सामंजस्य है और न ही कोई समग्र योजना है. ज़रा सी गहराई में जाने पर पता चलता है कि सरकारी विभाग और अधिकारी जानबूझ कर ऐसा करते हैं, ताकि भ्रष्टाचार और अवैध कमाई का ज़रिया बना रहे.**

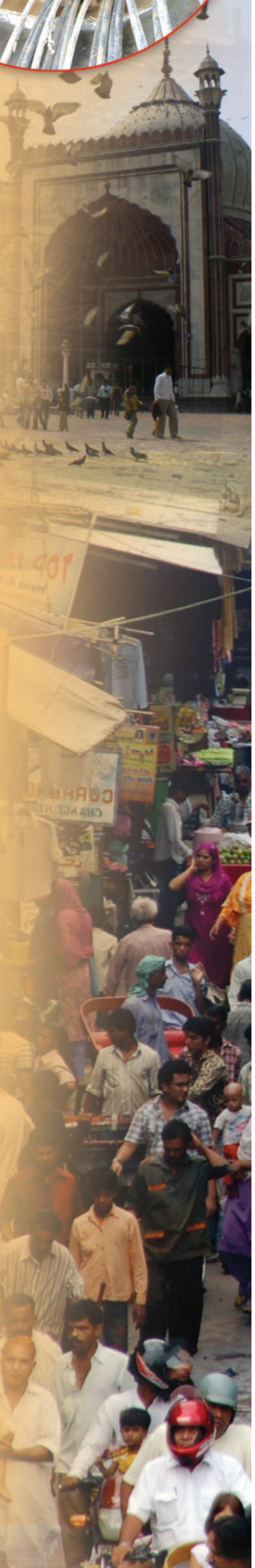

सरकार प्रॉपर्टी डीलर बन गई है

किसानों की ज़मीन सस्ती दरों पर लेकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों और बिल्डरों को बेचे जाने से किसान नाराज़ हैं. ये उद्योगपति और बिल्डर इस ज़मीन पर टाउनशिप, मॉल, होटल और क्लब बनाने की तैयारी में हैं. किसानों को आज जिस ज़मीन के लिए 570 रुपये प्रति वर्ग मीटर की क़ीमत दी जा रही है, अगले बीस सालों में उसकी क़ीमत 5 हज़ार रुपये से ज़्यादा हो जाएगी. उद्योग जगत में आजकल वायदा कारोबार का जोर है. ज़मीन किसान की और फ़ायदा उद्योगपतियों एवं बिल्डरों का, यह सरासर बेईमानी है. इस शोषण की ज़िम्मेदार सरकार और उसकी बनाई नीतियां हैं, जो औने-पौने दामों पर ग़रीब किसानों की ज़मीन हड़प रही है. किसानों को यह लगने लगा है कि सरकार उनकी हितैषी नहीं है. वह एक दलाल की भूमिका में है और किसानों के गुस्से की असल वजह यही है.

आदित्य पूजन

विरोध के बदले गोली. बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं यानी समाज का हर तबका लाठी-डंडों के साथ एक साथ खड़ा था. किसान आंदोलन की यह आग आगरा, मथुरा और अलीगढ़ के रास्ते पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गई. किसानों के इस उग्र विरोध के पीछे सरकार का अक्खड़ रवैया है, जो 10,000 करोड़ रुपये के यमुना एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट के लिए उनकी ज़मीनों को औने-पौने दामों पर अधिग्रहीत करना चाहती है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कम से कम आठ एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है. प्रदेश के तीव्र विकास के इरादे से प्रस्तावित इन परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में ज़मीन की ज़रूरत है, जिससे लाखों किसान प्रभावित हो सकते हैं. लेकिन अलीगढ़, मथुरा और आगरा क्षेत्र के किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने के बाद यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नया दौर शुरू होने वाला है.

उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस-वे के अलावा गंगा एक्सप्रेस-वे, अपर गंगा कैनाल प्रोजेक्ट, झांसी-कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, आगरा-कानपुर एक्सप्रेस-वे, बिजनौर-मुरादाबाद एक्सप्रेस-वे, लखनऊ-बाराबंकी-नानपारा एक्सप्रेस-वे और नरौरा से उत्तराखंड की सीमा तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है. एक अनुमान के मुताबिक़ , इन परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से राज्य के 23,512 गांव प्रभावित होंगे. इसका मतलब यह है कि राज्य में स्थित कुल 1.08 लाख गांवों में से क़रीब एक चौथाई पर असर पड़ेगा. विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, गंगा एक्सप्रेस-वे के रास्ते में आने वाले 2160 गांवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. इसी तरह यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण से 1191, अपर गंगा कैनाल प्रोजेक्ट से 1562, झांसी-कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे से 5300, आगरा-कानपुर एक्सप्रेस-वे, बिजनौर-मुरादाबाद एक्सप्रेस-वे एवं लखनऊ-बाराबंकी-नानपारा एक्सप्रेस-वे में प्रत्येक से 2160 और नरौरा-उत्तराखंड एक्सप्रेस-वे के रास्ते में आने वाले 1440 गांवों के अस्तित्व पर ख़तरा पैदा हो जाएगा. हालांकि सरकारी अधिकारी इस आंकड़े को मानने से इंकार करते हैं. उनका कहना है कि इनमें से अधिकांश परियोजनाएं अभी तैयारी के स्तर पर ही हैं और प्रभावित होने वाले गांवों की वास्तविक संख्या के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे यह स्वीकार करते हैं कि इनके लिए अधिग्रहीत की जाने वाली अधिकांश ज़मीन ग्रामीणों की ही होगी.

किसान इसी का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनकी ज़मीन उनके जीवनयापन का ज़रिया है, उनकी ज़िंदगी है. उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य आधार भी यही है. वे भला इसे सरकार को क्यों दें. ज़मीन के बदले मिलने वाली राशि उनके लिए कोई मायने नहीं रखती. यमुना एक्सप्रेस-वे के ख़िलाफ़ विरोध के स्वर उठे तो राज्य सरकार ने मुआवज़े की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया था, लेकिन किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. सरकार ने उनके परिजनों को इन परियोजनाओं में नौकरी उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया, लेकिन किसानों का तर्क है कि वे अपनी ज़मीन के मालिक हैं, फिर इस पर बनने वाली परियोजना में चपरासी क्यों बनें. सच्चाई यह है कि किसान मुआवज़े में मिलने वाली राशि से भी ख़ुश नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2009-10 में 412 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवज़े की दर तय की गई थी. इसके अलावा प्रति वर्ग मीटर ज़मीन के लिए 24 रुपये एक्स ग्रेसिया किसानों को दिया जाना था. इस वर्ष मुआवज़े की राशि को बढ़ाकर 425 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया और एक्स ग्रेसिया को बरक़रार रखा गया. आंदोलन की शुरुआत होने के बाद सरकार ने इसे बढाकर 570 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया, लेकिन किसानों को यह भी मंजूर नहीं. उनकी मांग है कि उन्हें वही कीमत मिले जो नोएडा के किसानों को दी गई थी, यानी कि 900 रुपए प्रति वर्ग मीटर. सरकार का दावा है कि उसका किसानों के साथ समझौता हो चुका था और ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी. किसान बहकावे में आकर अपनी ज़ुबान से मुकर रहे हैं. उसने मुआवज़े की राशि और बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया, लेकिन किसान इसके लिए राजी नहीं हैं. किसानों के गुस्से की एक बड़ी वजह एक्सप्रेस-वे के किनारे बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं. यमुना एक्सप्रेस-वे पर ग्रेटर नोएडा के पास एक टाउनशिप बनाने की योजना है, जिसके लिए जानी-मानी रीयल इस्टेट कंपनी सुपरटेक 2000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है. इसके लिए 100 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किए जाने की योजना है. किसानों का कहना है कि सरकार उनसे सस्ती दर पर ज़मीन लेकर निजी कंपनियों को ज़मीन दे रही है और करोड़ों की कमाई कर रही है. किसान इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं. वे सरकार की बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकार उनके हितों की अनदेखी कर निजी कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रही है. सवाल केवल सरकार के चरित्र का ही नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारियों के नज़रिए का भी है. 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस-वे राज्य के छह ज़िलों गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, महामायानगर एवं आगरा से होकर गुज़रेगा और इसके लिए इन ज़िलों के क़रीब 400 गांवों से लगभग 43,000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहीत की जाएगी और क़रीब सात लाख की आबादी इससे प्रभावित होगी. एक्सप्रेस-वे की अन्य परियोजनाएं भी जिन इलाक़ों से होकर गुज़रती हैं, वहां की ज़मीन को उपजाऊ माना जाता है. इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से नई दिल्ली से आगरा केवल दो घंटे में पहुंचना संभव हो सकेगा, लेकिन इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा. किसानों का कहना है कि सरकार ऐसी परियोजनाओं के लिए उन इलाक़ों को क्यों नहीं चुनती, जहां फ़सल अच्छी नहीं होती. उनके तर्कों में दम है और इससे सरकार एवं उसके अधिकारियों की सोच पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है.

यमुना एक्सप्रेस-वे के ख़िलाफ़ किसानों के विरोध के केवल सामाजिक, आर्थिक और सरकारी पहलू ही नहीं हैं, बल्कि यह राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है. विरोध की यह घटना जिस तरह स्वत:स्फूर्त थी, वह वास्तव में चौंकाने वाला है. इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक यह है कि इसे कोई राजनीतिक नेतृत्व हासिल नहीं था. मतलब यह कि इसकी शुरुआत किसी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं हुई थी. किसान ख़ुद ही अपने हितों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए. राज्य की सियासी पार्टियों ने इसे अपने क़ब्ज़े में लेने की भरपूर कोशिश की. कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय लोकदल, भाजपा, लोजपा और वामपंथी पार्टियां तक एक के बाद एक करके किसानों के समर्थन में उतर आए, लेकिन किसानों ने उन्हें भाव नहीं दिया. और राजनीतिक दल किसानों के इसी रुख़ से सहमे हुए हैं. उन्हें लगता है कि किसानों की बात नहीं मानी गई तो वे अपनी सामाजिक-आर्थिक मांगों को राजनीतिक स्वरूप दे सकते हैं. यदि 23 हज़ार से भी ज़्यादा गांवों के किसान राजनीतिक रूप से एकजुट हो गए तो राज्य का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा. सत्ता की चाबी उसी दल के पास होगी, जिसे किसानों का समर्थन हासिल होगा.

यहां सवाल केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत का है. इस तरह की परियोजनाएं देश के अन्य हिस्सों में भी चल रही हैं, जिनके लिए किसानों की ज़मीनों की ज़रूरत है. आंध्र प्रदेश में पावर प्लांट के लिए अपनी ज़मीन लिए जाने से गुस्साए किसान पहले ही पुलिस की गोली का शिकार हो चुके हैं. उड़ीसा में जंगलों से विस्थापन के ख़िलाफ़ विरोध कर रही ग़रीब जनजातियों पर भी पिछले कुछ महीनों में गोलियां चल चुकी हैं. महाराष्ट्र में भी ऐसा हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है. यदि किसान और जनजातीय समुदाय अपनी मांगों को लेकर राजनीतिक रूप से लामबंद हो जाते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप भी पूरी तरह परिवर्तित हो सकता है.

1950 के बाद से औद्योगीकरण के नाम पर लगातार किसानों को भूमिहीन बनाकर विस्थापित होने को मजबूर किया जाता रहा है. सरकार यह नहीं सोचती कि विकास की इस दोषपूर्ण प्रक्रिया के चलते खेती लायक़ ज़मीन वैसे ही कम होती जा रही है, फिर इस तरह की परियोजनाओं का क्या औचित्य है. लेकिन अब उसे किसानों की मांगों पर ध्यान देना ही होगा. उसके पास न तो ज़्यादा वक़्त है और न ही ज़्यादा विकल्प. उसे किसानों की हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी क़दम तत्काल उठाने होंगे और इसके लिए पहली ज़रूरत ज़मीन अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में बदलाव है. अंग्रेजों के बनाए इस क़ानून में सरकार निजी कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करती है. इसमें बदलाव करना होगा, ताकि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और स्पष्ट हो सके. साथ ही किसानों को मिलने वाली मुआवज़े की राशि उनकी ज़मीन की 20 साल बाद होने वाली क़ीमत के आधार पर तय की जाए. सिंगूर और नंदीग्राम में ग़रीब किसानों के विरोध ने यह संकेत दे दिए हैं कि देश के किसान अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हो चुके हैं. सरकार ने अपने रवैये में सुधार कर ज़मीन अधिग्रहण क़ानून में बदलाव नहीं किए तो किसानों का यह विरोध देश की राजनीति का गेम चेंजर साबित हो सकता है.

aditya@chauthiduniya.com

फोटो-**प्रभात पाण्डेय**

सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज़ एक्ट 1985 के आधार पर इस कंपनी को बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रीकंसट्रक्शन (बीआईएफआर) के हवाले कर दिया गया.

दिल्ली, 13 सितंबर–19 सितंबर 2010
चौथी दुनिया

हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन बरौनी

विकास के वादे कहां गए

बरौनी का खाद कारखाना 2002 से बंद पड़ा है. इसके लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी ज़िम्मेदार है. मौजूदा जदयू-भाजपा गठबंधन सरकार का कार्यकाल अब पूरा होने वाला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन सरकार के दावों की हक़ीक़त बरौनी के इस कारखाने की हालत को देखकर समझी जा सकती है. नीतीश वादानुसार बंद पड़े उद्योग नहीं खुलवा सके, वहीं कामगारों का पलायन होता रहा.

कुमार सुशांत

बिहार का बरौनी स्थित हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल). 1990 के आसपास इस कारखाने में अच्छी ख़ासी मात्रा में उर्वरक का उत्पादन होता था, लेकिन 2002 में केंद्र में एनडीए और बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान यह कारखाना घाटे के चलते बंद हो गया. कारखाना बंद होने से इससे जुड़े हज़ारों कामगार बेरोज़गार हो गए. इस क्षेत्र के लोगों की मानें तो 1990 से बिहार में शासन कर रहे लालू यादव से उनकी उम्मीदें न के बराबर थीं, लेकिन 2005 में सत्ता परिवर्तन के बाद आए नीतीश कुमार से उनकी काफी उम्मीदें जगी थीं, पर अब वो भी ख़त्म हो गईं. बेगूसराय ज़िला अंतर्गत सिमरिया निवासी ओमप्रकाश यादव पहले इस कारखाना में काम करते थे. वह कहते हैं, कारखाने की बंदी के लिए हम केंद्र को नहीं, अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं. हमने उनके संसदीय उम्मीदवार को वोट दिया था और उन्होंने इस कारखाने को खुलवाने का वादा किया था.

बरौनी में तीन कारखाने हैं. पहला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का बरौनी तेलशोधक कारखाना, दूसरा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन और तीसरा हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड. हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कारखाना 2002 से बंद पड़ा है. पिछले साल इसके पुनरुत्थान के लिए शिलान्यास करने रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां एक साथ पहुंचे. उस समय रामविलास पासवान केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे और लालू यादव रेल मंत्री. बिहार में तीनों परस्पर विरोधी नेताओं का एक साथ खड़े होकर किसी कार्य के प्रति जागरूकता दिखाना अपवाद माना जाता है. शिलान्यास के दौरान रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार के विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर हम साथ-साथ हैं. पासवान ने बताया कि इस कारखाने के नवीनीकरण का कार्य 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिस पर 4500 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 11.55 लाख मीट्रिक टन होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यदि यह कारखाना निश्चित समय पर उत्पादन प्रारंभ कर देता है, तो विद्युत विभाग इस कारखाने पर 275 करोड़ रुपये का अपना बकाया माफ कर देगा. चूंकि घोषणा पासवान ने की थी, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली बिल माफ करने संबंधी बात कर शर्त लगा दी. उन्होंने सोचा कि समय पर कारखाना तो खुलने से रहा तो क्यों न पासवान के भाषण की किरकिरी करा दें और अपने मुंह मियां मिट्ठू भी बन जाएं. नीतीश कुमार यह भूल गए कि वह राज्य के मुखिया हैं, ऐसे में अगर कोई केंद्रीय मंत्री बिहार के विकास की बात करता है तो उसे राजनीति से परे हटकर देखना चाहिए. लालू यादव ने भी बरौनी के निकट स्थित सोनपुर रेल मंडल के सिमरिया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर दिनकर नगर रेलवे स्टेशन करने और उसे एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा कर दी. न तो कारखाने का नवीनीकरण कार्य शुरू हुआ, न कारखाने पर बिजली विभाग का बकाया माफ हुआ और न सिमरिया रेलवे स्टेशन का नाम बदला.

सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज़ एक्ट 1985 के आधार पर इस कंपनी को बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रीकंसट्रक्शन (बीआईएफआर) के हवाले कर दिया गया. बोर्ड द्वारा पेश रिपोर्ट में इन कंपनियों की हालत ठीक नहीं बताई गई. बोर्ड ने एचएफसी के पुनरुत्थान के लिए पैकेज की मांग की, लेकिन फंड के अभाव में निर्देशित राशि आवंटित नहीं की जा सकी, जिससे बरौनी प्लांट की हालत दिनोंदिन बदतर होती गई. एचएफसी की वित्तीय हालत सुधारने के लिए 1997 में आईसीआईसीआई की एक विशेषज्ञ टीम ने फिर से अनुशंसा की, जिस पर सरकार ने अमल करते हुए पुनरुत्थान के लिए 350 करोड़ रुपये के निवेश की स्वीकृति दी थी. यह तो सरकारी प्रक्रिया के मुताबिक़ था, लेकिन असल में केंद्र की यूपीए सरकार और राज्य की नीतीश सरकार अब तक इस प्लांट को खुलवाने में नाकाम रही है. प्लांट में काम करने वाले बबलू पासवान बताते हैं कि इसके खुलने की उम्मीद हम सालों से कर रहे हैं. हम लोगों ने मोनाज़िर हसन पर विश्वास करके उन्हें सांसद बनाया, लेकिन अब उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव एवं 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहीं अमिता भूषण का कहना है कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. वह चाहते तो इस कारखाने को अपनी पहल से चला सकते थे, ताकि हज़ारों लोगों की रोजी-रोटी चलती रहे, लेकिन सरकार न तो कारखाना खुलवा सकी, न पलायन रोक सकी और न इस क्षेत्र के पिछड़े ग्रामीणों का विकास कर सकी.

भारत में कुल आबादी का 70 फ़ीसदी हिस्सा सीधे तौर पर कृषि से जुड़ा है, लेकिन यहां कृषि की हालत नाजुक है. पिछले कई वर्षों से किसानों को सही समय पर उर्वरकों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. नतीजतन, किसानों को ऊंची क़ीमतों पर उर्वरक ख़रीदना पड़ता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़, देश में 2002-06 के दौरान हर साल 17,500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की. इसके पीछे कहीं न कहीं सूखा, कम उत्पादन, उचित मूल्य न मिलना और उर्वरकों की कालाबाज़ारी जैसी वजहें रहीं. दूसरी तरफ़ देश में उर्वरक उत्पादन करने वाले कई सरकारी कारखाने बंद पड़े हैं. सरकार को समझना होगा कि यदि इन कारखानों को खुलवा दिया जाए तो न केवल बेरोज़गारी की समस्या किसी हद तक दूर हो जाएगी, बल्कि उर्वरकों की कालाबाज़ारी भी बंद हो जाएगी.

देश में हरित क्रांति लाने एवं किसानों को उर्वरक की समस्या से निज़ात दिलाने के मक़सद से यह कारखाना खोला गया था. दुर्भाग्य की बात यह कि ये कारखाने ऐसे समय में बंद पड़े हैं, जब देश में जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ रही है, बदतर हालात के चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कमरतोड़ महंगाई से ग़रीब हलकान हो रहे हैं. असल में हरित क्रांति की ज़रूरत तो अब है. इन कारखानों की बंदी के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह ज़िम्मेदार है, लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार को भी ज़िम्मेदारी लेनी होगी. बरौनी के इस कारखाने के बंद होने से हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए थे. उनकी उम्मीदें केंद्र सरकार के साथ-साथ बिहार से पलायन रोकने और रोज़गार दिलाने संबंधी वादे करने वाले नीतीश कुमार पर भी टिकी थीं, लेकिन राज्य के मुखिया उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने में पूरी तरह नाकाम रहे. नीतीश कुमार को उद्योग खुलवाने की चिंता कम और हर साल विकास रिपोर्ट कार्ड बनाने की चिंता ज़्यादा है. वह सिर्फ़ जनता दरबार और चुनिंदा विकास कार्यों के जरिए वाहवाही लूट रहे हैं. बेगूसराय ज़िले की आबादी तक़रीबन 18 लाख है, जिसमें 90 फीसदी से ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाक़ों में रहते हैं और रहन-सहन एवं शिक्षा के मामले में काफी पिछड़े हैं. बिहार का यह एक ज़िला सरकारी दावों की सारी पोल खोल देता है. नीतीश कुमार सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है. चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं. नीतीश एक बार फिर जीतकर आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य की दिक्कतों को समझने के लिए नीतीश कुमार को भी लालू यादव की तरह 15 वर्षों का समय चाहिए?

kumar sushant@chauthiduniya.com

आंकड़ों में एचएफसी

- 1968 में इंदिरा गांधी की अनुशंसा पर खुला था बरौनी खाद कारखाना.
- 1978 में फर्टिलाइज़र कॉ. ऑफ इंडिया बना हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉ.
- बरौनी प्लांट की उत्पादन क्षमता एक लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा थी.
- पुराने उपकरणों की वजह से धीरे-धीरे प्लांट के उत्पादन पर असर.
- 1997-98 में प्लांट का उत्पादन घटकर 20 हज़ार मीट्रिक टन से भी कम हो गया.
- 1998 तक कंपनी को 145 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ.
- 2002 में प्राकृतिक गैस की अनियमित आपूर्ति से प्लांट बंद हो गया.

कोई हमारी भी सुनो

एचएफसी का बरौनी कारखाना बंद होने से हज़ारों कर्मचारियों की हालत सोचनीय हो गई. कारखाने में जिनकी नौकरी कम दिनों की बची थी, उन्हें पेंशन तो मिलने लगी, लेकिन जिनकी नौकरी 10 साल से अधिक बची थी, उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया. कर्मचारियों का आरोप है कि कारखाना बंद होने की ख़बर पर जब उन्होंने मज़दूरी पुनरीक्षण और कारखाने से निकाले जाने के बाद अपने रोज़गार की मांग की तो उन्हें जबरन बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. बिहट निवासी अशोक सिंह पहले एचएफसी में काम करते थे. वह कहते हैं कि कारखाने में 1992 से मज़दूरी पुनरीक्षण बाकी है. उनकी नौकरी 22 साल शेष रहने के बावजूद उन्हें निकाल दिया गया. उनके सैकड़ों साथियों को भी जबरन कारखाने से निकाला गया. सबने मिलकर पटना उच्च न्यायालय में मुक़दमा कर दिया. अशोक इस बात से ख़ुश हैं कि इसी साल 28 जुलाई को अदालत ने कर्मचारियों के पक्ष में फ़ैसला दिया है. कर्मचारियों ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के पास अदालत के फ़ैसले की प्रति और अपनी अर्जी भेजी है. एचएफसी के पूर्व कर्मचारी देवनंदन पासवान का कहना है कि पूर्व रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने रामविलास पासवान ने उन्हें फिर से नौकरी देने की बात की थी, इसीलिए जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया, उन्हें मजदूरी पुनरीक्षण के साथ दूसरे प्लांटों में ही सही, पर नौकरी दी जाए. अदालत के फैसले के बावजूद कर्मचारियों को आशंका है कि कहीं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय उनकी मांग ठंडे बस्ते में न डाल दे.

देवनंदन पासवान

अशोक सिंह

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड बरौनी यूनिट
HINDUSTAN FERTILIZER CORPORATION LIMITED BARAUNI UNIT

मेरी दुनिया.... मैच फिक्सिंग और पाकिस्तानी खिलाड़ी! ...धीर

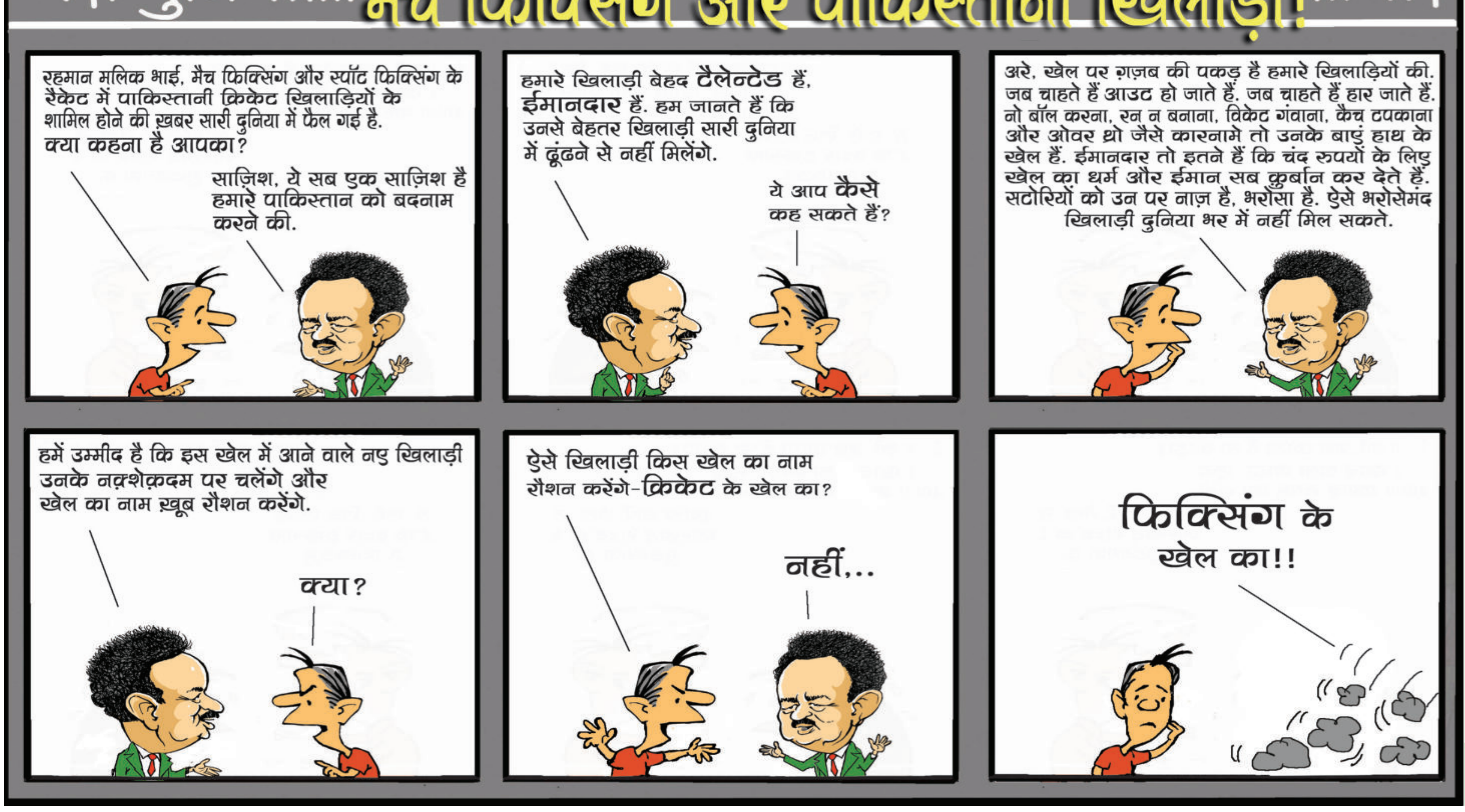
रहमान मलिक भाई, मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के रैकेट में पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों के शामिल होने की ख़बर सारी दुनिया में फैल गई है. क्या कहना है आपका?
साज़िश, ये सब एक साज़िश है हमारे पाकिस्तान को बदनाम करने की.
हमारे खिलाड़ी बेहद टैलेन्टेड हैं, ईमानदार हैं. हम जानते हैं कि उनसे बेहतर खिलाड़ी सारी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेंगे.
ये आप कैसे कह सकते हैं?
अरे, खेल पर ग़ज़ब की पकड़ है हमारे खिलाड़ियों की. जब चाहते हैं आउट हो जाते हैं. जब चाहते हैं हार जाते हैं. नो बॉल करना, रन न बनाना, विकेट गंवाना, कैच टपकाना और ओवर थ्रो जैसे कारनामे तो उनके बाएं हाथ के खेल हैं. ईमानदार तो इतने हैं कि चंद रुपयों के लिए खेल का धर्म और ईमान सब क़ुर्बान कर देते हैं. सटोरियों को उन पर नाज़ है, भरोसा है. ऐसे भरोसेमंद खिलाड़ी दुनिया भर में नहीं मिल सकते.
हमें उम्मीद है कि इस खेल में आने वाले नए खिलाड़ी उनके नक़्शेक़दम पर चलेंगे और खेल का नाम ख़ूब रौशन करेंगे.
क्या?
ऐसे खिलाड़ी किस खेल का नाम रौशन करेंगे-क्रिकेट के खेल का?
नहीं,...
फिक्सिंग के खेल का!!

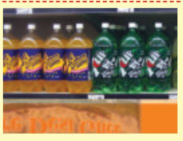

जिधर देखो उधर मिलावट

सुरेंद्र अग्निहोत्री

बनारस की शान और लबों पर सुर्ख़ी लाने वाले पान में अब कत्थे के स्थान पर गैम्बियर का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है. उत्तर प्रदेश में जनवरी से मई 2010 तक 51 स्थानों पर छापे मारकर सैकड़ों नमूने लिए गए. जिनमें से 19 नमूनों में गैम्बियर पाए जाने पर सरकार ने संबंधित लोगों के ख़िलाफ़ कार्यवाही के आदेश दिए हैं. मालूम हो कि बीते दिनों प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भी कानपुर दौरे के दौरान रंग मिली मूंग की दाल परोसने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह एसपीजी की सतर्कता से मिलावटी दाल खाने से बच गए थे. उत्तर प्रदेश में मिलावटी और नकली सामान के इस्तेमाल के अलावा आम आदमी के सामने कोई विकल्प नहीं है. कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर नकली और मिलावटी सामानों का हब बन गया है. शासन–प्रशासन की चुप्पी इस काले कारोबार को बढ़ने में मदद कर रही है. आईआईटी कानपुर के 4200 से अधिक छात्रों को जो दाल खाने को मिलती है, उसी का थोड़ा सा हिस्सा प्रधानमंत्री के मेन्यू में उपयोग होने से पोल खुल गई. यह दाल बिग बाज़ार से ख़रीदी गई थी. जन विश्लेषण प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट से इस तथ्य का खुलासा हो चुका है कि इस दाल में ख़तरनाक रंग मिलाया गया था.

हालात इतने भयावह हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, बिजनौर, जेपी नगर, मुरादाबाद, बदायूं एवं मेरठ आदि जनपदों में चर्बी से सैकड़ों क्विंटल घी तैयार किया जा रहा है. राजनीतिक संरक्षण के चलते यह खेल खुलेआम हो रहा है. 1857 की क्रांति गाय और सुअर की चर्बी कारतूस में लगाने के कारण भले हुई हो लेकिन आज लोग चांदी के चंद चमकते सिक्कों की ख़ातिर गाय और सुअर की चर्बी घी के रूप में बेचने पर आमादा हैं. मुख्यमंत्री मायावती की बार–बार घोषणा के बावजूद यह काला कारोबार ख़त्म नहीं हो पा रहा है. ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन के माध्यम से भैंसों और गायों से अधिक से अधिक दूध निचोड़ लेने के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं. एक ग़ैर सरकारी संगठन ने बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में ऑक्सीटोसिन युक्त दूध का सेवन करने वाली महिलाओं का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए. इस दूध का सेवन करने से महिलाओं के गर्भाशय ख़राब हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें गर्भाशय निकलवाने का कष्टदायक ऑपरेशन कराने को मजबूर होना पड़ता है.

मुख्यमंत्री मायावती ने खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट करने वालों और ऑक्सीटोसिन की अवैध बिक्री के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा संचालित किए गए अभियान को संतोषजनक बताते हुए कहा कि जो ज़िलाधिकारी इस अभियान के दौरान संतोषजनक परिणाम देने में असफल रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिलावटखोरों और मानव स्वास्थ्य के लिए घातक नकली– प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री–उत्पादन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए. विशुद्ध खाद्य पदार्थों एवं प्रमाणिक औषधियों की बिक्री सुनिश्चित की जाए. निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी यदि लापरवाही अथवा उदासीनता बरतते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कठोर कार्यवाही की जाए.

विगत दो माह के दौरान ऑक्सीटोसिन की अवैध बिक्री एवं उपयोग के मामले में चलाए गए अभियान में 71 लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई और 63 लोगों को गिरफ़्तार किया गया. इसके अलावा बीती जुलाई में अपमिश्रित खाद्य पदार्थ एवं प्रतिबंधित रंगों आदि के मामले में 190 लोगों को नामजद और 90 दोषियों को गिरफ़्तार किया गया. इस दौरान लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ ज़ब्त किए गए. इसी तरह कार्बाइड के माध्यम से कच्चे केले को पकाने की प्रक्रिया अनेक जानलेवा बीमारियों का सबब बन रही है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की पहल पर मिलावटखोरों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में खाद्य अपमिश्रण क़ानून के तहत 2009 में 21662 नमूने लिए गए, जिनमें 3292 मिलावटी पाए गए. 242 लोगों को अदालत में सज़ा मिली और 13.20 लाख रुपये बतौर अर्थदंड वसूले गए. नकली एवं घटिया दवाएं पकड़ने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 1578 छापे डाले गए, जिनमें 5435 नमूने एकत्र किए गए. 1403 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 27 नकली एवं 28 घटिया पाए गए. कुल 57 वाद दायर किए गए, जिनमें 85 लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज की गई और 109 लोग गिरफ़्तार किए गए. इस वर्ष होली के अवसर पर 22 अप्रैल से 8 मार्च तक चलाए गए अभियान में 3439 नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया. 56 मिलावटखोर जेल भेजे गए. 3476 स्थानों पर छापे मारे गए. 47 लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई गई और एक करोड़ रुपये से अधिक का नकली सामान नष्ट किया गया.

विगत दो माह के दौरान ऑक्सीटोसिन की अवैध बिक्री एवं उपयोग के मामले में चलाए गए अभियान में 71 लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई और 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा बीती जुलाई में अपमिश्रित खाद्य पदार्थ एवं प्रतिबंधित रंगों आदि के मामले में 190 लोगों को नामजद और 90 दोषियों को गिरफ़्तार किया गया.

मालूम हो कि आगरा, मेरठ, वाराणसी एवं गोरखपुर में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जबकि झांसी में एक प्रयोगशाला खोलने का प्रस्ताव है.

मिलावटी और नकली सामानों से बाज़ार भरा पड़ा है. पिछले माह हमीरपुर में दो हज़ार बोरे खेसारी दाल बरामद की गई थी, जिसे खाने से विकलांगता का ख़तरा रहता है. दूध, दही, खोया, छेना, पनीर, सरसों का तेल, मसाले, चायपत्ती, सॉस, घी, बेसन, धनिया एवं हल्दी जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें मिलावटखोरों की गिरफ़्त में आ चुकी हैं. पिछले दिनों हुई कार्रवाई में आइसक्रीम से लेकर नमकीन, गरम मसाला, फ्रूट बियर, बेसन, नमक, काला नमक, हल्दी, मेवा दूध और देसी घी आदि में ज़बरदस्त मिलावट पाई गई. कानपुर शहर से पूर्वांचल के लगभग सभी ज़िलों के अलावा नेपाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक यह मिलावटी सामान सप्लाई किया जाता है. यह जानकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि बच्चों को जो टॉफी–चाकलेट खिलाई जा रही है, वह दरअसल ज़हर की गोली है. नकली सामान बेचने वालों ने ब्रांडेड चाकलेट बनाने वाली कंपनियों की हूबहू नकल बाज़ार में उतार दी है. बाज़ार के क़रीब 70 फ़ीसदी हिस्से पर नकली खाद्य उत्पादों का क़ब्ज़ा हो चुका है. छह माह पूर्व देश की मशहूर कंपनी कोठारी प्रोडक्ट्स के नमकीन में मिलावट पकड़े जाने पर शहर की एक अदालत ने एक करोड़ रुपये जुर्माने और दस साल की कैद की सज़ा सुनाई थी. इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया. इसके बाद शहर के मयूर ब्रांड वनस्पति तेल में भी मिलावट पाई गई. देश भर में प्रसिद्ध यहां के लड्डू भी मानक के अनुसार नहीं मिले. शहर से निकलने वाले सब्जी मसालों ने टाटा स्पाइसेस जैसी बड़ी कंपनी में ताला जड़वा दिया. मिलावट के चलते टाटा इनसे प्राइस वार में हार गया. यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि बिकने वाली कौन सी वस्तु नकली या मिलावटी नहीं है.

Verka
Swad Punjab Da
Pure Desi Ghee
Clarified Butter - Beurre Clarifiè
Net Weight / Poids Net : 400 gms/.875 lbs.

शहर में रोज़ाना दस लाख लीटर दूध की खपत है. अमूल व पराग से डेढ़ लाख लीटर, चट्टे वालों से तीन लाख लीटर और दूधियों से केवल तीन लाख लीटर दूध मिलता है. कुल मिलाकर साढ़े सात लाख लीटर दूध की सप्लाई है. बाक़ी ढाई लाख लीटर दूध कहां से आता है? इस बारे में शहर का स्वास्थ्य विभाग मौन है? क्रीम, पाउडर, शैंपू और हेयर ऑयल में भी जमकर मिलावट हो रही है. शहर में कॉस्मेटिक का 150 करोड़ रुपये का कारोबार है. इसमें से 80 से 90 करोड़ रुपये नक्कालों की भेंट चढ़ जाते हैं. शहर की लगभग 95 फ़ीसदी महिलाएं सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती हैं. यहां दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों से भी ब्रांडेड कंपनियों का माल आता है. पिछले दिनों यहां के ओमपुरवा इलाक़े के घनश्यामपुर स्थित लक्ष्मी दाल मिल में छापा मारा गया. टीम तो मिलावटी दाल बरामद करने गई थी, लेकिन वहां हल्दी, मसाला, दाल और चूने में मिलावट की भी फैक्ट्री मिली. वहां अवैध रूप से फ्रूट बीयर, फिनायल और सोडे के साथ–साथ जूते–चप्पल के रैपर भी बनते हुए मिले. ज़िलाधिकारी ने फैक्ट्री सील करा दी. टीम ने चार लोगों को हिरासत में लिया, जबकि हल्दी बनाने वाला मिलावटखोर फ़रार हो गया. पता चला कि दाल मिल संचालक राजीव गुप्ता ने कई लोगों को परिसर में कमरे किराए पर दे रखे थे. वहां घटिया किस्म की अरहर की दाल केमिकल लगाकर चमकाई जा रही थी. वहां से दो सौ बोरी घटिया दाल बरामद की गई. परिसर में नयागंज निवासी अनिल गुप्ता की वृंदावन प्रोडक्ट के नाम से साबुन–हल्दी की फैक्ट्री है. साबुन पीला करने के लिए कई तरह के पीले केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे थे. एक कमरे में गंगा बिहार निवासी पवन गुप्ता की मासूम सब्जी मसाला के नाम से फैक्ट्री थी. वहां चावल के कने में पीला केमिकल मिलाकर उसे हल्दी का रूप दिया जा रहा था. सड़ी लालमिर्च और जंगली घासों को पीसकर मसाला बनाया जा रहा था. एक अन्य कमरे में चूना पीसने की फैक्ट्री थी. चूने में पत्थर पीस कर मिलाया जा रहा था. मौक़े पर पकड़े गए ओमपुरवा निवासी राकेश जायसवाल ने बताया कि वह चूना फैक्ट्री का मैनेजर है और वैष्णों लाइम स्टोर हालसी रोड के मालिक राकेश त्रिपाठी के लिए काम करता है. यहीं बुलंद इंटरप्राइजेज के नाम से केडीए कॉलोनी निवासी सनी गुप्ता द्वारा फिनायल और पीने वाले सोडे की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी. इसमें भी घटिया केमिकल मिलाए जा रहे थे. केडीए कॉलोनी निवासी शादाब चौधरी द्वारा रॉयल कलेक्शन के नाम से जूता और चप्पल का रैपर बनाया जा रहा था.

गुटखे का कारोबार पूरी तरह मिलावट के दम पर फल–फूल रहा है. पिछले बीस वर्षों से गुटखे की क़ीमत 1 रुपये पर स्थिर है, जबकि चूना, सुपाड़ी और कत्थे की क़ीमत दस गुनी महंगी हो गई है. कानपुर में राजनीतिक गठजोड़ के बल पर नकली और मिलावटी सामान का खेल वर्षों से खेला जा रहा है. इसकी एक झलक तब दिखी, जब बीते अप्रैल माह में बर्रा पुलिस ने घाटमपुर के पूर्व सांसद आसकरन शंखवार के घर में नकली देसी घी के कारोबार का भंडाफोड़ किया था. वहां से 25,000 किलो नकली देसी घी बरामद किया गया, जो कसक, शुद्ध और गोपाला ब्रांड नाम से बेचा जाता था. मिलावट का खेल इतने जोर–शोर से चल रहा है कि लखनऊ में नकली बेर पाउडर खाने से 6 लोगों की मौत तक हो चुकी है. महामायानगर–हाथरस से बनकर आने वाले कृत्रिम बेर पाउडर में लकड़ी का बुरादा, सेलम पाउडर एवं अनेक हानिकारक केमिकल मिले हुए थे. राजधानी लखनऊ में ही लाखों रुपये की नकली दवाइयां, एवं खाद्य सामग्री पकड़ी जा चुकी है. मिलावटी सरसों का तेल बेचने के आरोपी दीनानाथ गुप्ता को फास्टट्रैक न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने आजीवन कारावास और पांच हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. 5 फरवरी, 2005 को क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक ने दीनानाथ की दुकान पर छापा मारकर मिलावटी तेल बरामद किया था, जिसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड पाया गया. मालूम हो कि मिलावटी सरसों के तेल के इस्तेमाल से राजाजीपुरम क्षेत्र में तीन लोगों की मौत हो गई थी. सीबीआई ने प्रदेश सरकार से चंदौसी में पेट्रोल और डीज़ल में मिलावट के चार मामलों में जांच की अनुमति मांगी है. सीबीआई के उपनिदेशक जावेद अहमद का कहना है कि राज्य में संगठित अपराधी और व्यापारी खुलेआम पेट्रोल–डीज़ल में मिलावट कर रहे हैं. पुलिस भी इस खेल में शामिल हैं, जिसके चलते मुगलसराय के आलीनगर क्षेत्र में सील किए गए टैंकर तक लापता हो गए.

दूध में सबसे अधिक मिलावट

एक जनवरी, 2009 से अप्रैल 2010 तक दूध के 3932 नमूने मिलावट के संदर्भ में लिए गए, जिनमें 1403 अधोमानक–अपमिश्रित पाए गए. प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण– बिक्री की रोकथाम हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवं तत्संबंधी नियमावली 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा विभाग से पृथक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन किया गया है. प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु विभागीय टास्क फोर्स का गठन करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को अपमिश्रण की रोकथाम हेतु नियुक्त किया गया है.

feedback@chauthiduniya.com

सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में ही कहा है, भारत में मुसलमानों के बीच वंचित होने की भावना काफी आम है.

कांग्रेस के युवराज का नया राजनीतिक पैंतरा

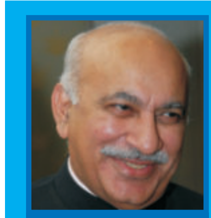

एम जे अकबर

क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ दिया है? स्पष्ट शब्दों में कहें तो कांग्रेस के युवराज, जिन्हें उनके कई समर्थक भगवान कृष्ण के आधुनिक अवतार के रूप में देखते हैं, ने कहीं कांग्रेस–नीत सरकार के स्थापित सत्ता केंद्रों को चुनौती देना शुरू तो नहीं कर दिया है? ऐसा सत्ता केंद्र, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके गृह मंत्री पी चिदंबरम बैठे हुए हैं. इस सवाल की ठोस वजहें हैं. लंबे समय से मध्यमार्गी–दक्षिणपंथी विचारधारा का दोहन कर रही कांग्रेस को यह लगने लगा है कि अब इससे ख़ास फ़ायदा नहीं मिलने वाला. इसलिए वह मध्यमार्गी–वामपंथी नीतियों की ओर आगे बढ़ने लगी है. हालांकि, इन दोनों नज़रियों का मतलब अब बदल चुका है. सच्चाई तो यह है कि पिछले दो दशकों में केंद्र ही अपने स्थान से खिसक गई है और इसके साथ वामपंथ एवं दक्षिणपंथ भी खिसका है. वामपंथ अब किसी विचारधारा का नहीं, बल्कि पॉपुलिज़्म का प्रतिनिधित्व करता है. मार्क्सवादी विचारधारा 1990 के दशक में ही मर चुकी थी और मिखाइल गोर्बाचेव एवं डेंग जियाओपिंग जैसे कॉमरेडों ने जिस सफाई से इसको दफन किया कि मार्क्स का भूत भी इससे बच नहीं सकता.

उड़ीसा में जनजातीय समुदायों का वोट सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की योजना को ख़त्म करना किस्से का एक पहलू भर है. सरकारी नज़रिए के मुताबिक़ नक्सलवाद आज भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है. यदि चिदंबरम की चले, तो वह नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए वायु सेना की मदद लेने से नहीं हिचकेंगे. एक ओर जब प्रधानमंत्री दिल्ली में राज्यों के पुलिस प्रमुखों को नक्सलवाद से लड़ने के लिए तैयार होने की नसीहत दे रही हों, ठीक उसी समय दूर उड़ीसा में एक जनसभा में राहुल गांधी के बगल में बैठे लाडो सिकोका को देखना चिदंबरम की आंखों को बिल्कुल नहीं भाया होगा. सिकोका के नक्सली होने के बारे में कोई संदेह नहीं. उसे पिछली 9 अगस्त को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और जमकर पिटाई की थी. उसे केवल इसीलिए रिहा किया गया कि वह नियमगिरि में राहुल के गले में फूलों की माला डालकर उनका स्वागत कर सके.

दिल्ली के सियासी गलियारों में यह सभी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की सहमति से ही चिदंबरम के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी की थी. अब इसमें संदेह की कोई गुंजाइश भी नहीं रही. राजनीति में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती और चिदंबरम राहुल की कैबिनेट से बाहर रहने वाले पहले राजनीतिज्ञ हो सकते हैं. छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनकर भाजपा के अपने साथियों को वायु सेना की मदद के बिना नक्सलियों से लड़ने की सलाह देते चिदंबरम के शानदार राजनीतिक करियर का यह निराशाजनक अंत होगा. हमारे महत्वाकांक्षी गृह मंत्री के लिए यह बात किसी हालत में राहत पहुंचाने वाली नहीं होगी कि उनकी प्रशंसा में अधिकतर बयान अब भाजपा की ओर से ही आते हैं. अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ही शायद उन्होंने भगवा आतंक का मुद्दा उठाया था. यह अनुमान लगाना बिल्कुल आसान है कि राहुल गांधी की सरकार में गृह मंत्री कौन होगा.

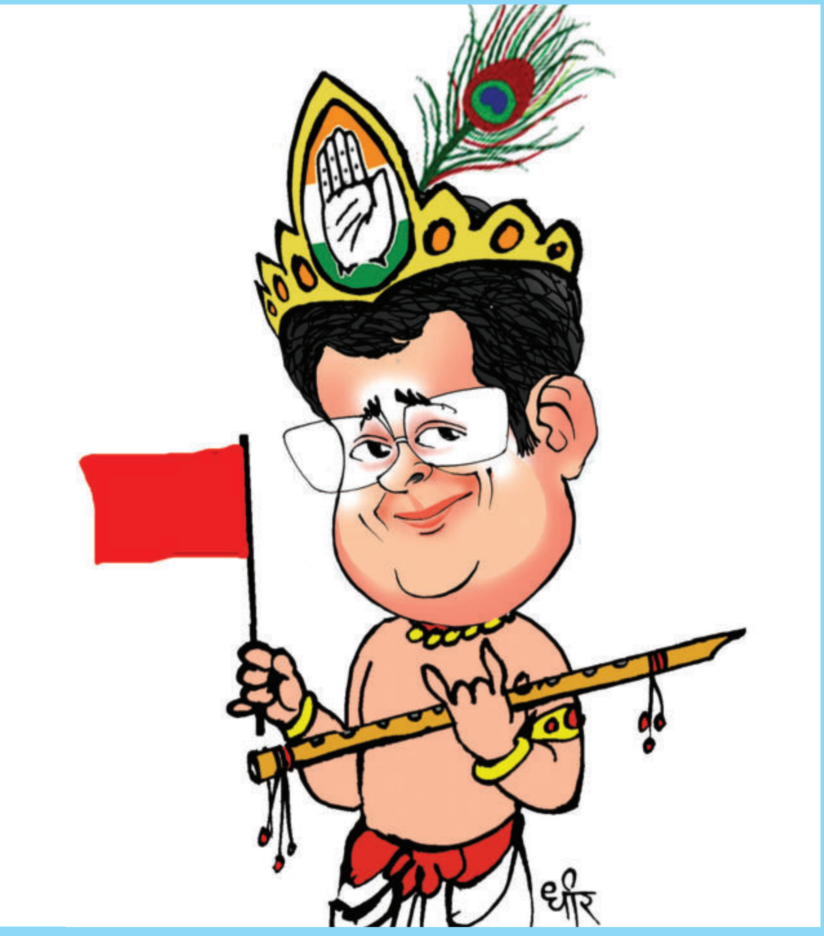

किसी भी सत्ताधारी पार्टी की सफलता की आदर्श स्थिति वही होती है, जबकि वह सरकार के साथ–साथ विपक्ष के लिए बनी जगह पर भी क़ब्ज़ा कर ले. ब्रिटिश शासकों को इस कला में महारत हासिल थी. मुस्लिम लीग की वफादारी का आलम यह था कि तीन दशकों तक चले स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान लीग का एक भी नेता जेल नहीं गया. कांग्रेस इतनी वफादार तो नहीं थी, लेकिन अपनी सीमा का उसे भी एहसास था. हालांकि, महात्मा गांधी ने बाद के दिनों में कांग्रेस और आम जनता को अंग्रज़ों के भय और लोभ–लालच के चंगुल से मुक्त कराया और स्थितियां बदल गईं और शायद ही ऐसा कोई कांग्रेसी नेता हो जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल न गया हो.

प्रजातांत्रिक व्यवस्था का चरित्र ही ऐसा होता है कि इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं. जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिणपंथी धड़े को कोई तवज्जो नहीं दिया, लेकिन ग़ैर–साम्यवादी वामपंथी धड़े को धीरे–धीरे कांग्रेस में आत्मसात कर लिया. वामपंथ के प्रति उनकी आस्था के प्रति कोई संदेह नहीं था और उनकी यह छवि इसमें मददगार साबित हुई. इंदिरा गांधी ने दक्षिणपंथी और वामपंथी ताक़तों को बड़ी चालाकी से विभाजित करके रखा, लेकिन आपातकाल के बाद ये ताक़तें कांग्रेस के ख़िलाफ़ एकजुट हो गईं. कांग्रेस के प्रति दुराव की यह भावना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के गठन तक कायम रही, लेकिन इसके बाद वामपंथ और कांग्रेस फिर क़रीब आने लगे. पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे का किला ढहने की आशंका ने परिस्थितियों में फिर बदलाव ला दिया है. ममता बनर्जी के साथ मिलकर कांग्रेस माकपा को ध्वस्त तो करना चाहती है, लेकिन राष्ट्र की राजनीतिक सोच में मार्क्सवादी विचारधारा की अहमियत का उसे पता है. भूख और ग़रीबी से बेहाल हमारे देश में एक ऐसे राजनीतिक दल की मौजूदगी अपरिहार्य है जिसे ग़रीब जनता अपना मान सके. कांग्रेस इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है. एक साथ दो वोट बैंकों पर उसकी नज़र है. दिन के समय वह ग़रीबों की हितैषी नज़र आना चाहती है तो रात के अंधेरे में अमीरों और संभ्रांत वर्ग की. ग़रीबों के समर्थन से इसे वोट मिलेगा तो अमीरों के समर्थन से शासन करने की शक्ति. कांग्रेस की राजनीति का यह नया और चालाक चेहरा है, जिसकी पहली झलक उस नई पीढ़ी के सामने पेश की जा रही है, जिसे इंदिरा गांधी के बारे में ज़्यादा नहीं पता और जो नेहरू की नीतियों को पसंद नहीं करती. राजनीति के इस नए खेल का नायक वही हो सकता है, जिसके पास करिश्मा हो ताकि ग़रीब ख़ुद ही उसकी ओर खिंचा चला आए और अमीरों का समर्थन भी उसे हासिल हो सके. राहुल गांधी के सामने यही चुनौती है. उन्होंने ख़ुद को दिल्ली में ग़रीबों का अभिभावक बनकर रहने की घोषणा की है. इसका मतलब यह है कि देश के ग़रीबों को दिल्ली की सत्ता के संरक्षण की ज़रूरत है. अमीर और संभ्रांत वर्ग के साथ उनकी गोटी बैठ चुकी है और अब ग़रीबों को अपने प्रभाव में लेने की पहल उन्होंने शुरू कर दी है.

हालांकि, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां यह काम पहले ही करती रही हैं, अब भी कर रही हैं. नवीन पटनायक सत्ता की उलझनों को समझते हैं. उन्हें कई बार अमीर या ग़रीब तबकों में से किसी एक के पक्ष में खड़ा होने को मजबूर होना पड़ा है. उनकी समस्या यह है कि उनके पास मनमोहन सिंह जैसा कोई मुखौटा नहीं है. बुद्धदेव भट्टाचार्य इस विरोधाभास को संभालने में विफल हो गए, लेकिन दूसरे लोगों ने यह कला सीख ली है. पटनायक, नीतीश कुमार, मायावती या चंद्रबाबू नायडू को इतनी आसानी से ख़ारिज नहीं किया जा सकता. विरोधाभास और समस्याएं हर देश में मौजूद होती हैं, भारत की विशालता इस चुनौती को और ज़्यादा जटिल बनाती है. आने वाले दिनों में यह देखना रोचक होगा कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से कितनी दक्ष है और वह अपनी राजनीतिक ताक़त की मदद से सत्ता को नई पीढ़ी के हाथों में हस्तांतरित करने में कामयाब हो पाती है या नहीं.

feedback@chauthiduniya.com

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और मुसलमान

इस्लाम हमेशा हमारे दिलों के क़रीब रहा है और भारत में इसका विकास और विस्तार लगातार जारी रहेगा. हमारी धार्मिक सोच इतनी विस्तृत है कि इसमें हर विचारधारा के लिए जगह है. सभी धार्मिक विचारधाराएं अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक साथ रह सकती हैं. देश के मुसलमान राष्ट्रीय जीवनशैली, राजनीति, उत्पादन प्रक्रिया, व्यवसाय, सुरक्षा, शिक्षा, कला, संस्कृति और आत्माभिव्यक्ति में बराबर के साझीदार हैं. कोई भी ऐसा अवसर जो आम भारतीय के लिए है, वह हर भारतीय मुसलमान को भी उपलब्ध है. हम किसी भी धर्म के समर्थक के ख़िलाफ़ कोई विभेद नहीं करते हैं. यह बयान है हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का.

भारत सरकार ने 9 मार्च, 2005 को देश के मुसलमानों के तथाकथित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी (भविष्य में एचएलसी के रूप में निर्दिष्ट) गठित की थी. कमेटी को मुसलमानों की आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक स्वरूप, उनकी संपत्ति एवं आय का ज़रिया, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, बैंकों से मिलने वाली आर्थिक सहायता और सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाओं की जांच–पड़ताल के लिए कहा गया था. मानवाधिकारों के जाने–माने समर्थक जस्टिस राजिंदर सच्चर के नेतृत्व में गठित यह कमेटी सच्चर कमेटी के नाम से ही जानी जाती है. जाने–माने शिक्षाविद् सैयद हामिद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं वर्तमान में हमदर्द विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सामाजिक कार्यकर्ता ज़फ़र महमूद इसके सदस्यों में शामिल थे. इसके अलावा अर्थशास्त्री एवं नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सांख्यिकीविद् डॉ. अबुसलेह शरीफ़ इस कमेटी के सदस्य सचिव थे. कमेटी को सरकारी एजेंसियों और विभागों से काग़ज़ातों एवं रिकॉर्ड्स मांगने की छूट दी गई थी.

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 30 नवंबर, 2006 को गुरुवार के दिन लोकसभा में पेश की गई. संभवत: स्वतंत्र भारत में यह पहला मौक़ा था, जब देश के मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक हालात पर किसी सरकारी कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी. हालांकि यह पहली बार नहीं था कि भारतीय मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के मामले की जांच के लिए आधिकारिक कमेटी का गठन किया गया. सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में ही कहा है, भारत में मुसलमानों के बीच वंचित होने की भावना काफी आम है, देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति के विश्लेषण के लिए आज़ादी के बाद से किसी तरह की ठोस पहल नहीं की गई है.

जो लोग भारतीय मुसलमानों के हालात पर नज़र रखते हैं, उन्हें याद होगा कि 1983 में ही भारत सरकार ने यह स्वीकार किया था कि मुसलमानों के बीच यह धारणा आम है कि सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या राज्यों की, की आर्थिक नीतियों के फ़ायदे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के दूसरे कमज़ोर वर्गों तक नहीं पहुंच पाते. इसी आधार पर 10 मई, 1980 को एक उच्चाधिकार प्राप्त पैनल का गठन किया गया था, जिसे गोपाल सिंह पैनल के नाम से जाना जाता है. पैनल ने 14 जून, 1983 को अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन भारत सरकार ने इसे बहस के लिए संसद के पटल पर पेश नहीं किया. पैनल की रिपोर्ट लंबे समय तक धूल खाती रही. फिर वी पी सिंह की सरकार ने इसे जारी करने का फ़ैसला किया. सरकारी उदासीनता से दूर मुस्लिम बुद्धिजीवियों एवं विद्वानों की एक जमात देश में मुसलमानों के सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों को तलाश करने में लगातार लगी रही. आज़ादी के बाद के दौर में ऐसी शख्सियतों में मुशीरुल हसन, उमर खालिद और रफीक ज़कारिया का नाम सबसे पहले याद आता है. पिछले 10–15 सालों में इन लोगों ने इस क्षेत्र में जितना काम किया है, उस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं. सच्चाई तो यह है कि सच्चर कमेटी से पहले ही देश के मुसलमानों की सामाजिक–आर्थिक हालत से संबंधित दस्तावेज पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे. फिर भी कमेटी की रिपोर्ट इन दस्तावेजों से ज़्यादा व्यापक और विस्तृत है, क्योंकि इन विद्वानों के पास रिकॉर्ड्स, आंकड़ों और अन्य संसाधनों की कमी थी.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित सच्चर कमेटी (एचएलसी) के अध्ययन का दायरा गोपाल सिंह पैनल के मुक़ाबले ज़्यादा व्यापक था. कमेटी को निम्नलिखित मुद्दों की विस्तृत जांच–पड़ताल की ज़िम्मेदारी दी गई थी:

1– ऐसे राज्यों, इलाक़ों, ज़िलों और प्रखंडों की पहचान करना, जहां अधिकांश भारतीय मुसलमान रहते हैं.
2– उनकी आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक स्वरूप.
3– अलग–अलग राज्यों और क्षेत्रों में समाज के दूसरे समूहों के मुक़ाबले इनकी संपत्ति और आय का स्तर.
4– सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी.
5– राज्य में अन्य पिछड़ा वर्गों की कुल जनसंख्या के मुक़ाबले मुसलमान समुदाय में इस वर्ग का अनुपात.
6– शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, स्थानीय संस्थाओं, बैंकों से मिलने वाले क़र्ज़ और सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं तक मुसलमान समुदाय की पहुंच.

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट स्वाभाविक रूप से इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित है. 12 खंडों में बंटी और 400 पृष्ठों में फैली यह रिपोर्ट गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा उपयोगी है. दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में मुसलमान समुदाय की सामाजिक–आर्थिक हालत का यह सबसे प्रमाणिक दस्तावेज है.

औसाफ अहमद
feedback@chauthiduniya.com

केंद्र सरकार पहल करे

भूमि अधिग्रहण को लेकर जिस तरह किसान आंदोलन विद्रोह का रूप धारण करता जा रहा है, वह हमारे देश के लिए कदापि ठीक नहीं कहा जा सकता. ऐसी विपरीत परिस्थितियों में केंद्र सरकार को अविलंब पहल करनी चाहिए, जिससे किसानों के साथ इंसाफ़ हो सके.

–नरेंद्र राय, *इटावा, उत्तर प्रदेश.*

उद्योगपति घाटे में!

मैं व्यापार से जुड़ा हूं और आपका अख़बार खासकर पढ़ता हूं. हाल में उद्योगपति विजय माल्या के बारे में प्रकाशित आलेख काफी रोचक लगा. पढ़कर पता चला कि लोग असल में बड़े उद्योगपतियों को देखकर कुछ अलग अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन हक़ीक़त कुछ और होती है. उम्मीद है, आप आगे इसी तरह की जानकारियां देते रहेंगे.

–सुरेंद्र पाठक, *भिंड, मध्य प्रदेश.*

बाद में कुछ नहीं होगा

तोप मुकाबिल में अब संभलना ज़रूरी है शीर्षक से कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ा. खेल से पहले ही घोटाले पर हंगामा मच रहा है. पीएम या कांग्रेस अध्यक्ष बाद में मामले की जांच और दोषियों को सज़ा की बात कह रहे हैं. मेरे हिसाब से यह सब मिली–जुली साज़िश है. यहां भी भविष्य पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए. वह हमारे देश में कभी न हुआ है और न होगा.

–नवीन मुकेश, *पूर्णिया, बिहार.*

नीतीश कुमार की लाचारी

चौथी दुनिया के 16 अगस्त के अंक में मनीष कुमार द्वारा लिखित लेख नीतीश कुमार का आत्मविश्वास या अहंकार बहुत महत्वपूर्ण और बढ़िया है. इतने अहम मुद्दे को आपने पहले पेज पर जगह दी, अच्छा लगा. वैसे बिहार का मुखिया बनने पर इनकी छवि एक मिलनसार एवं जनता की आवाज़ सुनने वाले नेता की थी, लेकिन समय बीतने के साथ ही इन पर अफसरशाही हावी होती चली गई. अब इनका सारा काम अफसरों के इशारे पर होता है. यह अपना एक क़दम भी बिना अफसरों की राय के नहीं उठाते. पहले हर सप्ताह जनता दरबार लगता था, अब वह बंद हो गया है. कभीकभार ऐसा होता भी है तो अफसरों के इशारे पर. अब इनके साथ रहने वाले नेताओं को भी मिलने का समय नहीं दिया जाता है, जबकि अफसरों के लिए हर वक़्त दरबार खुला रहता है. बिहार का विकास सड़कों पर ही दिखाई देता है. नीतीश यह ख़ुद नहीं बता सकते कि उन्होंने किन योजनाओं का शिलान्यास किया, उसमें कितनों पर काम हुआ या नहीं. इनकी विकास यात्रा या अन्य यात्राओं से क्या लाभ हुआ? अधिकांश योजनाओं पर काम ही नहीं हुआ, कारण साफ है कि सरकार पर अफसर हावी हैं.

–शंकर शर्मा, *चिलमिल, बेगूसराय, बिहार.*

तस्करी की शिकार औरतों का भविष्य

30 अगस्त के अंक में छपा लेख–तस्करी की शिकार महिलाओं का पुनर्वास कैसे हो? बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक लगा. हर जगह ऐसी लड़कियों के पुनर्वास की समस्या आम होती जा रही है, क्योंकि रहने से पहले कुछ और कहा जाता है और बाद में कुछ और. उनके रहने के स्थान भी अपने अनुसार बदल दिए जाते हैं. बंगाल में ऐसी तस्करी ज़ोरों पर है. वहां का शासनतंत्र इस बात को लेकर परेशान है कि इन महिलाओं को कैसे उनका हक़ मिले. इसलिए जल्द से जल्द कोई क़दम उठाना जाना चाहिए, ताकि महिलाएं अपने सपने पूरे कर सकें, न कि पूरी ज़िंदगी तकलीफ में काट दें.

–अंकुर सेन गुप्ता, *मिदनापुर, पश्चिम बंगाल.*

रोकथाम ज़रूरी है

30 अगस्त के अंक में छपा लेख–एक बार फिर जी एम खाद्य पदार्थ लाने की तैयारी जानकारीपरक है. अभी कुछ समय पहले ही बीटी बैगन का मुद्दा शांत हुआ था कि दोबारा खाद्य सुरक्षा के नाम पर फ़सलों और खाद्य पदार्थों में इन्हें शामिल करने की तैयारियां शुरू हो गईं. जी एम खाद्य पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ है. इसे रोका जाना चाहिए, नहीं तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण साबित होगा.

–कमला रानी, *जबलपुर, मध्य प्रदेश.*

आम आदमी और कविता

30 अगस्त में छपा परिचर्चात्मक आलेख कवि, कविता और समाज रोचक था. सही कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि. आम आदमी को ही कवि का नाम दिया गया है. जो सही मायने में पूर्ण सत्य है, क्योंकि हर कोई कवि हो सकता है.

–रानी राजपूत, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें.
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

हिंदुस्तानी मुसलमान पहले ही निष्क्रांत संपत्ति क़ानून से अपना बहुत कुछ खो चुके हैं. ऐसे में आज़ादी के 63 सालों बाद एक बार फिर इस तरह का क़ानून उनकी आर्थिक कमर तोड़ने वाला साबित होता.

चौथी दुनिया

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

यह परीक्षा की घड़ी है

ऐतिहासिक घटनाएं चुनौतियां लेकर आती हैं. बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि विवाद आज़ाद भारत की पहली ऐसी घटना है, जिसने हमारी राष्ट्रीयता और धर्म निरपेक्षता को एक साथ चुनौती दी है. साठ साल से चल रहे विवाद की सुनवाई ख़त्म हो गई है. अब फ़ैसले का वक़्त आया है. हालांकि यह भी तय है कि फ़ैसला आते ही मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंच जाएगा. यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद अदालत का फ़ैसला आने से पहले ही यह कहने लगे हैं कि अगर फ़ैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो वे इसे नकार देंगे. संघ परिवार इस फ़ैसले को संगठन की खोई हुई ज़मीन वापस जीतने का ज़रिया मान रहा है. इसलिए कहा जा सकता है कि अगर फ़ैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो संघ परिवार और विहिप देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे. अगर वे अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाते हैं तो देश के कई इलाक़ों में गुजरात जैसा माहौल बन सकता है. आल इंडिया बाबरी एक्शन कमेटी या मुस्लिम पक्ष की तरफ़ से कोई बयान नहीं आ रहा है. वे शांत हैं.

बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला आने के बाद क्या होगा? यह ऐसा सवाल है, जिसे लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं, डर है. अदालत का फ़ैसला यह तय करेगा कि अयोध्या की विवादित ज़मीन पर किसका अधिकार है. हिंदू संगठनों का या फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का. किसी साधारण हिंदू या मुस्लिम शख्स के जीवन पर इस फ़ैसले से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फ़ैसले के बाद उत्पन्न होने वाले माहौल को लेकर लोग चिंतित हैं. यह बात भी तय है कि फ़ैसला जो भी हो, मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंचेगा, लेकिन डर इस बात का है कि फ़ैसले के बाद देश में क़ानून व्यवस्था की समस्या न खड़ी हो जाए. इसी ख़तरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षाबलों की मदद ली है और कई साल से बैरक में बैठी पीएसी की भी तैनाती कर दी गई है. प्रधानमंत्री ने भी ज़िम्मेदार मंत्रियों और ख़ुफ़िया एजेंसियों के साथ बैठक की है. लालकृष्ण आडवाणी ने भी अपनी पार्टी के नेताओं से यह अपील की है कि फ़ैसले से संबंधित कोई भी बयान संतुलित होकर दें. हर तरफ एक अनजाने ख़ौफ़ का मंजर है. यह फ़ैसला केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, मीडिया और देश की जनता के लिए परीक्षा की घड़ी है. सबके सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला एक चुनौती के रूप में उभर कर आने वाला है. सबसे बड़ी चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने है. बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि विवाद पर अदालत का फ़ैसला न सिर्फ़ न्यायपूर्ण हो, बल्कि वह न्यायपूर्ण दिखना भी चाहिए, ताकि देश की जनता उसके फ़ैसले को सही मानकर भावना भड़काने वालों को चुप करा सके. इस फ़ैसले पर दुनिया भर की नजर है. इस फ़ैसले से धर्म निरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में विश्व भर में भारत की साख बनेगी. साथ ही यह फ़ैसला देश की राजनीति पर असर डालेगा. इसके लिए यह ज़रूरी होगा कि फ़ैसला साफ़–साफ़ अक्षरों में हो, ताकि कोई इसकी अपने हिसाब से व्याख्या न कर सके. 1992 में सुप्रीमकोर्ट के प्रतीकात्मक कारसेवा शब्द का अर्थ संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने हिसाब से लगा लिया था.

उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार के सामने चुनौती है. इस फ़ैसले का सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश में होने वाला है. जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को एकजुट करने के लिए यह हनुमत जागरण अभियान चलाया है और जिस तरह इस संगठन से जुड़े धार्मिक नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अदालत का फ़ैसला अगर उनके ख़िलाफ़ जाता है तो वे उस फ़ैसले को मानने से इंकार कर देंगे. ऐसे में उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो सकता है. ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में जब भी इस तरह का माहौल खड़ा होता है, समाज में मौजूद शरारती तत्व भावनाओं को भड़काने में नहीं चूकते हैं. अदालत के फ़ैसले के बाद हिंसा को रोकने की पहली ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी.

केंद्र सरकार के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी है. 1992 में नरसिम्हाराव की सरकार सोती रही. 6 दिसंबर के दिन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने जब प्रधानमंत्री से बात करने के लिए फोन किया था तो उनके निवास से यह बताया गया कि प्रधानमंत्री सो रहे हैं. नरसिम्हाराव की सरकार में रहे मंत्रियों के ज़रिए अब तो यह भी बातें सामने आ चुकी हैं कि ख़ुफ़िया जानकारी होने के बावजूद केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया. केंद्र सरकार की यह ज़िम्मेदारी होगी कि अदालत के फ़ैसले को अयोध्या में लागू किया जाए. केंद्र को पूरे देश पर नज़र रखनी होगी. फ़ैसले के बाद अगर कहीं हिंसा भड़कती है तो वह उस स्थिति में अविलंब निर्णय ले और भड़की हिंसा से निपटने के लिए कठोर फ़ैसले लेने में पीछे न हटे. राजनीतिक फ़ायदे से ज़्यादा देश के भविष्य पर ध्यान देकर फ़ैसला लेने की चुनौती है.

इस विवाद ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में फैलाया और फिर इसी विवाद की वजह से देश की जनता ने ही भाजपा को ख़ारिज़ भी कर दिया. लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के नेताओं से यह अपील की है कि वे बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि विवाद पर संतुलित बयान दें. देखना यह है कि आज की भारतीय जनता पार्टी में उनकी बातों को कौन तरजीह देता है. यह विश्वास करने में थोड़ी मुश्किल है कि विपरीत फ़ैसला आने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे मान लेंगे और संघ के एजेंडे से ख़ुद को अलग कर लेंगे. संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक एक ही विचारधारा को मानने वाले हैं. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि संघ ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी विचारधारा पर लाने के लिए ही नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया है. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर चली गई है और यही सबसे बड़ा ख़तरा है.

विवेक और सहानुभूति का दरिया बहेगा या फिर माहौल विषाक्त होगा यानी फ़ैसले के बाद देश का क्या परिदृश्य होगा, यह कहना फ़िलहाल तो मुश्किल है. मामला अदालत में था तो किसी दिन फ़ैसला आना ही था. इस फ़ैसले के बाद मीडिया का रोल भी चुनौतीपूर्ण होगा. यह कहते हुए दु:ख होता है कि मीडिया की ग़ैर ज़िम्मेदारी की वजह से देश में दंगे भी भड़के हैं. गुजरात के दंगे हों या आडवाणी की रथयात्रा, मीडिया के कुछ वर्गों ने आग में घी डालने का काम किया था. एक बार फिर ऐसा मौक़ा आया है. मीडिया के लिए भी यह चुनौती है कि वह किस तरह देश के लोगों का दिमाग़ बनाता है. शांति और भाईचारे का संदेश देता है या फिर समाज में कलह और घृणा फैलाने का काम करता है.

यह परीक्षा की घड़ी है. संभव है कि अदालत आंखों पर पट्टी बांधकर सबूतों और बयानों पर अपना फ़ैसला सुनाएगी, राजनीतिक दल अपना खेल खेलेंगे, नेता अपना फ़ायदा–नुक़सान देखेंगे, सरकारें अपनी ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगी, असामाजिक तत्व समाज में ज़हर घोलेंगे, लेकिन इन लोगों की करतूतों को समझना ही हमारी और आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला आने के बाद क्या होगा? यह ऐसा सवाल है, जिसे लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं, डर है. अदालत का फ़ैसला यह तय करेगा कि अयोध्या की विवादित ज़मीन पर किसका अधिकार है. हिंदू संगठनों का या फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का. किसी साधारण हिंदू या मुस्लिम शख्स के जीवन पर इस फ़ैसले से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फ़ैसले के बाद उत्पन्न होने वाले माहौल को लेकर लोग चिंतित हैं. यह बात भी तय है कि फ़ैसला जो भी हो, मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंचेगा, लेकिन डर इस बात का है कि फ़ैसले के बाद देश में क़ानून व्यवस्था की समस्या न खड़ी हो जाए. इसी ख़तरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षाबलों की मदद ली है.

आज़ादी के 63 बरसों बाद भी बेगाने

ज़ाहिद ख़ान

हमारे मुल्क के नीति नियंता किस तरह ग़ैर ज़िम्मेदारी और बिना दूरअंदेशी से अपनी नीतियां बनाते हैं, इसका एहसास हमें अभी हाल में आए शत्रु संपत्ति संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक का हश्र देखकर होता है. हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़मीन–जायदाद से सीधे–सीधे जुड़े इस संवेदनशील विधेयक, जिस पर मुल्क भर में बहुत विचार–विमर्श की ज़रूरत थी, को गोया इस तरह पेश करने की तैयारी थी, मानो यह कोई मामूली विधेयक हो. जुलाई में सरकार द्वारा इस संबंध में अध्यादेश लाए जाने के बाद से ही मुसलमानों में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी. बहरहाल इस फ़ैसले की भनक लगते ही कि सरकार इस संसद सत्र में विधेयक संसद में लाएगी, मुख़तलिफ़ सियासी पार्टियों के अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद सक्रिय हुए और उन्होंने जब इस विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपना विरोध जताया, तब जाकर यह विधेयक टला. वरना विधेयक को इसी सत्र में पारित कराने की पूरी–पूरी तैयारी थी. ज़ाहिर है, सरकार के इस क़दम से मुल्क में रह रहे उन लाखों मुसलमानों ने राहत की सांस ली, जिनके अपने बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे. विधेयक के टलने से जहां पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति पर हिंदुस्तान में रह रहे उनके वारिस अपना हक़ जता सकेंगे, वहीं जो लोग इन संपत्तियों पर बरसों से काबिज़ हैं, उन्हें भी बेदख़ल नहीं किया जा सकेगा.

ग़ौरतलब है कि 1965 में सरकार ने मुल्क में बाक़ायदा एक अधिसूचना जारी कर यह बंदोबस्त किया था कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी संपत्तियां अब उनकी न रहकर अभिरक्षा शत्रु संपत्ति के अधीन रहेंगी और उन पर अब किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होगा. ज़ाहिर है, सरकार की इस अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की करोड़ों रुपये की संपत्ति सरकार ने शत्रु संपत्ति मानकर अपने क़ब्ज़े में ले ली. सरकार के इस फ़ैसले से सबसे ज़्यादा नुक़सान उन हिंदुस्तानी मुसलमानों को हुआ, जिन्होंने मुल्क के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान को चुना था. वे रातोंरात अपने पुरखों की ज़मीन–जायदाद से बेदख़ल हो गए. बावजूद इसके कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इंसाफ़ के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाए. मुल्क की मुख़तलिफ़ अदालतों में चले इन मुक़दमों में सरकार कई मामलों में हार गई. ज़ाहिर है, अदालत में अपनी लगातार शिकस्त से आजिज़ आकर ही सरकार ने शत्रु संपत्ति क़ानून 1968 को संशोधित करने का फ़ैसला किया और मौजूदा विधेयक इसी से मुताल्लिक़ था.

ताजा विवाद राजा महमूदाबाद की उन जायदादों को लेकर शुरू हुआ, जिन्हें सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था. इसकी लड़ाई महमूदाबाद के वारिस राजा मोहम्मद अमीर ख़ान ने सरकार से लड़ी. बहरहाल, तीन दशक की लंबी क़ानूनी लड़ाई के बाद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीमकोर्ट ने महमूदाबाद के वारिस के हक़ में फ़ैसला दिया. साल 2005 में आए इस फ़ैसले के बाद न सिर्फ़ महमूदाबाद की करोड़ों की संपत्ति उनके वारिस को मिल गई, बल्कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश से उन सैकड़ों मुसलमानों को भी फ़ायदा हुआ, जो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में रह गए थे. उनके पुरखों की ज़मीन–जायदाद पर उन सभी लोगों के हक़ को मानते हुए सुप्रीमकोर्ट ने उसे शत्रु संपत्ति न मानते हुए अपने आदेश से वापस दिलवाया, जिसका मुल्क में हर ओर से ख़ैरमक़दम किया गया. ज़ाहिर है, सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद इस तरह के सभी मामलों पर विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन आदेश के 5 साल बाद सरकार फिर उसी जिन्न को दोबारा बाहर निकाल लाई, जो कभी का दफन हो चुका था. सुप्रीमकोर्ट के फ़ैसले के बाद इस तरह के ग़ैर मुनासिब और ग़ैर ज़रूरी अध्यादेश की ज़रूरत ही नहीं रह गई थी.

दरअसल हमारे मुल्क की सत्ता में आज़ादी के बाद से ही एक ऐसा वर्ग रहा है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़िशें बुनता रहता है. इतने सालों के बाद भी मुसलमानों के प्रति उनके सांप्रदायिक पूर्वाग्रह ज्यों के त्यों बने हुए हैं. उन हिंदुस्तानी मुसलमानों, जो 63 साल से इस मुल्क में एक अच्छे शहरी बनकर गुजर–बसर कर रहे हैं, के पुरखों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करना कहां तक सही है. जहां तक राजा महमूदाबाद की संपत्ति का सवाल है तो राजा महमूदाबाद के वालिद पाकिस्तान गए, लेकिन उनकी मां हिंदुस्तान में ही रह गईं. इस मामले में ख़ास बात यह है कि राजा महमूदाबाद के वालिद ने बाद में पाकिस्तान भी छोड़ दिया और लंदन में जाकर बस गए और वहीं उनका इंतकाल हुआ. इन हालात में यदि उनके वारिस उनकी संपत्ति पर अपना हक़ मांग रहे हैं तो कहां से नाजायज़ है. फिर राजा महमूदाबाद के मामले में तो ख़ुद सुप्रीमकोर्ट ने उनका पक्ष लेते हुए उनके हक़ में फ़ैसला दिया था.

आज़ाद हिंदुस्तान में यह कोई पहली बार नहीं है, जब मुसलमानों को अपनी सरजमीं में रहने की क़ीमत चुकानी पड़ी हो. बल्कि मुल्क की आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों के ऊपर सबसे पहले जो बिजली गिरी, वह थी उनके उद्योग, व्यापार, दुकान, मकान, ज़मीन, जायदाद और संपदा का हरण. इस बिना पर कि वे या उनके परिवार के सदस्य पाकिस्तान चले गए. ऐसा निष्क्रांत संपत्ति क़ानून के तहत किया गया, जो मुल्क में आज़ादी के तुरंत बाद अमल में आ गया था.

ज़ाहिर है, इस तरह हज़ारों–लाखों परिवार कंगाल हो गए. सांप्रदायिक दंगों की वजह से जिन्होंने मजबूरी में देश बदला या सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गए, उनकी संपत्तियों को सरकार ने ज़ब्त कर लिया. प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री मेहरचंद खन्ना, जो इस क़ानून का क्रियान्वयन करा रहे थे, ख़ुद पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में अपना सब कुछ गवां कर आए थे. ज़ाहिर है, मंत्री मेहरचंद खन्ना के दिल में हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी. उनका मानना था कि उन जैसे हिंदुओं को अपने घर–बार से वंचित करने के लिए पाकिस्तान में रह गए मुसलमान ज़िम्मेदार हैं. लिहाज़ा निष्क्रांत संपत्ति कानून को उन्होंने सभी जगह पर बड़ी बेरहमी से मुसलमानों पर लागू किया. इस क़ानून से उस वक़्त हज़ारों मुसलमान परिवार सरकार की मनमानी कार्रवाई के शिकार हुए. उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान बनने के बाद उनकी ऐसी दुर्गति होगी, अपनी जन्मभूमि में वे बेगाने हो गए और अपने सपनों की सरजमीं में अस्वीकार्य.

हिंदुस्तानी मुसलमान पहले ही निष्क्रांत संपत्ति क़ानून से अपना बहुत कुछ खो चुके हैं. ऐसे में आज़ादी के 63 सालों बाद एक बार फिर इस तरह का क़ानून उनकी आर्थिक कमर तोड़ने वाला साबित होता. यूपीए सरकार ने भले ही इस विवादास्पद विधेयक से क़दम पीछे खींचकर एक बिना वजह के विवाद को शुरू होने से पहले ही थाम लिया हो, मगर हुकूमत के अंदर अभी भी ऐसे तत्वों की शिनाख्त ज़रूरी है, जो मुल्क के अंदर समय–समय पर जानबूझ कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे शिगूफे छोड़ते रहते हैं.

(लेखक अल्पसंख्यक मामलों के जानकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

आज़ाद हिंदुस्तान में यह कोई पहली बार नहीं है, जब मुसलमानों को अपनी सरजमीं में रहने की क़ीमत चुकानी पड़ी हो, बल्कि मुल्क की आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों के ऊपर सबसे पहले जो बिजली गिरी, वह थी उनके उद्योग, व्यापार, दुकान, मकान, ज़मीन, जायदाद और संपदा का हरण. इस बिना पर कि वे या उनके परिवार के सदस्य पाकिस्तान चले गए. ऐसा निष्क्रांत संपत्ति क़ानून के तहत किया गया, जो मुल्क में आज़ादी के तुरंत बाद अमल में आ गया था.ज़ाहिर है, इस तरह हज़ारों-लाखों परिवार कंगाल हो गए. सांप्रदायिक दंगों की वजह से जिन्होंने मजबूरी में देश बदला या सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गए, उनकी संपत्तियों को सरकार ने ज़ब्त कर लिया.

सिगरेट की लत छोड़ने से सेक्स लाइफ में इज़ाफ़ा होता है. 30 से 50 साल की उम्र वाले 700 लोगों में से 53.8 प्रतिशत को छह महीने के भीतर सेक्स समस्याओं से पूरी तरह छुटकारा मिल गया.

दिल्ली, 13 सितंबर-19 सितंबर 2010 चौथी दुनिया

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलती!

देश के कुछ राज्यों में सरकारी अस्पताल का नाम लेते ही एक बदहाल सी इमारत की तस्वीर जेहन में आ आती है. डॉक्टरों की लापरवाही, बिस्तरों एवं दवाइयों की कमी, चारों तरफ़ फैली गंदगी के बारे में सोच कर आम आदमी अपना इलाज सरकारी अस्पताल के बजाय किसी निजी नर्सिंग होम में कराने का फ़ैसला ले लेता है. लेकिन इस अव्यवस्था के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाना क्या जायज़ है? एक आम आदमी की हैसियत से आप और हम सरकार को कर देते हैं तो सरकार से अपने द्वारा दिए गए कर का हिसाब मांगना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है. अच्छी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है. अगर सरकार अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतती है तो क्या आप इसके लिए पांच साल तक इंतज़ार करेंगे? लोकतंत्र में पहले ऐसी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब आपके पास सूचना का अधिकार क़ानून है. इस क़ानून के ज़रिए आप सरकार की ज़िम्मेदारी तय कर सकते हैं. सरकार को उसकी लापरवाही के बारे में बताया जा सकता है.

इस अंक में सरकारी दवाइयों के बारे में चर्चा की गई है. आम लोगों की सरकारी अस्पताल के मामले में सबसे ज़्यादा शिक़ायतें दवाइयों की कमी से ही जुड़ी होती हैं. यह शिक़ायत जायज़ भी होती है. दरअसल, हर सरकारी अस्पताल में दवाइयों की ख़रीद के लिए सरकार पैसा मुहैया कराती है. समस्या यहीं से शुरू होती है. इस बात के लिए कोई कारगर मशीनरी नहीं होती, जो दवाइयों की ख़रीद और जारी किए गए पैसों की जांच करे. नीचे से ऊपर तक के अधिकारी मिल-बांटकर पैसा हज़म कर जाते हैं. भुगतना पड़ता है बेचारे ग़रीब आदमी को, जो पैसों की कमी के चलते सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाता है. वहां उससे बाहर की (निजी) दुकानों से दवा ख़रीदने के लिए कह दिया जाता है.

लेकिन अब आप सरकारी अस्पतालों की यह हालत बदल सकते हैं. सूचना क़ानून के ज़रिए आप अस्पताल और उससे संबंधित सरकारी विभाग से पूछ सकते हैं कि अस्पताल के स्टॉक में अभी कितनी दवा है, कितनी दवा इस अस्पताल के लिए ख़रीदी गई, कब-कब ख़रीदी गई, कितने पैसों में ख़रीदी गई. आप ग़रीबों के बीच बांटी जाने वाली नि:शुल्क दवा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उदाहरण के लिए सरकारी नीति के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के लिए डॉट्स नामक दवा मरीजों के बीच मुफ्त बांटने का प्रावधान है. आप अस्पताल प्रशासन से यह जान सकते हैं कि किसी खास समय सीमा के भीतर कितने मरीजों की बीच उक्त दवा का वितरण किया गया. आप दवा ख़रीदने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के नाम और पदनाम के बारे में भी पूछ सकते हैं. ज़ाहिर है, जब आप इतने सारे सवाल पूछेंगे तो अधिकारियों पर दबाव बनेगा. जब दबाव बनेगा तो स्थितियां भी सुधरेंगी. इस अंक में हम इसी मसले से संबंधित आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप अपने गांव और शहर के सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं, वहां दवाइयों की कमी दूर कर सकते हैं. हमें उम्मीद है कि आप सभी इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और दूसरे लोगों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित करेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(अस्पताल में दवाइयों की कमी)

सेवा में, दिनांक...........
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
-----स्थित-----अस्पताल के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं:

1. दिनांक---से---के बीच अस्पताल के लिए कुल कितनी दवाएं ख़रीदी गईं. दवाइयों के ख़रीदने एवं उन्हें अस्पताल/ चिकित्सा केंद्र के स्टॉक में रखे जाने से संबंधित रजिस्टर की पिछले---महीने की प्रति उपलब्ध कराएं.
2. उपरोक्त समय के बीच कुल कितनी रकम की दवाई यहां आने वाले मरीजों को नि:शुल्क बांटी गई? नि:शुल्क दवाइयां प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या बताएं और उनके नाम-पते आदि जिस रजिस्टर में लिखे जाते है, उस रजिस्टर की पिछले----महीने की प्रति उपलब्ध कराएं.
3. अस्पताल के लिए दवाइयां ख़रीदने तथा वितरण के लिए नियुक्त अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं संपर्क के पते उपलब्ध कराएं.
4. इस दौरान जिन एजेंसियों से दवाएं खरीदी गईं, उन एजेंसियों का पूरा विवरण उनके नाम और पते के साथ उपलब्ध कराएं.
5. इस अस्पताल में मुख्य रूप से किन-किन बीमारियों से संबंधित दवाइयां नि:शुल्क वितरित की जाती हैं.
6. अस्पताल द्वारा दवाइयों का नि:शुल्क वितरण किस आधार पर किया जाता है.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में दस रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय

नाम.............
पता............

ज़रा हट के

सिगरेट और सेक्स में छत्तीस का आंकड़ा

ख़ुद को स्मार्ट, मॉड और मर्दानगी दिखाने के लिए युवा पीढ़ी में सिगरेट पीने का ख़ूब चलन है. लिहाज़ा एशियाई देशों में इसकी वजह से मर्दों की सेक्स लाइफ ख़तरे में पड़ती दिख रही है. ताजा शोध के अनुसार, अगर सेक्स समस्याओं से निजात पानी है तो सिगरेट की लत को अलविदा कहना होगा. हाल में हांगकांग विश्वविद्यालय में हुए एक शोध में यह बात सामने आई है. प्रो. सोफिया चेन की अगुवाई में तीन साल तक किए गए अध्ययन में पता चला कि सिगरेट की लत से छुटकारा मिलने के छह महीने के भीतर सेक्स समस्याओं में तेज़ी से सुधार होता है. ख़ासकर यौन उत्तेजना की समस्या से पीड़ित पुरुषों को काफी जल्द राहत मिली.

रिपोर्ट के मुताबिक़, एशियाई देशों ख़ासकर चीन में स्मोकिंग करने वालों में इस तरह की समस्याएं कुछ ज़्यादा ही होती हैं. इसलिए सिगरेट की लत छोड़ने से सेक्स लाइफ में इज़ाफ़ा होता है. 30 से 50 साल की उम्र वाले 700 लोगों में से 53.8 प्रतिशत को छह महीने के भीतर सेक्स समस्याओं से पूरी तरह छुटकारा मिल गया. उक्त लोग विश्वविद्यालय के पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग स्कूल में नपुंसकता का इलाज कराने आए थे. प्रोफेसर चेन ने बताया कि सिगरेट पीने वालों को इसके घातक परिणाम हमेशा ध्यान में रखने चाहिए. इस लत की वजह से अगर बेडरूम में मुंह की खानी पड़े, तब तो इससे तौबा करने में ही भलाई है.

हरी सब्जी खाइए, मधुमेह से बचिए

हरी और पत्तेदार सब्जियां अगर रोज खाई जाएं तो मधुमेह की बीमारी से बचा जा सकता है. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. हालांकि इस संदर्भ में शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी और रिसर्च करने की ज़रूरत है. दो लाख से ज़्यादा लोगों पर हुए परीक्षणों के ज़रिए इंग्लैंड की लिसेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हरी सब्जियों और वयस्कों में होने वाले टाइप-2 मधुमेह के बीच रिश्ता कायम कर लिया. परीक्षणों यह बात साफ हो गई कि जो लोग हरी सब्जी खाते हैं, उन्हें इस बीमारी का ख़तरा कम रहता है. अगर भोजन में एक सब्जी ज़रूरी मात्रा में शामिल कर ली जाए तो मधुमेह के ख़तरे को 14 फ़ीसदी तक कम किया जा सकता है. वैसे बहुत ज़्यादा फल और सब्जियां खाने से इसका असर ख़त्म हो जाता है. हरी पत्तियों में एंटी ऑक्सिडेंट और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन इसे पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है. इसी तरह के एक अन्य रिसर्च में वैज्ञानिकों ने चीन में मिलने वाली कुछ हरी जड़ी-बूटियों के सत्व को मधुमेह रोकने में काफी असरदार पाया. यह परीक्षण चूहों पर किया गया. इसका नाम है इमोडिन. यह इंसुलिन के लिए प्रतिरोधक का काम करता है. इंसुलिन रक्त में शुगर की मात्रा को काबू में रखता है. यह जगज़ाहिर है कि खानपान और कसरत के ज़रिए इस बीमारी से बचा जा सकता है. इस पर बड़ा विवाद है कि खानपान में ऐसा क्या शामिल किया जाए, जो शुगर के ख़तरे को ख़त्म कर सके. इसीलिए दुनिया में कई बड़े संस्थान इस पर रिसर्च कर रहे हैं. आम तौर पर शुगर के इलाज के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है. रक्त में शुगर की मात्रा नियंत्रित करने वाली दवाइयों का किडनी पर काफी बुरा असर होता है. टाइप-2 शुगर सबसे ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाता है. यह बीमारी अमीर देशों से विकासशील देशों की तरफ़ तेजी से बढ़ रही है. ऐसे देशों में ज़्यादा मिठाई एवं चिकनाई वाला खानपान और आरामपसंद जीवनशैली इसकी बड़ी वजह है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 13 सितंबर-19 सितंबर 2010

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल
पारिवारिक लोगों से पीड़ा मिल सकती है. धन हानि की आशंका बनी हुई है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. व्यवसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. व्यर्थ की उलझनें बढ़ सकती हैं.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई
राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी. उच्च अध्ययन में सफलता मिलेगी. धन, पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी अभिन्न मित्र से लाभ की संभावना है. ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी. महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल समय है.

मिथुन 21 मई से 20 जून
जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है. बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की संभावना है. राजनीतिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे. किसी रिश्तेदार या व्यक्ति विशेष से भरपूर सहयोग मिलेगा. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई
संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें, अन्यथा क़र्ज़ की स्थिति आ सकती है. परिवारीजनों का सहयोग मिलेगा. मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त
आर्थिक एवं व्यवसायिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे. जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी. परिवारीजनों का सहयोग मिलेगा. क़रीबी व्यक्ति को मन की बात कहकर राहत महसूस करेंगे.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर
आप अपनी योजना में थोड़ा सा बदलाव कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं. ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी. रोज़ी रोज़गार की दिशा में किया गया श्रम सार्थक होगा. धन, पद एवं प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें. भाई या पड़ोसी का सहयोग मिलेगा.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर
आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. खानपान में सावधानी रखें. उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित हो सकते हैं. यात्रा में अपने सामान की सुरक्षा रखें, चोरी होने या खोने की आशंका है.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर
आपके प्रभाव एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी. कोई बहुमूल्य वस्तु पाने की अभिलाषा पूरी होगी. पेट संबंधी शिक़ायत हो सकती है. कार्यक्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा. आप करियर में तरक्की को लेकर रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेंगे.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर
वाहन प्रयोग में सावधानी रखें, दुर्घटना की आशंका है. किसी अभिन्न मित्र या रिश्तेदार से मिलाप होगा. कार्यस्थल पर चल रहे मनमुटाव से मुक्ति मिलेगी. मित्र आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, जिससे आप ख़ुशियां बांटेंगे.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी
क्रोध एवं भावुकता पर नियंत्रण रखें, अन्यथा पारिवारिक संकट आ सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. मानसिक शांति के लिए दूसरों की ग़लतियां नज़रअंदाज़ करें. आप बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करेंगे.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी
किसी कार्य के संपन्न होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आर्थिक योजना फलीभूत होगी. व्यस्तता अधिक होने के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. वाद-विवाद की स्थिति हितकर नहीं रहेगी.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च
व्यर्थ की उलझनें रहेंगी. आप संबंधों को नया रूप देने की कोशिश करेंगे. तनाव से बचने के लिए विवादास्पद मामलों से दूर ही रहें. आप सफलता के लिए कोई भी जोख़िम उठाने के लिए तत्पर रहेंगे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

जुल्म और असभ्यता के मामले में पाकिस्तानी समाज आज ज़िंदगी के नए पैमाने निर्धारित कर रहा है. कश्मीर, फ़िलीस्तीन और बोस्निया तो कुछ भी नहीं हैं, इसने चंगेजियत को भी पीछे छोड़ दिया है.

अपनी ही करनी का फल भोग रहे हैं हम

अफ़्फ़ाफ़ अज़हर

पाकिस्तान में इन दिनों न्यूज़ चैनलों और वेबसाइटों पर सियालकोट की एक घटना की वीडियो बार बार दिखाई जा रही है. वीडियो में दिखाया गया है कि चंद लोग एक भीड़ की मौजूदगी में, जिसमें कुछ पुलिस के जवान भी शामिल हैं, दो लड़कों को डंडों से बुरी तरह पीट रहे हैं. जिन को मारा गया है, वह दोनों भाई हैं, जिनमें से एक की उम्र 18 वर्ष और दूसरे की उम्र 15 वर्ष है. वीडियो में दोनों भाई बिल्कुल बेबस हैं और इन पर चंद लोग पूरी जोश और ताक़त से डंडे बरसा रहे हैं. दोनों भाईयों की मौत हो जाने पर उनकी लाशों को उल्टा लटकाते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन हैवानगी देखिए कि उस समय भी मारपीट जारी है. भीड़ ख़ामोश दिखाई देती है और बिना किसी हस्तक्षेप के यह पूरी घटना देखती रहती है. बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का नोटिस लिया और फिर कुछ पुलिसकर्मियों एवं भीड़ में उपस्थित लोगों पर मुक़दमे दर्ज किए गए.

जुल्म और असभ्यता के मामले में पाकिस्तानी समाज आज ज़िंदगी के नए पैमाने निर्धारित कर रहा है. कश्मीर, फ़िलीस्तीन और बोस्निया तो कुछ भी नहीं हैं, इसने चंगेजियत को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है. सच्चाई यह है कि आज पाकिस्तानी समाज को इंसानी समाज में शुमार करना भी इंसानियत की तौहीन होगी, क्योंकि यह तो महज़ एक ही घटना है, जो दुनिया की नज़रों तक पहुंची है. ऐसी हज़ारों अनगिनत दास्तानें और घटनाएं हैं, जिन्हें आसमान और ज़मीन ने कभी नहीं देखा. ऐसी वारदातें वडेरों, जागीरदारों और यहां तक कि पुलिस थानों तक में होती हैं, लेकिन ताक़त के बल पर उन्हें ख़ामोशी की चादर ओढ़ने को मजबूर किया जाता है या फिर गुमनामी की मौत उनका मुक़द्दर बन जाती है. यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर यह मान भी लिया जाए कि इन दोनों भाईयों को मारने वाले पहले दर्जे के हैवान थे, तो क्या वहां मौजूद भीड़ में एक भी इंसान नहीं था? क्या मौत का तमाशा देखने वाले सभी लोग गूंगे, बहरे और अंधे थे? यह इंसानों का समाज है या फिर जंगल, जहां दो जानों पर इस दरिंदगी से जुल्म हो रहा हो और पुलिस सिर्फ़ तमाशा देखती रहे. निर्दयता की जीती जागती तस्वीर. लोगों ने असभ्यता की इस दास्तान को वीडियो कैमरों में तो रिकॉर्ड कर लिया, मगर इंसानियत पर होते इस अत्याचार के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो सके.

दोषी कोई दूसरा नहीं, बल्कि यह समाज ख़ुद है. हमारी यह सोच बन चुकी है कि जब तक अत्याचार ख़ुद पर न हो तो वह अत्याचार ही नहीं. अगर अत्याचार दूसरों पर होता रहे तो उसके लिए बहुत औचित्य हैं. दुनिया के हर धर्म, समाज में इल्ज़ाम चाहे कोई भी हो, लेकिन सज़ा देने का अधिकार केवल अदालत के पास ही होता है. और फिर इतनी निर्दयता से तो हैवान भी अपने शिकार की जान नहीं लेते, जिसका प्रदर्शन इन जल्लादों ने किया है. यह हमारी समाजिक सोच बन चुकी है, सुनी सुनाई अफवाहों पर टूट पड़ो और चाहे तो जान भी ले लो. कहीं भूकंप से ज़मीने खिसकने से मौतें हो रही हैं, लाखों देशवासी बेघर हैं, लेकिन फिर भी इस मुस्लिम क़ौम की संवेदनहीनता का यह आलम है कि उन्हें ख़ुदा का भी डर नहीं. नियमित बम फट रहे हैं, कराची में ख़ून की होली भी निरंतर खेली जा रही है और अब सियालकोट की इस निर्दयतापूर्ण घटना ने रही सही कसर पूरी कर दी. आगे न जाने कौन सी सज़ा का हमें इंतज़ार है?

दोषी कोई दूसरा नहीं बल्कि यह समाज ख़ुद है. हमारी यह सोच बन चुकी है कि जब तक अत्याचार ख़ुद पर न हो तो वह अत्याचार ही नहीं. अगर अत्याचार दूसरों पर होता रहे तो उसके लिए बहुत औचित्य हैं. दुनिया के हर धर्म, समाज में इल्ज़ाम चाहे कोई भी हो, लेकिन सज़ा देने का अधिकार केवल अदालत के पास ही होता है. और फिर इतनी निर्दयता से तो हैवान भी अपने शिकार की जान नहीं लेते, जिसका प्रदर्शन इन जल्लादों ने किया है.

सियालकोट में दो मासूम जानों के साथ जो व्यवहार हुआ, वह न सिर्फ़ निन्दायोग्य है, बल्कि हमारे समाज का एक शर्मनाक पहलू है और समाज के मानवीय और नैतिक मूल्यों का आईना भी है. मैं इसके लिए पुलिस को दोषी नहीं मानती, बल्कि पुलिस से कहीं ज़्यादा दोषी ख़ुद अपने इसी समाज को क़रार दूंगी. मेरी नज़र में हम आज एक क़ौम नहीं, बल्कि पेशेवर क़ातिलों का ऐसा समूह हैं जिनके जबड़ों को अपनों का ख़ून चखने की आदत लग चुकी है. जब मुंह में एक बार लहू लग जाए, तो अत्याचार और निर्दयता की सभी सीमाएं पार करने में ज़्यादा देर नहीं लगती. ज़रा याद तो कीजिए कि ऐसे उत्तेजित समूह कल तक दबे कुचले लोगों की सांसें छीनते थे. चीलों और गधों की तरह दबे कुचले लोगों को शिकार समझकर हर वक़्त झपटने को तैयार नज़र आते थे, मगर मीडिया और जनता की नज़रों में वह धर्म के अनुयायी और रक्षक थे. अब इन पेशेवर क़ातिलों के हाथ हमारे गिरहबानों तक आ पहुंचे हैं. इन पालतू आदमख़ोरों के लहू की प्यास जब हमारे अपने ही ख़ून से बुझने लगी तो हमें भी क़ानून के सभी सहारे याद आ गए. मुख्य न्यायाधीश को भी नोटिस लेना याद रहा और मीडिया को भी मानवता के सारे नियम नज़र आने लगे. सांपों को पालकर ख़ुद को सुरक्षित समझने का जो जुर्म हम से हो चुका है, वह माफी के लायक़ नहीं है और अब इसका ख़ामियाज़ा भी हमें ही भुगतना होगा. काश, इन मुज़रिमों पर तब लगाम कसी होती जब उन्होंने धर्म के नाम पर क़ानून से खेलने का धंधा शुरू किया था, तो आज यह आग कम से कम अपने दामन तक तो नहीं पहुंचती. बारूद के ढेर पर बैठकर ख़ुद के सुरक्षित होने की कल्पना कर लेने के दोषी हम ख़ुद हैं. शायद हम भूल गए थे कि आग तो बस आग है, चाहे वह किसी के लिए भी लगाई जाए, अपने दामन तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगती. अत्याचार तो आख़िर अत्याचार ही है. किसी भी समाज में अत्याचार जब हद से बढ़ जाता है तो उस क़ौम को ही ले डूबता है. ख़ुदा के लिए पुलिस भी तो हम में से ही है और समाज की इसी गंदी मानसिकता का एक हिस्सा है. आज पुलिस पर मुक़दमे चलाकर और कुछ गिरफ़्तारियां कर कुछ भी नहीं बदल सकता. अगर बदलना चाहते हो तो समाज के इस अत्याचारी सोच को बदलो. नैतिकता के वह सारे नियम फिर से बहाल करो जो एक इंसान को हर तरह के भेदभाव से दूर केवल मानवता के धरातल पर रखने की हिम्मत रखें. अत्याचार, चाहे वह किसी पर भी हो, इसे अत्याचार समझो और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की क्षमता पैदा करो. वरना हर आने वाला दिन किसी न किसी के लिए सियालकोट की याद ही दोहराएगा और कल का सूरज एक नई जुल्म की दास्तान सुनाने आएगा.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम–भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार–राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

चौथी दुनिया
16°
13°
16°
00:01

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

कृष्ण की नगरी में बाबा... यह बात चलते फिरते मेरे मन में रहने लगी. मैं नहीं जानता था कि यह सब कैसे संभव होगा.

जन्माष्टमी

रिश्ता श्रीकृष्ण और बाबा का

ऑसिम खेत्रपाल

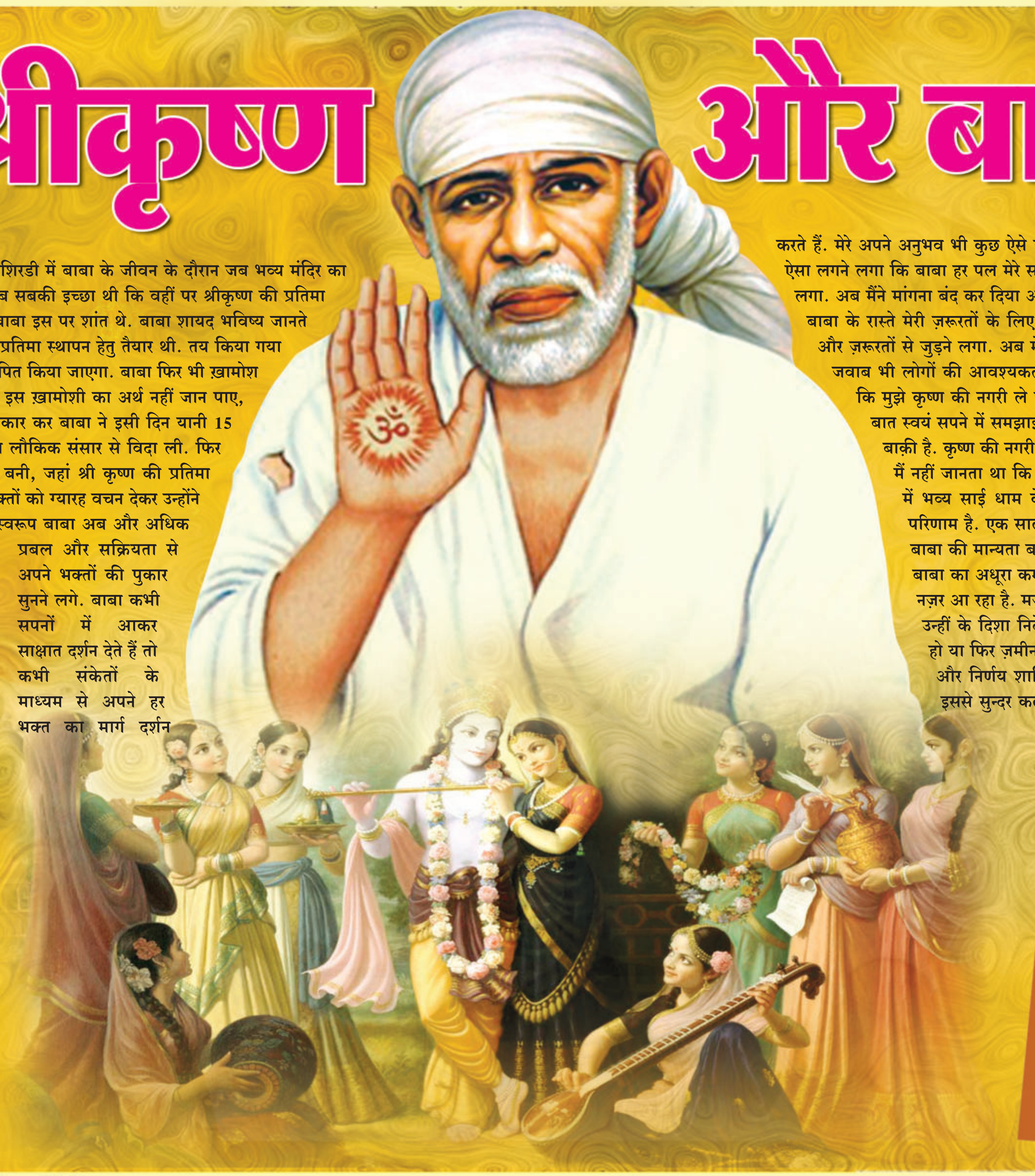

यह तो मैं जानता था कि शिरडी में बाबा के जीवन के दौरान जब भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा था, तब सबकी इच्छा थी कि वहीं पर श्रीकृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित की जाए. बाबा इस पर शांत थे. बाबा शायद भविष्य जानते थे. श्री कृष्ण की सुन्दर प्रतिमा स्थापन हेतु तैयार थी. तय किया गया कि दशहरे के दिन प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा. बाबा फिर भी ख़ामोश थे. आस पास के लोग बाबा की इस ख़ामोशी का अर्थ नहीं जान पाए, लेकिन प्रकृति के नियमों को स्वीकार कर बाबा ने इसी दिन यानी 15 अक्टूबर 1918 दशहरें के दिन इस लौकिक संसार से विदा ली. फिर इसी स्थान पर बाबा की समाधि बनी, जहां श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित होनी थी. बाबा ने शरीर त्याग दिया लेकिन अपने भक्तों को ग्यारह वचन देकर उन्होंने स्वयं को हमेशा के लिए इनके प्रेम में बांध लिया. आत्मा स्वरूप बाबा अब और अधिक प्रबल और सक्रियता से अपने भक्तों की पुकार सुनने लगे. बाबा कभी सपनों में आकर साक्षात दर्शन देते हैं तो कभी संकेतों के माध्यम से अपने हर भक्त का मार्ग दर्शन करते हैं. मेरे अपने अनुभव भी कुछ ऐसे ही रहे हैं. धीरे–धीरे बाबा का अहसास इतना बढ़ा कि ऐसा लगने लगा कि बाबा हर पल मेरे साथ हैं. बाबा के साथ मैं अपनी सारी परेशानियां भूलने लगा. अब मैंने मांगना बंद कर दिया और बाबा ने मुझे दिशा–निर्देश देने शुरू कर दिए. पहले बाबा के रास्ते मेरी ज़रूरतों के लिए होते थे, अब धीरे–धीरे वही रास्ता लोगों की भलाई और ज़रूरतों से जुड़ने लगा. अब मेरे सवाल लोगों से जुड़े थे. उनकी ज़रूरतों से जुड़े थे. जवाब भी लोगों की आवश्यकताओं से जुड़े थे. फिर एक दिन बाबा ने सपने में कहा कि मुझे कृष्ण की नगरी ले चल. मैं हैरान था. मैं कैसे लेकर जाऊंगा. बाबा ने हर बात स्वयं सपने में समझाई. मुझे बताया कि श्री कृष्ण के साथ उनका कर्म अभी बाक़ी है. कृष्ण की नगरी में बाबा... यह बात चलते फिरते मेरे मन में रहने लगी. मैं नहीं जानता था कि यह कैसे संभव होगा. लेकिन कृष्ण की नगरी वृंदावन में भव्य साई धाम के रूप में विशाल मंदिर का निर्माण इसी सपने का परिणाम है. एक साल के अंदर–अंदर मैंने पाया कि मथुरा–वृंदावन में अब बाबा की मान्यता बढ़ गई थी. लगभग नब्बे साल पहले श्री कृष्ण के साथ बाबा का अधूरा कर्म इतने वर्षों के बाद एक भक्त के माध्यम से पूरा होता नज़र आ रहा है. मजे कि बात यह कि इस मंदिर के निर्माण की हर प्रक्रिया उन्हीं के दिशा निर्देश में है. चाहे गांव–शहरों से आते ईंट दान की बात हो या फिर ज़मीन के चुनाव की. निर्माण के हर पक्ष में बाबा का आदेश और निर्णय शामिल है. श्री कृष्ण की नगरी में बाबा का वास होगा, इससे सुन्दर कल्पना मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती.

feedback@chauthiduniya.com

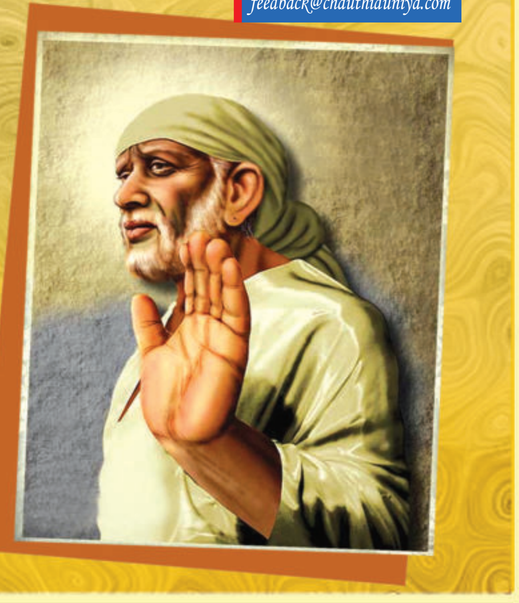

SSBF

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रुप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाज़ा, सन्तनगर, ईस्ट अफ् कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली–110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj
Sai Hills
Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Tel./Fax : 011-46594226/27
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

साई भक्त परिवार के लिए त्यौहारों के इस मौसम में फाउंडेशन का तोहफ़ा

साई भक्त परिवार की शुरुआत एक सोच और एक भावना से हुई थी, आज लगातार बढ़ते–बढ़ते अपनी पुख्ता पहचान बना रहा है. अब यही परिवार हमारे सुख–दुख का साथी है. त्योहारों के इस मौसम में फाउंडेशन आप सबके लिए ढेरों तोहफ़ों की बौछार लेकर आया है. जहां एक तरफ़ शिरडी की विभूति की चमत्कारी शक्ति लिए साई समय घड़ियां हैं तो वहीं कॉरपोरेट गिफ्ट के रूप में सालगिरह या शादी के मौक़े पर देने के लिए एक बेहद आकर्षक और गुणकारी स्फटिक या बेल्जियम क्रिस्टल का गिफ्ट पैक है. पैंडोरा बॉक्स में क्रिस्टल के स्क्वॉयर में बाबा की थ्री–डी इमेज हैं, इसके अलावा ख़ूबसूरत क्रिस्टल की की–चेन, दुखहर्ता सुखदाता गणेश जी की क्रिस्टल का टेबल टॉप है. क्रिस्टल का अनुभव हर आत्मा ने किया है. क्रिस्टल प्रकृति का ऐसा उपहार है, जिसमें से अगर प्रकाश गुज़रता है तो वह अलग–2 रंगो में परिवर्तित हो जाता है. इसी तरह कहा जाता है कि क्रिस्टल हर नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित लेता है. आप देखेंगे कि अगर घर में बहुत अधिक कलह और नकारात्मकता है तो कुछ समय बाद क्रिस्टल में स्वत: ही क्रेक आ जाएगा या वह टूट जाएगा. तब समझना चाहिए कि इस नकारात्मक ऊर्जा को क्रिस्टल ने अभी तक संभाला था. टूटे हुए क्रिस्टल को पानी में बहा दें और नया क्रिस्टल लें. क्रिस्टल को हर रोज नमक के पानी से या साफ़ पानी से धोकर अपने घर में स्थापित करें, बाबा की शक्ति और प्रेम के अहसास का प्रतीक क्रिस्टल उपहार के रूप में फाउंडेशन की तरफ़ से सिर्फ़ आपके लिए...

!!ओम् साई राम!!

नकारात्मक उर्जा को सकारात्मक उर्जा में परिवर्तित करता Crystal अब साई बाबा के आर्शीवाद के साथ।

This Festival Season gift it to your loved ones....
011-46567351/52

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउन्डेशन
252- H, LGF कैलाश प्लाज़ा, मेन रोड, सन्तनगर,
ईस्ट अफ् कैलास, नई दिल्ली–110065
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

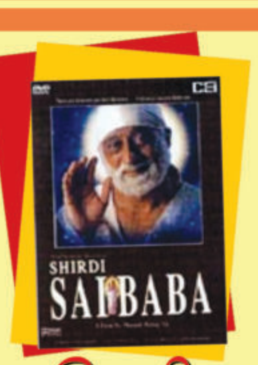
SHIRDI SAIBABA

पहली बार शिरडी साईं बाबा फीचर फिल्म अब कॉमिक्स के रूप में

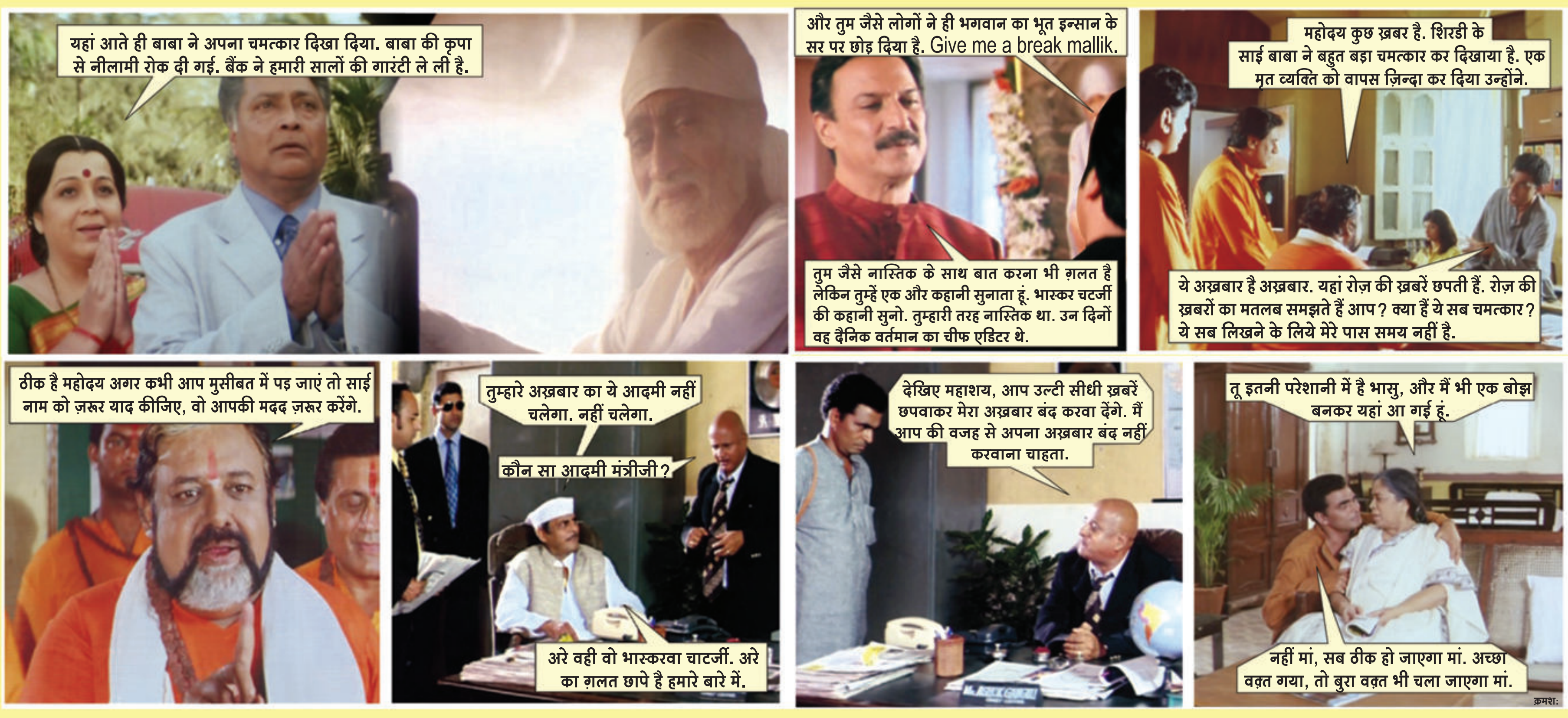
यहां आते ही बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया. बाबा की कृपा से नीलामी रोक दी गई. बैंक ने हमारी सालों की गारंटी ले ली है.
और तुम जैसे लोगों ने ही भगवान का भूत इन्सान के सर पर छोड़ दिया है. Give me a break mallik.
तुम जैसे नास्तिक के साथ बात करना भी ग़लत है लेकिन तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं. भास्कर चटर्जी की कहानी सुनो. तुम्हारी तरह नास्तिक था. उन दिनों वह दैनिक वर्तमान का चीफ एडिटर थे.
महोदय कुछ ख़बर है. शिरडी के साई बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिखाया है. एक मृत व्यक्ति को वापस ज़िन्दा कर दिया उन्होंने.
ये अख़बार है अख़बार. यहां रोज़ की ख़बरें छपती हैं. रोज़ की ख़बरों का मतलब समझते हैं आप? क्या हैं ये सब चमत्कार? ये सब लिखने के लिये मेरे पास समय नहीं है.
ठीक है महोदय अगर कभी आप मुसीबत में पड़ जाएं तो साई नाम को ज़रूर याद कीजिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे.
तुम्हारे अख़बार का ये आदमी नहीं चलेगा. नहीं चलेगा.
कौन सा आदमी मंत्रीजी?
अरे वही वो भास्करवा चाटर्जी. अरे का ग़लत छापे है हमारे बारे में.
देखिए महाशय, आप उल्टी सीधी ख़बरें छपवाकर मेरा अख़बार बंद करवा देंगे. मैं आप की वजह से अपना अख़बार बंद नहीं करवाना चाहता.
तू इतनी परेशानी में है भासु, और मैं भी एक बोझ बनकर यहां आ गई हूं.
नहीं मां, सब ठीक हो जाएगा मां. अच्छा वक़्त गया, तो बुरा वक़्त भी चला जाएगा मां.
क्रमश:

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

चातुर्मास के दौरान जैन धर्म के अनुयायी धर्म और उपवास पर विशेष ध्यान देते हैं. इस एक महीने के दौरान उपवास रखने वाला व्यक्ति सिर्फ़ गुनगुना पानी पीता है.

हिंदी साहित्य में लालूवाद

अनंत विजय

अभी इस बात को ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर अरबों रुपये के घोटाले के आरोप लगे. मधु कोड़ा से जुड़ी ख़बरें हर रोज मीडिया में सुर्ख़ियां बनती रहीं. उनके कई सहयोगियों के नाम भी सामने आने लगे. मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों के बारे में तफ्तीश शुरू हुई. इस बीच अचानक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर यह सफाई दी कि उनका मधु कोड़ा से कोई लेना–देना नहीं है. लालू की इस सफाई से लोगों को हैरानी भी हुई. कई पत्रकारों ने प्रेस कांफ्रेंस में उनसे सवाल भी पूछा कि वह क्यों सफाई दे रहे हैं, जबकि उनका नाम कहीं से मधु कोड़ा के घोटाले में शामिल नहीं है. लालू यादव ने अपने ही अंदाज़ में बात को हवा में उड़ा दिया और कहा कि उन्हें अपने स्रोतों से पता चला कि लोग उन पर शक कर रहे हैं, सो उन्होंने मुनासिब समझा कि सफाई दी जाए. ठीक इसी तरह का वाकया अब हिंदी साहित्य में सामने आया है. विभूति–कालिया प्रकरण में जब विवाद ठंडा पड़ने लगा तो अचानक पिछले हफ्ते हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं ललित कला अकादमी के अध्यक्ष अशोक वाजपेयी ने जनसत्ता के अपने कॉलम कभी–कभार में लालू यादव की तर्ज पर इस विवाद को पर्दे के पीछे से हवा देने के आरोपों पर अपनी सफाई दी. अशोक वाजपेयी ने लिखा, इस बीच एक और अफवाह फैलाई गई. कुंवर नारायण और मैं इस प्रसंग में ज्ञानपीठ की अध्यक्ष इंदू जैन से मिले हैं. अव्वल तो इस प्रसंग को लेकर कुंवर जी से मेरी बात तक नहीं हुई. दूसरे इंदू जैन से कोई बीस बरस पहले नाश्ते पर एक सौजन्य भेंट हुई थी, जब मुझे नवभारत टाइम्स के संपादक का पद ऑफर किया गया था. उसके बाद उनसे कभी नहीं मिला. तीसरे, जो कुछ मैं इस विवाद में चाहता हूं, उसे खुलकर बता चुका हूं, गुप्त कोई काम करना मेरी आदत में शामिल नहीं है. पर इस झूठ को सरासर फैलाने का काम शुरू किया गया.

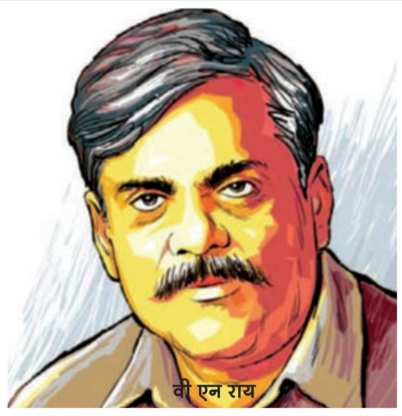

वी एन राय

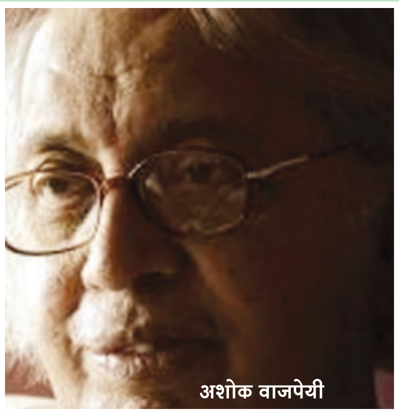

अशोक वाजपेयी

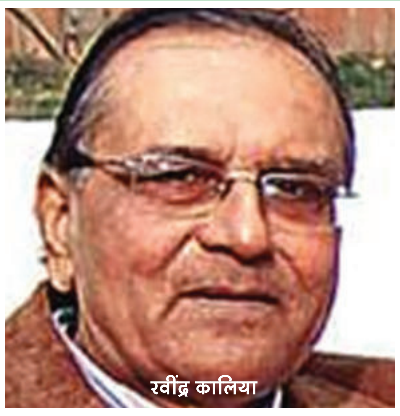

रवींद्र कालिया

इस प्रकरण में अशोक जी ने विक्रम सिंह से लेकर विजय मोहन सिंह और केदार नाथ सिंह का नाम भी लिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि अशोक जी को सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी अफवाह फैलाई जा रही थी कि अशोक जी जैसे गंभीर लेखक को अपने लोकप्रिय साप्ताहिक स्तंभ में सफाई देने की ज़रूरत पड़ी. दूसरी बात जो अशोक वाजपेयी ने अपने स्तंभ में उठाई, वह है नैतिकता और लेखकों के अपमान की. अशोक वाजपेयी के मुंह से नैतिकता की बात भी उसी तरह लगती है, जैसे लालू यादव के मुंह से. साहित्य जगत उन्नीस सौ चौरासी के अशोक वाजपेयी के बयान को भूला नहीं है. भोपाल गैस त्रासदी के आसपास ही अशोक वाजपेयी ने एशिया पोएट्री का आयोजन किया था. तब वह मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के चहेते पुलिस अफसर और भारत भवन के कर्ताधर्ता थे. जब भोपाल गैस त्रासदी में हज़ारों लोगों की जान गई तो उसी शहर में कविता पर उक्त आयोजन पर सवाल खड़े होने लगे थे. तब अशोक वाजपेयी ने बयान दिया था कि मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता. अशोक वाजपेयी का वह बयान बेहद अमानवीय एवं मनुष्यता के ख़िलाफ़ था और एक लेखक एवं व्यक्ति की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा नमूना.

साहित्य में स्वतंत्रता और जनपक्षधरता की बात करने वाले अशोक वाजपेयी मूलत: नौकरशाह हैं और भारत में अफसरशाही की कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि वहां न तो संवेदना के लिए कोई जगह होती है और न ही नैतिकता के लिए. आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जिस शहर में तक़रीबन पच्चीस हज़ार लोग काल के गाल में समा गए हों, उसी शहर के अफसर अशोक वाजपेयी का उक्त बयान कितना संवेदनहीन है. उस एक बयान के लिए ही अशोक वाजपेयी को माफ नहीं किया जा सकता है. आज अशोक वाजपेयी नैतिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन तब उनकी नैतिकता कहां चली गई थी, जब संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहते हुए उन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार हथिया लिया था. ग़ौरतलब है कि साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन वह संबद्ध तो संस्कृति मंत्रालय से ही है. नैतिकता का उपदेश देने के पहले अशोक जी को ख़ुद के गिरेबां में झांक कर देख लेना चाहिए. यहां भी वह लालू यादव के पदचिन्हों पर ही चलते नज़र आ रहे हैं. घोटालों के आरोप से घिरे लालू यादव भी गाहे–बगाहे नैतिकता और राजनैतिक शुचिता की बात करते हैं.

अशोक वाजपेयी ने लिखा है कि हिंदी लेखक समाज अपने सदस्यों का अपमान करने वालों को सुख–चैन से उनकी कुर्सी पर बैठने नहीं देगा. जो निर्लज्ज फिर भी ऊंची कुर्सी पर जमे हैं, वे ख़ुद जानते हैं कि उनका कद कितना नीचा हो गया है. आज अशोक वाजपेयी को हिंदी साहित्य समाज के अपमान की याद आ रही है, लेकिन वह ख़ुद हिंदी के लेखकों का कितनी बार अपमान कर चुके हैं, कितनी बार उसका मज़ाक उड़ा चुके हैं, यह उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है. अशोक वाजपेयी जब साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद का चुनाव हारे थे, तब उन्होंने हिंदी के लेखकों के ख़िलाफ़ जमकर विषवमन किया था. अपनी हार से तिलमिलाए अशोक वाजपेयी ने कहा था कि जिन हिंदी के लेखकों को महीनों रखा, खिलाया–पिलाया, हवाई जहाज से यात्राएं कराईं, उन्होंने ही मुझे धोखा दिया. उनके निशाने पर हिंदी के एक वरिष्ठ आलोचक और एक कवि थे. आज वही अशोक वाजपेयी हिंदी के लेखकों का अपमान करने वालों को निर्लज्ज कह रहे हैं. क्या यही भाषा एक वरिष्ठ लेखक को इस्तेमाल करनी चाहिए. क्या लिखते–लिखते अशोक वाजपेयी मर्यादा भूल जाते हैं या फिर व्यक्तिगत खुन्नस लेखक पर हावी हो जाती है. जिन्हें वह निर्लज्ज कह रहे हैं, उनका कद साहित्य में अशोक वाजपेयी से कई गुना बड़ा है, उम्र में तो उनसे बड़े हैं ही.

अपने उसी स्तंभ में अशोक वाजपेयी साहित्य के परिसर को मूल्यों का परिसर बताते हुए विभूति नारायण राय और रवींद्र कालिया पर वार करते हैं. अभी इस बात को ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब अशोक वाजपेयी महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति थे. तब उन पर एक बड़े परिसर में मूल्यों के दायित्व का निर्माण करने की महती ज़िम्मेदारी थी, लेकिन उस वक़्त भी वहां क्या–क्या गुल खिले थे, वे किसी से छिपे नहीं हैं. इस विषय पर कभी विस्तार से चर्चा होगी. अशोक जी हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार हैं, किसी भी विवाद पर पूरा हिंदी जगत उनसे बग़ैर किसी पूर्वाग्रह के हस्तक्षेप की उम्मीद करता है, लेकिन अफसोस इस पूरे विवाद में अशोक जी पूर्वाग्रहों से ऊपर नहीं उठ सके.

साहित्य में स्वतंत्रता और जनपक्षधरता की बात करने वाले अशोक वाजपेयी मूलत: नौकरशाह हैं और भारत में अफसरशाही की कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि वहां न तो संवेदना के लिए कोई जगह होती है और न ही नैतिकता के लिए. आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जिस शहर में तक़रीबन पच्चीस हज़ार लोग काल के गाल में समा गए हों, उसी शहर के अफसर अशोक वाजपेयी का उक्त बयान कितना संवेदनहीन है. उस एक बयान के लिए ही अशोक वाजपेयी को माफ नहीं किया जा सकता है. आज अशोक वाजपेयी नैतिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन तब उनकी नैतिकता कहां चली गई थी, जब संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहते हुए उन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार हथिया लिया था.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

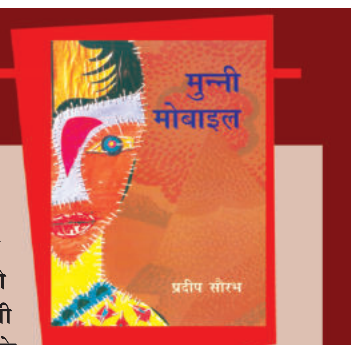

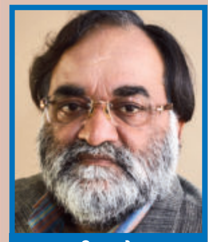

प्रदीप सौरभ

आनंद भारती और मुन्नी के बीच अच्छी–खासी बातें होने लगी थीं. वह अपने दुखद दिनों की बातें भी उन्हें बता देती थी. वह उसके लिए परिवार के उस बड़े सदस्य की तरह हो गए थे, जिससे उसने ज़िंदगी की नई परिभाषा सीखी थी. मुन्नी का जलवा साहिबाबाद से लेकर वसुंधरा तक दिखने लगा था. वह सच को लेकर किसी से भी भिड़ जाती थी. वह फोन पर आनंद भारती को दूसरों से बात करते सुनती थी. वह लोगों को ग़लत बात पर हड़काते थे. ऐसे ही संस्कार उसके अंदर घर कर रहे थे. अपने गांव के गूर्जरों और जाटों को भी वह नहीं छोड़ती थी. उनके पास अपराध और झूठ का साम्राज्य था. इसलिए हर मौक़े पर मुन्नी की जीत होती थी. बात–बात पर वह सबको ललकारती और कहती, मेरा नाम मुन्नी मोबाइल है और बिहार की रहने वाली हूं.

बिहारी होना दिल्ली और उससे लगने वाले इलाक़ों में गाली की तरह था. उसने इस गाली को अपने आत्मसम्मान की ताक़त बना लिया था. बिहारी शब्द उसकी ताक़त का हिस्सा बन गया था. साहिबाबाद गांव में मेहनत–मज़दूरी करने आए बिहारी मुन्नी से प्रेरणा लेने लगे. वे उसके साथ खड़े होने लगे. गांव में रहने वाले बिहारियों में अंदरूनी तौर पर एकता बन गई थी. मुन्नी मोबाइल उसके प्रतीक के तौर पर उभर चुकी थी. इलाक़े के अपराधी उससे भिड़ने से बचते थे, लेकिन वह गांव में किसी का अपमान नहीं करती थी. अपने से बड़े और बुज़ुर्गों से वह रामराम करना नहीं भूलती थी. किसी की मुसीबत हो तो वह रात–बिरात मौक़े पर खड़ी होती थी. कई बार गांव के लोगों की मदद करने के लिए

वह आनंद भारती के पास भी उनकी सिफ़ारिश लेकर आ चुकी थी. बात उन दिनों की है, जब मुन्नी साहिबाबाद में अपना घर बनाने की सोच रही थी. पैसों का पूरा जुगाड़ नहीं था. क़रीब बीस हज़ार रुपये उसके गांव के बैंक में जमा थे. उसको भी जोड़ लेती तो भी ज़मीन के पैसे पूरे न होते. उसने अपने जेठ से पैसे के लिए उन्हें फोन किया. जेठ जगदंबा प्रसाद पुलिस में हवलदार थे. बनारस के लंका थाने में उनकी पोस्टिंग थी. जगदंबा पैसे देने के लिए मान गए. बस वह काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में सवार हो गई. वाराणसी पहुंच कर वह गंगा में नहाई और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए. साहिबाबाद में जबसे आई थी, उसका बनारस आना–जाना कम हो गया था. बचपन में बक्सर में जब वह अपने गांव में रहती थी तो बनारस आना–जाना लगा रहता था. बक्सर के लोग शादी–ब्याह के सामान से लेकर ख़ुशी के हर मौक़े पर होने वाले नाच के लिए रंडी तक की बुकिंग बनारस में ही करते थे. दाल मंडी में रहने वाली नन्ही बाई मशहूर थी. उसके ठुमके के लोग दीवाने थे. उसके नाच के दौरान कई बार ख़ून–ख़राबा भी हो चुका था. सिर्फ़ इस बात के लिए कि वह फलां को देखकर उसके सामने नाची और फलां को उसने कोई तवज्जो नहीं दी.

ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जगदंबा पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालते हुए घर पहुंचे. मुन्नी से हालचाल पूछा. अपने भाई की ख़ैर–ख़बर ली. इसके बाद पच्चीस हज़ार रुपये निकाल कर उन्होंने मुन्नी के आगे बढ़ा दिए. मुन्नी ने शर्माते हुए पैसे पकड़ लिए. पैसों को उसने संभाल कर अटैची में रख लिया. मुन्नी जल्दी में थी. वह जल्द ही बक्सर के लिए रवाना होना चाहती थी. उसने जेठ से बस स्टैंड तक छोड़ आने के लिए कहा. बस स्टैंड पहुंच कर वह बस पर सवार हो गई. बस कंडक्टर चिल्ला रहा था, चौसा, बक्सर, गाजीपुर. सवारियां धीरे–धीरे आ रही थीं. थोड़ी देर बाद बस खिसकने लगी. मुन्नी अटैची को सिरहाने पर दबाकर बैठी हुई थी. काफी समय बाद बक्सर जा रही थी.

अगले अंक में जारी.....

जैन धर्म, तपस्या और मास खमण

शशि शेखर

जैन धर्म में तपस्या का विशेष महत्व है. तपस्या का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उपवास. यह उपवास कुछ अलग है. ऐसे उपवास की कल्पना आम आदमी शायद न कर पाए. क्या आप सोच सकते हैं कि एक आदमी एक महीने तक सिर्फ़ गुनगुना पानी पीकर उपवास रख सकता है. जैन धर्म में ख़ास कर चातुर्मास (जब बारिश का मौसम होता है) के दौरान जैन धर्मावलंबी एक महीने का उपवास रखते हैं. चातुर्मास के दौरान जैन धर्म के अनुयायी धर्म और उपवास पर विशेष ध्यान देते हैं. इस एक महीने के दौरान उपवास रखने वाला व्यक्ति सिर्फ़ गुनगुना पानी पीता है. गुनगुना पानी भी वह सिर्फ़ दिन में पी सकता है, रात में नहीं. इस विशेष उपवास को मास खमण कहते हैं. इसके अलावा जैन धर्म में और भी कई तरह के विशेष उपवास होते हैं. जैसे, अठई यानी वह उपवास जो आठ दिनों के लिए रखा जाता है.

दिल्ली के जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा से जुड़ी तीन महिलाओं ने भी अगस्त महीने में पूरे एक महीने का मास खमण यानी उपवास रखा था. उपवास के अंतिम चरण में जब हम तेरापंथी सभा की बैठक में पहुंचे तो वहां इन तीनों महिलाओं से मिलने और इस विशेष उपवास के बारे में जानने का अवसर मिला. सुमन भंडारी, विवेका बेंगानी और निर्मला कोठारी. उपवास रखे 30 दिन हो गए थे, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं थी. सुमन भंडारी तो दिल की मरीज़ हैं, फिर भी उन्होनें सफलतापूर्वक इस उपवास को पूरा किया. निर्मला कोठारी, बॉलीवुड अभिनेत्री निशा कोठारी की मां हैं. इस दौरान निशा भी अपनी मां का साथ देने के लिए दिल्ली आई थी. सुमन भंडारी और निर्मला कोठारी गृहिणी होने के साथ–साथ जैन समाज द्वारा संचालित ज्ञानशाला में बच्चों को प्रशिक्षण देने का भी काम करती हैं. इस ज्ञानशाला में बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि आगे चल कर ये बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकें. निर्मला कोठारी जी से जब हमने यह पूछा कि एक महीने के इस उपवास का अनुभव कैसा रहा. इस उपवास की वजह से उन्हें बोलने में थोड़ी दिक़्क़त महसूस हो रही थी लेकिन फिर भी, जो कुछ भी उन्होनें इशारों में बताया, उसका अर्थ यही था कि पहले से बेहतर. जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा से जुड़े अशोक वैद्य और इंदर बेंगानी ने बताया कि साल के इस चातुर्मास के दौरान पूरे दिल्ली में क़रीब छह लोगों ने एक महीने का मास खमण (उपवास) रखा और अभी एक और उपवास चल रहा है. इसके अलावा दिल्ली में अलग–अलग जगहों पर जैन धर्म को मानने वाले लोग नमस्कार महामंत्र का भी जाप कर रहे हैं.

दिल्ली के जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की बैठक में बॉलीवुड अभिनेत्री निशा कोठारी अपनी मां निर्मला कोठारी व पिता के साथ.

सायं: 7 बजे
अणुव्रत प्रार्थना एवं बृहद् मंगलपा
प्रातः 6 बजे
तप

फोटो–प्रभात पाण्डेय

उपवास के अंतिम दिन तेरापंथ सभा से जुड़े सैकड़ों अनुयायियों और महिला मंडल की महिलाओं ने मंगल गीत गा कर उपवास रखने वाली तीनों महिलाओं का अभिनंदन किया. महिलाएं अपने गीतों के माध्यम से उपवास (मास खमण) का महिमागान कर रही थीं. जैसे एक गीत के बोल कुछ इस तरह थे, तपज्योति को हमारा वंदन है, मास खमण अभिनंदन है. इसका अर्थ है कि तपस्या की वंदना करने का एक माध्यम मास खमण है. साध्वी यशोधरा ने इस मौक़े पर जैन धर्म में उपवास की महत्ता के बारे में बताया. सबसे पहले तो उन्होंने इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से समझाते हुए कहा कि यह उपवास हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाता है. साध्वी यशोधरा ने बताया कि भगवान महावीर यह जानते थे कि आने वाला समय कैसा होगा, इसलिए उन्होने जैन धर्म में उपवास की व्यवस्था पर काफ़ी ज़ोर दिया. भगवान कहते थे कि उपवास शोधक का काम करता है. हमारे शरीर और मन से गंदगी को बाहर निकाल देता है. साध्वी जी ने बताया कि ख़ुद भगवान महावीर भी उपवास रखते थे और जैन धर्म में ऐसे अनेक मुनि हुए हैं, जिन्होंने छह महीने तक का उपवास भी रखा है. कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में एक बार नहीं, बल्कि छह बार से भी ज़्यादा छह महीने तक का उपवास रखा है.

ऐसा नहीं है कि उपवास सिर्फ़ स्वयं की भलाई के लिए ही किया जाता हो. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखें तो गांधी जी ने भी स्वयं को आत्मिक रूप से मज़बूत बनाए रखने के लिए उपवास का रास्ता चुना था. जबकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने जेल में रह कर जब अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया तो उपवास को ही विरोध का हथियार बनाया था. मतलब, उपवास जैसे भी करें, जब भी करें, हमेशा फ़ायदेमंद ही साबित होता है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

इप्सा लैब्स की निदेशक डॉ. सपना अरोरा के मुताबिक़, इरेजर्स प्राईवा-हाई में मौजूद विटामिन-ई त्वचा को स्वस्थ और कोमल बनाए रखने में मदद करता है.

लीवाइस का कर्व आईडी

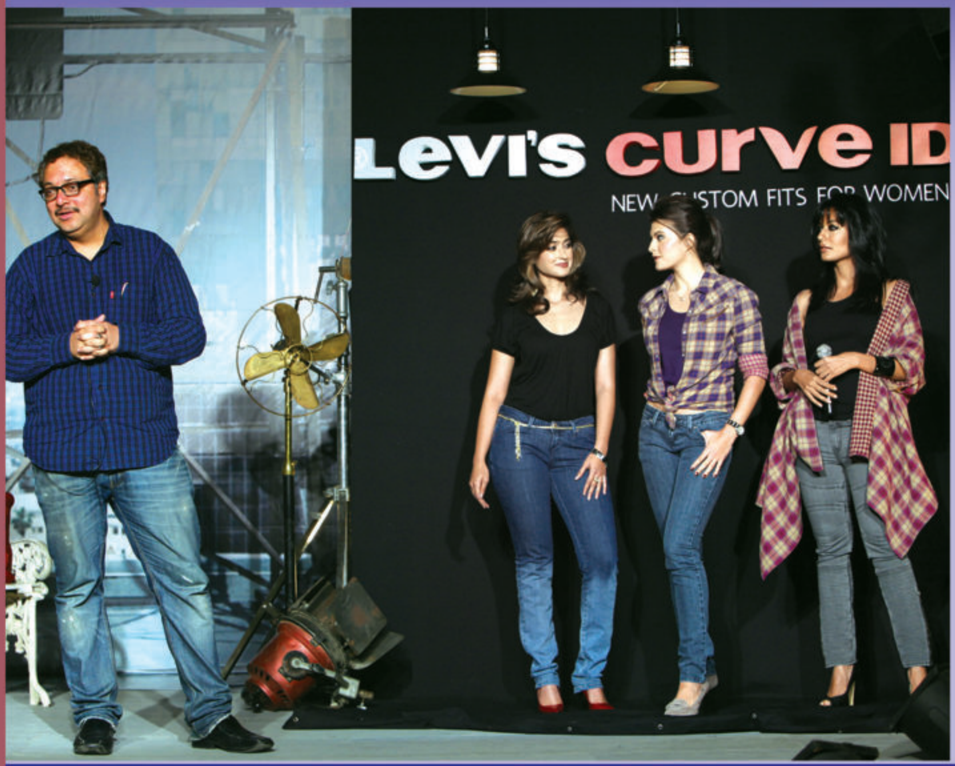
Levi's curve ID
NEW CUSTOM FITS FOR WOMEN

युवाओं की पसंद जींस में नित नए प्रयोग होते रहते हैं. नए दौर का फिट सिस्टम जिसका फोकस शारीरिक बनावट पर है, के तहत लीवाइस ने कस्टम फिट जींस की नई सीरीज पेश की है. लीवाइस कर्व आईडी महिलाओं के शरीर की बनावट के अनुसार बिल्कुल फिट बैठने के लिए बनाई गई है. विश्व भर की महिलाओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और 60,000 से अधिक महिलाओं के शरीर के स्कैन के अध्ययन के बाद लीवाइस के डिजाइनरों ने महिलाओं का शरीर मापने की एक नई विधि अपनाई. इस विधि के जरिए लीवाइस ने तीन प्रमुख विशिष्ट बनावटों को चिन्हित किया, जो सार्वभौमिक रूप से 80 फ़ीसदी महिलाओं में पाई जाती हैं. ये तीन लीवाइस कर्व आईडी फिट्स, इन सार्वभौमिक शरीर प्रकारों के अनुरूप हैं. इन तीन कस्टम फिट्स में स्लाइट कर्व सीधी शारीरिक आकृति को सुसज्जित करने के लिए डिजाइन किया गया है, डेमी कर्व सामान्य अनुपातों वाली शारीरिक आकृति पर फिट आने के लिए डिजाइन किया गया है और बोल्ड कर्व असली वक्र रेखाओं को सजाने के लिए डिजाइन किया गया.

आम लड़कियों को ख़ास और स्टाइलिश बनाने की कोशिश में तैयार किए गए इन जींस पैटर्न को लांच करने चित्रांगदा सिंह, इलियाना डि'क्रूज और जैकलीन फर्नांडीज सामने आईं. फिट सिस्टम, जिसे लीवॉयो वूमेंस डेनिम कलेक्शन के अधिकांश भाग में समावेशित किया गया है, वह विविध स्टाइल और फिनिश में उपलब्ध होगा. इस सीरीज को प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक स्टोर में महिलाओं के मापन, उनकी लीवॉयो कर्व आईडी जानने और उन्हें उनके शरीर की बनावट एवं पसंदीदा स्टाइल के अनुरूप सर्वोत्तम रूप से फिट आने वाली जींस सुझाने के लिए प्रशिक्षित फिट एक्सपर्ट होंगे.

Eraser's
Priva-HY
Feminine
HYGIENE WASH
IPSA
Mild & Gentle
Intimacy with confidence

हेल्दी हो ज़िंदगी

बदलते वक्त में महिलाओं की घर-परिवार के प्रति जिम्मेदारी बढ़ी है. उनका कार्यक्षेत्र केवल घर और बाज़ार तक सीमित न रहकर काफ़ी व्यापक हो गया है. ऐसे में गंदगी, धूल, धूप एवं प्रदूषण आदि से उनका सामना ज़्यादा होने लगा है. इससे उनके शरीर को हाइजिनिक बनाए रखने की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है. इरेज़र स्किन क्रीम के ब्रांड ऑनर तथा प्रोमोटर इप्सा लैब्स ने नारीत्व स्वच्छता यानी फेमिनीन हाईजीन एवं सुरक्षा के लिए इरेजर्स प्राईवा-हाई नाम से फेमिनीन हाईजीन वाश बाज़ार में पेश किया है. इरेजर्स प्राईवा-हाई सौ प्रतिशत सोप फ्री है और केमिकल का इस्तेमाल न के बराबर है. इसमें अलकली बेस भी नहीं है तथा इसका पी एच वैल्यू भी एकदम बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से महिलाओं की नर्म त्वचा को बिल्कुल नुक़सान नहीं पहुंचता.

इरेजर्स प्राईवा-हाई में इस्तेमाल की गई हर्बल चीज़ों जैसे माजूफल, पान, एलोवेरा, टी-ट्री, थाईमस, कोपाईबा आदि के तत्व अंग में पनपने वाले बैक्टीरिया, वायरस एवं फंगस को ख़त्म करते हैं, साथ ही उन्हें फैलने से भी रोकते हैं. इन हर्बल तत्वों में एंटीसेप्टिक और एंटीइनलामेटिक प्रभाव है, जिसके कारण सूजन, खारिश एवं लालिमा आदि ख़त्म होती है.

इप्सा लैब्स की निदेशक डॉ. सपना अरोरा के मुताबिक़, इरेजर्स प्राईवा-हाई में मौजूद विटामिन-ई त्वचा को स्वस्थ और कोमल बनाए रखने में मदद करता है. वातावरण में फैलते प्रदूषण और रोजमर्रा के जीवन में महिलाओं के रोल को देखते हुए उनकी सलाह है कि सभी महिलाओं को प्रतिदिन सोने से पहले कम से कम एक बार अपने अंगों को साफ़ तरीक़े से धोकर सोना चाहिए, इससे दिन भर की जमा गंदगी, धूल आदि से पैदा हुए बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और वे किसी प्रकार के संक्रमण से दूर रहती हैं. इरेजर्स प्राईवा-हाई फेमिनीन हाईजीन वाश का 100 मिली का पैक 91 रुपये की क़ीमत पर देश के प्रमुख मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स में उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विघ्नहर्ता रहें हमेशा साथ

धार्मिक रुझान वाले लोगों में भगवान गणेश का विशेष स्थान है और विघ्नहर्ता गणेश जनसामान्य के बीच सबसे लोकप्रिय भगवान हैं. कहा जाता है कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले यदि गणेश की पूजा की जाए या उनका नाम लिया जाए तो उस कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं होता. अपने जीवन में गणेश की अपरंपार लीला को समाहित करने के लिए बहुत सारे लोग उनके आकार का लॉकेट पहनते हैं. ऐसे ही श्री गणेश के पुजारियों के लिए द डायमंड डेस्टिनेशन ने विघ्नहर्ता गणेश के अलग-अलग रूपों का संग्रह बाज़ार में उतारा है. त्योहारों के मौसम में यह संग्रह अपने क़रीबियों को तोहफ़ा देने के लिए शुभ है, साथ ही ख़ुद धारण करने के लिए भी उत्तम है. यह संग्रह गणेश के आठ रूपों पर आधारित है, जो पहनने वाले को शांति, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करेगा. ओरा का विघ्नहर्ता गणेश संग्रह आध्यात्मिक पेंडेंट की एक सीरीज पेश करता है. 22 कैरेट सोने और प्लेटिनम वाले पेंडेंट में भगवान गणेश के वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, लंबोदर, विकट, विघ्नराजा, धूम्रवर्ण एवं गजानन नामक आठ रूपों को ख़ूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया है. इन पेंडेंट को माणिक, पन्ना, मोती और बेल्जियम में पाए जाने वाले असली हीरों के मेल से तैयार किया गया है. इसके साथ ही आध्यात्मिक महत्व रखने वाले रुद्राक्ष, मूंगा और पवित्र नवरत्नों जैसे महत्वपूर्ण पत्थरों के साथ सजाया गया है. ओरा ने संग्रह पेश करते हुए इन आकृतियों को इतने स्टाइलिश तरीक़े से गढ़ा है कि यह युवाओं को आकर्षित करने में सक्षम है. ओरा हर वर्ष नए आध्यात्मिक संग्रह पेश करता आया है. प्रत्येक संग्रह पूरी गहराई से धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है. यह पहले नवग्रह, सूर्य शक्ति, पंचायत्न, सिद्धिदाता एवं स्वयंभू जैसे आध्यात्मिक संग्रह पहले ही जारी कर चुका है. विघ्नहर्ता गणेश संग्रह के पेंडेंट देश भर में मौजूद ओरा के सभी बुटीक पर उपलब्ध हैं. इनकी क़ीमत 9300 रुपये से शुरू होती है.

स्पाइस लाइफ मोबाइल की नई रेंज

स्पाइस मोबिलिटी ने कनेक्टेड स्पाइस लाइफ नामक मोबाइल फोन की नई रेंज लांच की है. इसमें थ्री जी और नेक्स्ट जेनरेशन मोबाइल तकनीक वाले क्वालकम के चिप सेट्स शामिल किए गए हैं. इस रेंज के फोन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे. इसमें 3.2 इंच हाई रिजोल्यूशन एचवीजीए स्क्रीन वाला एमआई-300, 4.1 इंच हाई डेफिनेशन मिनी टेबलेट एमआई-410 और 7 इंच की स्क्रीन वाला मोबाइल इंटरनेट टेबलेट एमआई-700 आदि शामिल हैं. एमआई-410 और एमआई-700 बाज़ार में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर से नज़र आएंगे. 3.5 जी एंड्रॉयड फोन में जीएसएम व एमएस ऑफिस, लोकेशन ट्रैकिंग और टर्न बाई टर्न डायरेक्शन के लिए जीपीएस व ए-जीपीएस, वाई-फाई, पुश ई-मेल, जी-सेंसर, ई कंपास, प्रोक्सिमिटी सेंसर और अन्य 1,00,000 डाउनलोड करने वाले एप्लिकेशंस हैं, जो फोन को मेटल डिटेक्टर के रूप में कार्य करने के लायक बना देते हैं. इसमें 5 एमपी कैमरा, एसएनएस एप्लिकेशन है और यह क्वालकम चिपसेट के एमएसएम-7227 से पावर्ड है. यह ख़ास फोन देश के सभी स्पाइस हॉट स्पॉट सेंटर्स पर 9990 रुपये में उपलब्ध है. सुपर्ब डिजाइनिंग वाले एमआई-410 में बड़े 4.1 इंच एचवीजीए डिस्प्ले पर हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग और प्ले करने की सुविधा है. वाई फाई इनेबल्ड थ्री जी एचएसडीपीए, ब्लुटुथ 3.0 प्लस ईडीआर की मदद से इसमें 24 एमबीपीएस की स्पीड से फाइल ट्रांसफर होती है. एडवांस्ड कनेक्टिविटी ज़रूरतों को देखते हुए इसमें एजीपीएस, जीएमएस व एमएस ऑफिस के साथ-साथ क्वालकम की स्नैप ड्रैगन एमएसएम-8255 भी है. कंपनी के तीसरे ख़ास डिवाइस एमआई-700 में टू जी/थ्री जी, ब्लुटुथ के साथ वाई फाई होने की वजह से यह फोन के साथ इंटरनेट डिवाइस की तरह भी काम करता है. इसके हाई रिजोल्यूशन 7 इंच के स्क्रीन पर वेब ब्राउजिंग, फिल्म या फोटो देखना बेहद अच्छा लगता है. वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया डुअल कैमरा, यूएसबी डाटा इंटरफेस और हॉट स्वैप मेमोरी कार्ड इसे देश में उपलब्ध टेबलेट से जुदा करता है. इसके अलावा इसमें क्वालकम पॉवर्ड एमएसएम-7227 चिपसेट की मौज़ूदगी इसे ख़ास बनाती है.

spice
Google
18:03
Google Talk
Maps
Market
YouTube
spice
spice

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

क्रिकेट के खेल में फिक्सिंग का तमाशा खेल अधिकारियों के इसी नापाक और ग़ैर-ज़िम्मेदार रवैये का नतीजा है.

क्रिकेट से भरोसा उठ गया

पिछले एक साल में कम से कम दो देशों के क्रिकेट खिलाड़ियों ने आईसीसी को सटोरियों के ख़िलाफ़ सबूत उपलब्ध कराए हैं, लेकिन आईसीसी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. बांग्लादेश टीम के दो खिलाड़ियों से सट्टेबाज़ों ने पिछले साल भारत दौरे के दौरान संपर्क किया था जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कुछ खिलाड़ियों से 2009 में एशेज सीरीज़ के दौरान संपर्क किया गया था. इन खिलाड़ियों ने तत्काल ही इस बाबत आईसीसी को सूचित कर दिया, लेकिन काउंसिल की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई कुछ भी नहीं कर पाई.

तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं अभी बताता हूं. नई गेंद से पहला ओवर मोहम्मद आमिर करेगा और तीसरे ओवर की पहली गेंद नो बॉल होगी. दसवां ओवर मोहम्मद आसिफ करेगा और उसकी पांचवी गेंद नो बॉल होगी. यह बयान हैं सट्टेबाज़ मजहर मजीद के और अब तो सब जानते हैं कि उसका हर शब्द सच था. उसने यह सारी बातें खेल शुरू होने से पहले कही थी, लेकिन मैदान पर हूबहू वैसा ही हुआ. इसका क्या मतलब है. इसका स्पष्ट मतलब यही है कि इस खेल में टीम का कप्तान भी शामिल है, क्योंकि मैदान पर किस से कब गेंदबाज़ी करानी है, इसका फ़ैसला कप्तान ही लेता है. क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉड्र्स के मैदान पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चौथे टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने सट्टेबाज़ों के साथ मिलकर अपनी टीम को जीत की हालत से हार के मुंह में ढकेल दिया. टीम के सात खिलाड़ियों ने स्पॉट फिक्सिंग कर करोड़ों की कमाई की. स्पॉट फिक्सिंग का यह ओपन एंड शट मामला है, लेकिन न तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और न ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (पीसीबी) ऐसा मानने को तैयार हैं. तभी तो पीसीबी किसी भी कार्रवाई से पहले अपनी जांच समिति की रिपोर्ट के इंतज़ार में बैठा रहा. तमाम लोगों का यही मानना था कि इतने पुख्ता सबूतों के मिलने के बाद पीसीबी को दोषी खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर टीम को वापस बुला लेना चाहिए था. लेकिन न तो पीसीबी ने ऐसा किया और न ही आईसीसी ने. टेस्ट मैच ख़त्म होने के बाद वनडे सीरीज़ भी बदस्तूर चलता रहा. और क्रिकेट के खेल में फिक्सिंग का तमाशा खेल अधिकारियों के इसी नापाक और ग़ैर-ज़िम्मेदार रवैये का नतीजा है.

फिक्सिंग का भूत क्रिकेट के लिए नया नहीं है. बैट और बॉल के बीच संघर्ष के इस खेल में पैसा, सेक्स और ड्रग्स का खेल भी लंबे समय से चलता आ रहा है. पैसों के लालच में अपनी टीम के साथ और अपने देश के साथ गद्दारी करने का खिलाड़ियों का इतिहास पुराना है, लेकिन सट्टेबाज़ी का खेल इतनी सफाई से खेला जाता है कि इसके सबूत हासिल करना नामुमकिन के जैसा है. 1990 के दशक के आख़िरी दिनों में दक्षिण अफ्रीकी टीम के पूर्व कप्तान हैन्सी क्रोन्ये के खुलासे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया था. दिल्ली पुलिस ने सट्टेबाज़ों के साथ क्रोन्ये की फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और संभवत: पहली बार क्रिकेट में परदे के पीछे चल रहे इस खेल के सबूत मिले. पूछताछ में क्रोन्ये ने स्वीकार किया कि उन्होंने मैच हारने के लिए पैसे लिए थे. क्रोन्ये के अलावा हर्शेल गिब्स, निकी बोए और पीटर स्टायरडम भी पैसे लेने वालों में शामिल थे. क्रोन्ये प्रकरण पर उठे बवाल से भारत भी अछूता नहीं था. क्रोन्ये ने अपने बयान में भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अज़हरूद्दीन और अजय जडेजा एवं पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान सलीम मलिक का नाम भी लिया था. बीसीसीआई ने अज़हरूद्दीन पर आजीवन एवं जडेजा पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया. पाकिस्तान में मलिक के साथ-साथ तेज गेंदबाज़ अताउर रहमान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया. आईसीसी के तेवरों को देखकर ऐसा लगा मानो क्रिकेट से मैच फिक्सिंग का साया हमेशा के लिए दूर हो जाएगा. लेकिन आईसीसी के उपाय नाकाफी साबित हुए. मैचों को फिक्स करने की ख़बरें गाहे-बगाहे अख़बारों की सुर्ख़ियां इसके बाद भी बनती रही और पाकिस्तान इसमें सबसे आगे रहा है. पाकिस्तानी टीम का शायद ही ऐसा कोई खिलाड़ी हो, जिसका नाम सट्टेबाज़ों के साथ न जोड़ा गया हो. लेकिन पीसीबी ने कभी इसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई नहीं की. या तो खिलाड़ियों को छोटी-मोटी सजा देकर छोड़ दिया गया या मामले पर परदा डाल दिया गया. सच्चाई तो यह है कि सभी देशों की क्रिकेट बोर्डों का हाल कमोबेश एक जैसा है. 1998 में ऑस्ट्रेलिया के दो पूर्व खिलाड़ियों शेन वार्न और मार्क वॉ को सटोरियों के साथ मिलीभगत का दोषी पाया गया था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों को केवल जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया. क़रीब दो साल पहले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज़ मर्लोन सैमुअल्स के ख़िलाफ़ भी सट्टेबाज़ों के साथ मिलीभगत के सबूत मिले थे, लेकिन सैमुअल्स को केवल दो साल के लिए प्रतिबंधित कर छोड़ दिया गया.

यह भी सच है कि मैच फिक्सिंग में हर देश के खिलाड़ी शामिल हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्रिकेट का बढ़ता व्यवसायीकरण. क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसका बाज़ार लगातार बढ़ रहा है और यह ग्लोबल स्पोर्ट के रूप में तब्दील होता जा रहा है. आज एक मैच के लिए हर खिलाड़ी को लाखों रुपये मिलते हैं. इसके अलावा विज्ञापन, मॉडलिंग, स्पांसरशिप आदि से होने वाली आमदनी से हरेक खिलाड़ी साल में करोड़ों की कमाई कर लेता है. क्रिकेट बोर्डों की कमाई भी इसी अनुरूप आसमान छू रही है. टेलीकास्ट राइट्स, प्रायोजन अधिकार और अन्य स्त्रोतों से हर देश की क्रिकेट बोर्ड आज अरबों में खेल रही है. जब खेल में इतना पैसा हो, तो पांव बहकने की आशंका हमेशा बनी रहती है. इंडियन प्रीमियर लीग जैसे खेल आयोजनों ने इन आशंकाओं को और मज़बूती दी है. चौथी दुनिया आईपीएल में चलने वाले फिक्सिंग के खेल का पहले ही खुलासा कर चुका है. लेकिन देशी क्रिकेट संस्थाएं और आईसीसी इस ओर से आंखें मूंदे बैठी हैं.

सच्चाई यह भी है कि मैच फिक्सिंग के इस खेल में खिलाड़ियों के साथ-साथ क्रिकेट बोर्ड भी बराबर की साझीदार हैं. मोहम्मद आसिफ की पूर्व गर्लफ्रेंड वीना मलिक ने तो पीसीबी के अधिकारियों पर खुले तौर पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने का आरोप लगाया है. उनकी बातों को इतनी आसानी से ख़ारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा स्कैंडल सामने आने के बावजूद पीसीबी जिस तरह अपने खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, उससे किसी गहरी साज़िश की बू आती है. यही बात आईसीसी के लिए भी कही जा सकती है. पहले की घटनाओं को छोड़ भी दें तो पिछले एक साल में कम से कम दो देशों के क्रिकेट खिलाड़ियों ने आईसीसी को सटोरियों के ख़िलाफ़ सबूत उपलब्ध कराए हैं, लेकिन आईसीसी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. बांग्लादेश टीम के दो खिलाड़ियों से सट्टेबाज़ों ने पिछले साल भारत दौरे के दौरान संपर्क किया था जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के कुछ खिलाड़ियों से 2009 में एशेज सीरीज़ के दौरान संपर्क किया गया था. इन खिलाड़ियों ने तत्काल ही इस बाबत आईसीसी को सूचित कर दिया, लेकिन काउंसिल की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई कुछ भी नहीं कर पाई. ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि मैच फिक्सिंग की बढ़ती घटनाओं के लिए सबसे बड़ा दोषी आईसीसी ही है. लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा है. मैच फिक्सिंग का यह घुन जिस तरह क्रिकेट के खेल को लगातार खोखला करता जा रहा है, उससे यह ख़तरा पैदा हो गया है कि कहीं इस खेल से भरोसा ही न उठ जाए. आईसीसी के साथ-साथ तमाम देशों के क्रिकेट बोर्डों को यह ध्यान रखना होगा कि यदि अब कड़े क़दम नहीं उठाए गए तो क्रिकेट के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़े हो जाएं.

आदित्य पूजन
aditya@chauthiduniya.com

सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी
दो टूक

शनिवार रात 8 : 30 बजे
रविवार शाम 6 : 00 बजे
ईटीवी के सभी हिन्दी चैनलों पर
ETV

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया
दिल्ली, 13 सितंबर-19 सितंबर 2010

बेबाक राखी जो भी बोलती है, उसके पीछे उनका कोई न कोई एजेंडा अवश्य होता है. अपने आनेवाले शो को पॉपुलर बनाने की योजना के तहत राखी ने राज ठाकरे को भी शो में आने का निमंत्रण दे डाला.

अब राखी करेंगी प्यार का इंसाफ़

प्रियंका प्रियम तिवारी

हॉट बेब राखी सावंत टेलीविजन चैनल एनडीटीवी इमेजिन पर प्यार में धोखा खाए प्रेमियों को इंसाफ़ देने वाले एक रिएलिटी शो में होस्ट बनी हैं. शो का नाम है राखी का इंसाफ़, जहां राखी इंसाफ़ की देवी बनी नज़र आएंगी. यह शो स्टार प्लस पर किरण बेदी के शो किरण की अदालत की तर्ज़ पर ही बनाया गया लगता है. शायद राखी इस शो के ज़रिए अपनी प्लेगर्ल की छवि बदलना चाहती हैं. प्रेम संबंधों में अब तक ख़ुद पछाड़ खाई राखी को शायद इस बाबत कुछ ज़्यादा ही अनुभव हो गया है, तभी तो वह इस शो में आम लोगों की प्रेम समस्याओं और मुद्दों पर जजमेंट देंगी. उनका यह शो आम आदमी के वास्तविक जीवन में होने वाले प्रेम संबंधों से जुड़ी समस्याओं से परिचित कराएगा. शो में राखी सावंत न सिर्फ़ समस्याओं को सुलझाएंगी, बल्कि न्याय भी करेंगी. वह दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौक़ा भी देंगी. उनके विचार सुनने के बाद ही वह एक उचित न्याय देंगी. हालांकि यह न्याय क़ानून से परे होगा.

वैसे राखी को आजकल फिल्मों में काम तो मिल नहीं रहा. इस वजह से रिएलिटी शोज में आने के उनके फ़ैसले को उनके कैरियर के लिहाज़ से सही ही ठहराया जाएगा. फिल्मों में काम करने के लिए अच्छे अभिनय की ज़रूरत पड़ती है, जो राखी के लिए थोड़ा मुश्किल है. राखी की ख़ासियत है उनका आइटम डांस, लेकिन आजकल राखी से भी ज़्यादा बोल्ड और ग्लैमरस आइटम डांसर्स फिल्म इंडस्ट्री में मौज़ूद हैं और वह भी कम पैसे में. इसके चलते राखी की पूछ घट गई है. इन सब वज़हों पर ग़ौर करें तो राखी ने रिएलिटी शो करने का जो फ़ैसला लिया है, वह मौक़े के बिल्कुल अनुरूप है. कम से कम इस बहाने उन्हें दर्शकों से रूबरू होने का अवसर भी मिल गया है और अच्छा पैसा भी. रिएलिटी शो के कलाकारों को एक शो के लिए 200,000 रुपये से भी ज़्यादा पैसा मिलता है. जाहिर है, उनके पास न शोहरत की कमी है, न ही पैसे की.

बेबाक़ राखी जो भी बोलती हैं, उसके पीछे उनका कोई न कोई एजेंडा अवश्य होता है. अपने आनेवाले शो को पॉपुलर बनाने की योजना के तहत राखी ने राज ठाकरे को भी शो में आने का निमंत्रण दे डाला और कहा कि मुंबई में बढ़ती प्रवासियों की संख्या की समस्या से निपटने के लिए उनके पास राज ठाकरे से बेहतर उपाय हैं. हम यह तो नहीं कहते कि राखी राजनीति में आना चाहती हैं, पर उनके पिछले बयानों को देखकर तो ऐसा ही लगता है. याद कीजिए अपने स्वयंवर के दौरान राखी ने कई बार जीसस की कसम खाई थी और ईसाई धर्म के प्रति अपनी आस्था दर्शाई थी. अब ईसाई धर्म पर आधारित एक सीरियल द होली बाईबिल के ज़रिए राखी प्रोडक्शन की दुनिया में भी क़दम रखने जा रही हैं. तो क्या राखी का जीसस की कसम खाना और ईसाई धर्म में अपनी आस्था दिखाना एक सोची समझी चाल थी जिसे वह अब भुना रहीं हैं. भविष्य की सोचने वाली राखी ज़ाहिर है अकेले तो यह सब नहीं करती हैं, इसके पीछे उनके साथ और लोगों का भी दिमाग़ काम कर रहा है. इससे राखी को नाम और पैसा तो मिल ही रहा है, साथ ही उनसे जुड़े अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है.

priyanka @chauthiduniya.com

क्रिएटिविटी और रिलीजन के बीच कनेक्शन है निशा कोठारी

कभी रामू यानी राम गोपाल वर्मा की क़रीबी रही दिल्ली की निशा कोठारी बॉलीवुड में अपना मुक़ाम बनाने की कोशिश कर रही है. सरकार में स्ट्रगलर एक्ट्रेस और रामू की आग (शोले) में बसंती का किरदार, इन भूमिकाओं से उन्हें एक अलग पहचान मिलती जा रही है. निशा ग्लैमरस हैं, यह सब जानते हैं, लेकिन वह धार्मिक भी हैं, यह शायद कम ही लोग जानते होंगे. निशा का परिवार जैन धर्म को मानता है. उनकी मां निर्मला कोठारी ने एक माह का उपवास रखा था. जैन धर्म में इसे मास खमण कहते हैं. इसी मौक़े पर निशा दिल्ली में थी और उन्होंने चौथी दुनिया संवाददाता शशि शेखर से धर्म से ले कर अपनी आने वाली फिल्मों पर खुल कर बात की.

आपका परिवार इतना धार्मिक है. एक तरफ़ घर का धार्मिक माहौल और दूसरी ओर ग्लैमरस फील्ड में करियर बनाने की सोच, दो अलग-अलग बातें नहीं थी.

ऐसा नहीं है कि अगर आप धार्मिक है तो ग्लैमर के बारे में नहीं सोच सकते. मेरा परिवार धार्मिक है, लेकिन करियर के संबंध में मुझे कभी मेरे परिवार से कोई दिक्कत नहीं हुई. और मैं तो यह भी कहती हूं कि रिलीजन और क्रिएटिविटी के बीच एक गहरा संबंध है.

यह आपने एक बड़ी बात कह दी. आप ज़रा समझाएंगी, धर्म और रचनात्मकता (क्रिएटिविटी) के बीच यह कनेक्शन क्या है.

देखिए, एक्टिंग क्या है. यह हमारी फीलिंग है. एक्टिंग के दौरान जो भाव हम अपने चेहरे पर लाते हैं या जो डॉयलाग बोलते हैं, वह कहां से आते हैं? अगर आप धर्म में यक़ीन रखते हैं तो ज़ाहिर है आप अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छा करने की सोचेंगे. और जब आप अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छी सोच हमारी एक्टिंग में भी दिखाई देती है. मेरा तो यह मानना है कि एक अच्छी क्रिएटिविटी से आप धर्म को अलग नहीं कर सकते.

जैन धर्म के विशेष उपवास, मास खमण के बारे में क्या आप पहले से कुछ जानती थी. क्या सोचती हैं इस विशेष उपवास के बारे में?

मैं जैन धर्म से ही हूं, लेकिन पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था. जब मेरी मम्मी ने एक महीने का उपवास रखा तो मुझे इसके बारे में जानकारी हुई. मैं मुंबई से दिल्ली आ गई. इस दौरान मैं मम्मी के साथ रही. एक महीने तक उनको कुछ खाते न देख, शुरू में काफ़ी दुख होता था लेकिन अब लग रहा है कि यह विशेष उपवास वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है.

क्या आप कभी इस तरह का उपवास रखना चाहेंगी?

(हंसते हुए) नहीं. हमारा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है कि इस तरह का उपवास रख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा.

आजकल फिल्मों में नज़र नहीं आ रही हैं?

नहीं, मैं फिल्में कर रही हूं. अभी साउथ में कई फिल्में की है. नवंबर में एक हिंदी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है.

किस प्रोडक्शन की फिल्म है ये?

यह अभी नहीं बता सकती.
(निशा इस सवाल को हंस कर टाल देती है कि क्या ये फिल्म राम गोपाल वर्मा प्रोडक्शन की है)

निशा, आपने हमसे बात की, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी-बड़ी बाते हमें बताई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

दीपिका का दर्द...

इन दिनों बी-टाउन की तितलियां किसी न किसी डिजाइन या ब्रांड को एंडोर्स करने में लगी हैं. अभी हाल ही में मुंबई में आयोजित रिटेल ज्वेलरी एसोसिएशन अवॉर्ड, 2010 के दौरान दीपिका पादुकोण को ज्वेलरी स्टाइल आइकन 2010 से नवाज़ा गया. इस मौक़े पर दीपिका परंपरागत पहनावे में बेहद ख़ूबसूरत लग रहीं थी. यह समारोह दीपिका के लिए ख़ास तौर पर आयोजित किया गया था. इस समारोह में दीपिका के बचपन से लेकर अबतक बिताए गए ख़ूबसूरत लम्हों को संजोकर रखे गए फोटो का शोकेस पेश किया गया. उनकी पिछली ज़िंदगी को फोटो के रूप में उनके प्रशंसकों तक पहुंचाया गया. यह फोटो शोकेस समारोह की विशेषता रही. पर दीपिका ख़ुश थीं तो अवॉर्ड से नवाज़े जाने से. भारी भरकम ज्वेलरी पहनकर वह बेहद उत्साहित थीं क्योंकि दूसरी औरतों की तरह उन्हें भी गहनों से विशेष लगाव है.

एक तरफ दीपिका यह अवॉर्ड पाकर खुश हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें कुछ गम भी सता रहा है. वैसे तो दीपिका का नाम कईयों के साथ जोड़ा गया, कभी युवराज सिंह तो कभी रणबीर कपूर के साथ. पर शायद उनको किसी का साथ गंवारा नहीं. अब यह तो पता नहीं कि वह अपने प्रेमियों को छोड़ देती हैं या उनके प्रेमी ही दगा दे जाते हैं, लेकिन आजकल दीपिका के दुख की वजह यह है कि उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड निहार पांडे के नए अफेयर के चर्चे आम हो गए हैं. निहार मॉडल व अभिनेत्री गौहर ख़ान के साथ डेटिंग कर रहे हैं. वो कहते हैं न कि आपका प्यार भले ही आपके साथ ना हो, पर वह किसी और की बाहों में हो तो तकलीफ़ तो होती ही है. दीपिका भी आजकल इसी तकलीफ़ से गुज़र रही हैं.

पर कोई बात नहीं दीपिका, इस खेल में ऐसा ही होता है, आना जाना तो लगा ही रहता है. लेकिन दीपिका सोचिए कि आपके प्रेमी आपको क्यों छोड़ देते हैं. और जल्दी सोचिए, वरना कहीं देर ना हो जाए.

प्रिव्यू

अंजाना अंजानी

फिल्म अंजाना अंजानी नाडियाडवाला ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट और इरोज़ एंटरटेनमेंट के अंतर्गत बनी है. इसके निर्माता साजिद नाडियाडवाला और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद हैं.

संगीत दिया है विशाल शेखर ने और मुख्य कलाकार हैं रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा. यह एक लवस्टोरी है. फिल्म की कहानी आकाश (रणबीर कपूर) और कियारा (प्रियंका चोपड़ा) के इर्द गिर्द घूमती है. प्रियंका यानी कियारा सन फ्रांसिस्को में रहने वाली लड़की के किरदार में हैं, जबकि रणबीर यानी आकाश न्यूयॉर्क सिटी में रहता है. दोनो की मुलाक़ात न्यूयॉर्क सिटी में होती है. यह मुलाक़ात अज़ीबोग़रीब परिस्थिति में एक यात्रा के दौरान होती है. इस यात्रा के दौरान आकाश और कियारा अजनबी ही बने रहना चाहते हैं. उनके इस सफ़र की दास्तां में दर्द भी है, मस्ती भी है और प्यार भी है, लेकिन वे इसे महसूस नहीं कर पाते हैं. इस यात्रा में भी वे एक शर्त से बंधे होते हैं कि उन्हें अगले बीस दिनों तक ही जीना है और फिर ख़ुदकुशी कर लेनी है. उन दोनों के पास एक दूसरे के साथ जीने के लिए केवल 20 दिन ही हैं, इन बीस दिनों में वे हर पल का मज़ा लेना चाहते हैं और उसके बाद दोनों ख़ुदकुशी करने वाले होते हैं. दोनों हर दिन को ऐसे जीते हैं मानो वह दिन ही उनका दुनिया में आख़िरी दिन हो, इस दरम्यान वह आसमान छूना चाहते हैं और पूरी धरती नापना चाहते हैं. लेकिन जब यह शर्त ख़त्म होती है यानी 20 दिन की मियाद पूरी होती है, तब अंजाना-अंजानी के सामने एक संकट खड़ा हो जाता है, जो उन्हें जीने के लिए मजबूर कर देता है. लेकिन उस मौत की शर्त का क्या होगा, वो क्या करते हैं, यही कहानी है फिल्म अंजाना-अंजानी की. कुछ हास्यास्पद घटनाएं घटती हैं और आकाश-कियारा को अलग होना पड़ता है. दोनों यह सोचकर अलग होते हैं कि उनके साथ बिताए गए कुछ दिन सिवाय पागलपन के कुछ नहीं थे. अलग भी वे वैसे ही होते हैं, जैसे मिले थे. अजनबियों की तरह. लेकिन क्या वो प्यार जिससे वे अंजान हैं दोनों को एक-दूसरे की ओर खींच लाएगा. यह जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी. इस फिल्म को न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, लास वेगास और सेन फ्रांसिस्को में फिल्माया गया है.

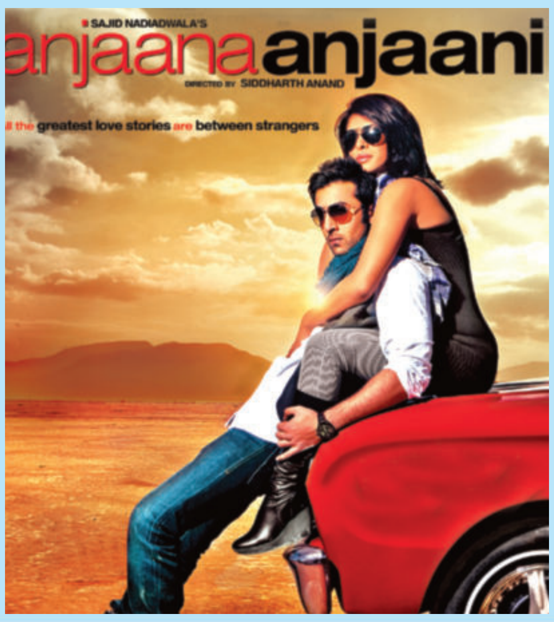
SAJID NADIADWALA'S
anjaana anjaani
DIRECTED BY SIDDHARTH ANAND
the greatest love stories are between strangers

अलग पटकथा पर आधारित यह फिल्म दरअसल है एक लवस्टोरी है जो इसी वर्ष ऑस्कर के लिए नामित हॉलीवुड फिल्म एन एजुकेशन की कॉपी है. फिल्म की कहानी ही नहीं, फिल्म का पोस्टर भी लोन शरफिग की फिल्म एन एजुकेशन से कॉपी किया गया है. सिर्फ़ यही नहीं, फिल्म में कहानी को दिया गया प्लॉट भी फ्रांसीसी फिल्म ला फिल सर्ली पोंट: द गर्ल ऑन द ब्रिज की कॉपी है.

ऐसा माना जाता है कि साजिद नाडियाडवाला फिल्में बनाते समय दिल खोलकर पैसा ख़र्च करते हैं. इसलिए उनकी फिल्मों में भव्यता नज़र आती है. सलाम नमस्ते (2005) और बचना ऐ हसीनो (2008) ने हलचल ज़रूर मचाई, लेकिन क़ामयाबी हासिल नहीं कर पाईं, जबकि तारा रम पम (2007) बुरी तरह फ्लॉप रही. अब तक असफलता का ही मुंह देखने वाले सिद्धार्थ की शायद यह फिल्म हिट साबित हो. 24 सितंबर को उनकी फिल्म अंजाना अंजानी रिलीज होने वाली है. अपनी इस फिल्म के बारे में साजिद कहते हैं यह मेरे बैनर की पहली यंग और कूल लव स्टोरी है, जिसमें रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे सुपरस्टार्स प्रमुख आकर्षण हैं.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 13 सितंबर-19 सितंबर 2010

www.chauthiduniya.com

चुनाव में ख़ून बहेगा

सरोज सिंह

चुनावी शंखनाद के साथ ही शांतिपूर्ण मतदान पर नक्सली आतंक का साया मंडराने लगा है. ऑपरेशन ग्रीन हंट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी से बौखलाए नक्सली चुनावी सफ़र को रक्तरंजित करने की तैयारी में जुट गए हैं. आधुनिक हथियारों से लैस नक्सलियों के मारक दस्तों ने चुनावी हिंसा की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है. लखीसराय में इसकी झलक भी नक्सलियों ने दिखा दी है. सूबे में दूसरे राज्यों से भी मारक दस्तों के आने की सूचना है. राज्य सरकार इनसे निबटने के लिए कितनी तैयार है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कजरा की पहाड़ियों में तीन सौ से ज़्यादा नक्सलियों से निपटने के लिए केवल 20 जवानों को भेजा गया था. नक्सली जमावड़े की ख़ुफ़िया जानकारी के बावजूद इस तरह की लापरवाही से सूबे में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर ख़ून बहने की आशंका प्रबल हो गई है.

नक्सली वारदातों के आंकड़ों पर ग़ौर करें तो सूबे में बिगड़े हालात की बड़ी ही भयावह तस्वीर सामने आती है. पिछले तीन वर्षों में पुलिस और नक्सलियों के बीच 130 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें 62 पुलिसकर्मी शहीद हो गए. इस अवधि में नक्सलियों ने 302 घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें जानमाल का भारी नुक़सान हुआ. बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन के महामंत्री के के झा इसका कारण राजनेताओं के बीच सामंजस्य न होना मानते हैं. उनका मानना है कि केंद्र व राज्य सरकार के विरोधाभासी बयानों से नक्सलियों का मनोबल बढ़ा है. राज्य के दो तिहाई ज़िलों में नक्सलियों का दबदबा कायम है. इस वजह से वह जो भी फरमान जारी करते हैं, वह लागू हो जाता है.

विकास योजनाओं की पहली ईंट बिना नक्सलियों को लेवी दिए नहीं जोड़ी जा सकती है. यह कोई नया किस्सा नहीं है, पर पिछले पांच सालों में नक्सल समस्या को जितने हल्के ढंग से लिया गया, उससे वारदातों में इजाफा हुआ है और जवानों के शहीद होने के आंकड़े बढ़े हैं. राज्य में होने वाले चुनाव पर लौटें तो ख़ुफ़िया रिपोर्ट बताती है कि नक्सली पूरी तैयारी में हैं और छोटी सी भी चूक बड़े नुक़सान का कारण बन सकती है. ख़ुफ़िया रिपोर्ट बताती है कि नक्सली चुनाव प्रकिया को बाधित करने की पूरी कोशिश करेंगे. कुछ ज़िलों में बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है. पटना का दियारा क्षेत्र, वैशाली विधानसभा क्षेत्र, राबड़ी देवी का निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर और मुज़फ़्फ़रपुर के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी हिंसा राजनीतिक दलों की शह पर असमाजिक तत्व कर सकते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि जमुई, कैमूर, गया, शिवहर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद और सारण ज़िलों में नक्सली चुनाव के दौरान उत्पात मचा सकते हैं. विशेषकर स्कूल भवनों को निशाना बनाया जा सकता है. पुलिस के भरोसेमंद सूत्रों पर भरोसा करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए नक्सलियों से मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें पैसों के लेन-देन का खेल बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है. दिक़्क़त यह है कि तमाम जानकारी होने के बावजूद समय पर कारगर क़दम नहीं उठाए जा रहे हैं. हालांकि नक्सलियों की तैयारियों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी जवाबी रणनीति बनाने में जुट गया है. मगर, सवाल यह है कि इस रणनीति को अमलीजामा पहनाने में कितनी ईमानदारी बरती जाएगी. अगर चूक हुई तो चुनाव के दौरान बिहार की धरती को खून से लाल होने से रोकना मुश्किल हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

नेताओं के हथियार से नक्सली कर रहे प्रहार

बिहार-झारखंड में नक्सली संगठनों की बढ़ी सक्रियता और बेलगाम हरकतों ने जहां सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से हलकान कर रखा है, वहीं आम-अवाम भी उनकी गतिविधियों से पस्त दिख रहा है. बस्तियों-जंगलों में गोलियों की बौछार कर या फिर सड़कों पर बारूदी सुरंगों का विस्फोट कर दहशत फैलाने वाले नक्सलियों ने आम जनता और सरकारी मशीनरी को आतंकित करने का एक नया तरीका ईजाद किया है. नक्सलियों का एक फरमान लाखों लोगों को आतंकित करने के लिए काफी होता है. जब फरमानों का सिलसिला बदस्तूर जारी हो तो फिर आतंक और दहशत के क्या कहने.

मिशन 2050 के तहत सांगठनिक विस्तार में लगे नक्सली संगठनों ने आतंक और दहशत फैलाने के लिए राजनैतिक दलों की कार्य पद्धति को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. नक्सली संगठनों ने जिस प्रकार से बंद के आयोजन का सिलसिला शुरू किया है, उससे तो यही लगता है कि वह बंद का कीर्तिमान स्थापित करने में लगे हैं. बीते छह माह में नक्सलियों ने 20 बार बंद कराया और जब कभी नक्सली संगठनों ने बंद की घोषणा की है, तब आम लोगों से लेकर सरकारी अमलों में हड़कंप की स्थिति देखी गई.

नक्सली संगठनों का सर्वाधिक निशाना रेलवे रहा है. नक्सलियों के हर बंद पर भारत की लाइफ लाइन मानी जाने वाली रेलवे की रफ्तार मंद हुई है. इस दौरान लाखों लोगों की जान सांसत में अटकी है. ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा. परिचालन के समय को संशोधित करना पड़ा या फिर रात में चलने वाली रेलगाड़ियों को पूरी तरह रद्द करना पड़ा. यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब कभी भी बंद की घोषणा हुई है, तब रेलवे प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए. नक्सलियों का बंद 24 घंटे से लेकर पूरे सप्ताह तक का रहा है. बंद के कारणों पर नज़र डालें तो साथियों की गिरफ्तारी, मानवाधिकार हनन और ऑपरेशन ग्रीन हंट के विरोध में बंद बुलाया गया. इसके साथ ही अवैध खनन और केंद्र सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ भी बंद का आयोजन किया गया.

वर्ष 2010 में नक्सलियों ने अब तक 22 बंद का आयोजन किया है. वर्ष 2010 में दो जनवरी को नक्सली संगठनों ने 24 घंटे का बंद बुलाया. इस बंद में बिहार, झारखंड और उड़ीसा को शामिल किया गया. इस साल के पहले बंद का कारण सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर मानवाधिकारों का हनन था. मानवाधिकार हनन का आरोप

शेष पृष्ठ 19 पर

बिहार पुलिस पर हुए प्रमुख नक्सली हमले

☐ 13 अप्रैल 08 - झाझा स्टेशन पर जीआरपी एवं सैप के चार जवानों सहित छह की हत्या.
☐ 26 अप्रैल 08 - वैशाली के जंदाहा स्थित अमथावा गांव में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जंदाहा थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सुमन घायल हो गए.
☐ 21 अगस्त 08- इमामगंज के रानीगंज बाज़ार में माओवादियों के हमले में पांच सैप जवान और जमादार शही समेत दो अन्य की मौत.
☐ 16 जनवरी 09- जमुई कोर्ट हाजत पर नक्सलियों ने हमला कर दस कैदियों को छुड़ाया.
☐ 09 फरवरी 09 - नवादा के कौवाकोल थाने के महुलियाटांड में नक्सलियों ने थाना प्रभारी रामेश्वर राम समेत दस जवानों की हत्या कर हथियार लूटे.
☐ 22 अगस्त 09- जमुई के सोना में नक्सली हमले में एसआई मो. कलामुद्दीन और चार सैप जवान शहीद.
☐ 6 जनवरी 2010- भागलपुर में बीएमपी कैंप पर नक्सली हमला, चार जवान जख्मी, दो कारबाइन और चार एसएलआर लूटे.
☐ 13 फरवरी 2010- कोंच थाने के मझियावां गांव में छापेमारी करने गई पुलिस पर नक्सली हमला. टेकारी थाना प्रभारी मिथिलेश प्रसाद शहीद.
☐ 2 मई 2010- औरंगाबाद के टड़वा बाज़ार में चार जवानों की हत्या, चार एसएलआर, कारबाइन, हैंड ग्रेनेड और गोलियां लूटीं.
☐ 29 अगस्त 10 जमुई के कजरा में नक्सली हमले में सात पुलिसकर्मी शहीद.

उद्यम लगाने वाले लोगों को न्यूनतम 25 हज़ार तथा अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा. इन नए उद्यमों में टाइल्स, राइस मील, साइबर कैफे सहित अन्य कई तरह के उद्यम लगाए जाएंगे.

अजय कुमार सिंह, आनंद मल्लिक, अनोखा देवी आदि के नामों की भी चर्चा है. एक ओर जहां अजय की अपनी अलग पहचान है, वहीं अनोखा भी कम नहीं हैं.

चुनावी तड़का

निर्दलीय उम्मीदवारों का रिकॉर्ड बनेगा

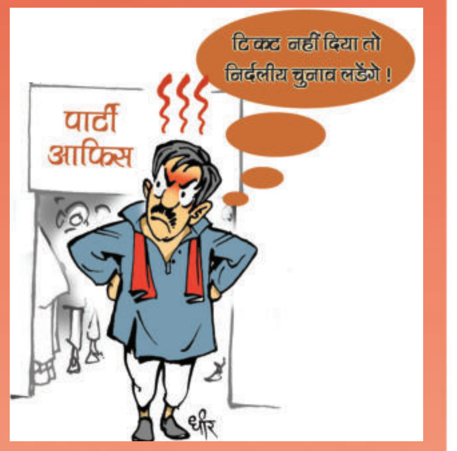
टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे !
पार्टी आफिस
धीर

इन दिनों ज़्यादातर नए नेता बग़ावती तेवर अपना रहे हैं. कारण पूछने पर कहते हैं कि बड़े नेता तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं. क्षेत्र से दल बल के साथ आए नेताजी पटना में डेरा जमाए टिकट के लिए बड़े नेताओं की चिरौरी में दिन गुज़ार रहे हैं. देर रात लौटने पर पूछने वाले शुभचिंतकों की कतार से परेशान नेताजी का फाइनल कमेंट आता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए. अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव जीतेंगे और तब पार्टी नेताओं को करारा जवाब देंगे. यह हाल तक़रीबन सभी दलों का है. इसलिए यह कहना ग़लत नहीं होगा कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों का रिकॉर्ड बनेगा.

आपको फिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए

चुनाव को देखते हुए अरसों बाद मुख्यमंत्री निवास का दरवाजा कार्यकर्ताओं के लिए खोला गया. पार्टी के लोगों के लिए यह नया अनुभव था. उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री जी उनकी बात सुनेंगे और इसी आधार पर टिकट देने का फ़ैसला करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के सवाल–जवाब के अंदाज़ ने कई टिकटार्थियों को निराश कर दिया. टिकट की चाहत रखने वाले खुलकर अपनी बात रखते, इससे पहले ही नीतीश कुमार उनसे पूछ रहे थे कि बताइए आपको टिकट क्यों दिया जाए. टिकट चाहने वाले इस सवाल का जवाब देने को भी तैयार थे, लेकिन वे चाहते हैं कि पहले उनकी बात सुनी जाए. ऐसा न होते देख एक टिकटार्थी ने नीतीश कुमार से ही उलटा सवाल कर दिया कि बताइए आपको फिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए.

गाड़ी लोजपा की, प्रचार जदयू का

राजनीति भी अजीब खेल है. इस खेल के एक खिलाड़ी हैं रंजन यादव. लालू–राबड़ी राज में सिक्का चलना कम हुआ तो लोजपा के बंगले में आ गए और जब दिखा कि बंगले का अंधेरा कम नहीं हो रहा तो तीर चलाने लगे. उनका निशाना सही लगा और अब सांसद रंजन यादव कहलाते हैं. ख़ैर किसी ने ग़लत नहीं कहा, राजनीति तो मौक़ा भुनाने का ही खेल है. लोजपा वालों ने भी बुरा नहीं माना, लेकिन एक बात को लेकर लोजपाइयों का दर्द गाहे–बगाहे उभर आता है. यह दर्द है चमचमाती कार का. रंजन यादव का सम्मान करते हुए लोजपा ने उन्हें एक चमचमाती कार दी थी. मक़सद यह था कि रंजन जी घूम–घूमकर लोजपा का झंडा बुलंद करेंगे. रंजन जी ने ऐसा किया भी, लेकिन जब वह तीर चलाने गए तो लोजपा की कार भी लेते चले गए. वह कार लोजपा कार्यालय लौट कर नहीं आई. फ़िलहाल तो इससे जदयू का नारा बुलंद किया जा रहा है.

अर्जुन की पत्नी भी चलाएंगी तीर

जदयू के सांसद अर्जुन राय की पत्नी रीना राय भी चुनावी अखाड़े में उतरेंगी. वह औराई विधानसभा क्षेत्र से अपनी क़िस्मत आज़माएंगी. अर्जुन राय के विधायक से सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में भी उनकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती थी. पत्नी को औराई विधानसभा क्षेत्र से जदयू का उम्मीदवार बनाने के लिए अर्जुन राय ने ख़ूब ज़ोर–आज़माईश की, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किसी भी सांसद एवं मंत्री के परिजनों को टिकट नहीं दिए जाने के कारण उपचुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिल सका. उनकी पत्नी को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के कारण उपचुनाव में औराई की जनता ने जदयू के नए उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया. उपचुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिर से परिवारवाद का भूत उतर गया और इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में अर्जुन राय की पत्नी के साथ अनेक सांसद एवं मंत्री की पत्नी को उम्मीदवार बनाने पर विचार किया जा रहा है. अर्जुन राय की पत्नी भी दिल्ली छोड़कर औराई की जनता के साथ रूबरू हो रही हैं.

अनंत सिंह की राह में कांटे

ग्रामीण इलाक़ों में एक कहावत है चौथ–चतुर्दशी, नवमी–रिक्ता, बाप घर भी न जाना प्रीता. यानी इन तिथियों को कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ होता है. बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ़ छोटे सरकार को भी इसका अहसास होने लगा है. अगस्त में चतुर्दशी के दिन विधायक जी ने मोकामा का दौरा किया तथा दो करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया. चुनावी चौखट पर खड़े अनंत सिंह ने शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की नाराज़गी दूर करने के लिए कई योजनाओं की आधारशिला रखी. मोलदियार टोला में विधायक ने सामुदायिक विवाह भवन की आधारशिला रखी. बीस लाख रुपये की लागत से निर्माण प्रस्तावित था, जिसकी राशि सांसद ललन सिंह की क्षेत्रीय सांसद विकास निधि से प्राप्त हुई थी. पेंच यहीं पर फंसा. जिस स्थान पर ललन सिंह की सांसद निधि से सामुदायिक विवाह भवन का निर्माण होना है, वहां पहले से ही एक सामुदायिक भवन था, जिसका निर्माण तत्कालीन सांसद नीतीश कुमार की सांसद निधि से हुआ था. नीतीश द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवन को तोड़ दिया गया, ताकि ललन सिंह की निधि से विमुक्त राशि से भवन का निर्माण हो सके. राम भक्त हनुमान की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जयकारा लगाने वाले एमएलसी नीरज कुमार ने राजनीतिक दांव खेलते हुए पटना के डीएम और डीडीसी को पत्र लिखकर सामुदायिक भवन तोड़े जाने की जांच और कार्रवाई की मांग कर डाली. एमएलसी नीरज कुमार ने इसे यह कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद ललन सिंह अब उनके नाम को मिटाना चाहते हैं. हालांकि मोकामा में नीरज के रवैये से लोग हतप्रभ हैं. क्योंकि जिस जगह पर सामुदायिक भवन बनेगा वह नीरज का मोहल्ला है. अनंत सिंह चुटकी लेते हुए कहते हैं कि नीरज राजनेता हैं, लेकिन इतने बड़े नेता हैं, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी. अनंत सिंह ने मतदाताओं का समर्थन पाने का दांव खेला, लेकिन नीरज ने शायद नाम के विपरीत तय कर लिया है कि अनंत की राह में वह कमल नहीं बल्कि कांटे बिछाएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

लॉटरी से कंगाल हो रहे

Future
2 Lakhs
BB 635794

इन दिनों पूर्णिया में अवैध लॉटरी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है. इस खेल में लोग मालामाल तो नहीं, लेकिन कंगाल ज़रूर हो रहे हैं. रातोंरात करोड़पति बनने की चाह में लोग खाकपति बनते जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी पारिवारिक ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही है.

नीरज कुमार

सुबह होते ही पूर्णिया एवं कोसी इलाक़े में अवैध लॉटरी टिकट की बिक्री शुरू हो जाती है. दलालों के माध्यम से इन टिकटों को सुदूर ग्रामीण इलाक़ों में भी पहुंचा दिया जाता है और इन टिकटों के मोहजाल में फंसकर भोले–भाले ग्रामीण अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं. यह सिर्फ़ एक दिन की बात नहीं है बल्कि ऐसा रोज़ होता है, जिससे इस इलाक़े के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होकर कंगाल हो रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब एवं देश के पूर्वोत्तर राज्यों को मिलाकर कुल 12 राज्यों में लॉटरी टिकट अप्रतिबंधित है, जबकि इन राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लॉटरी के टिकट पर प्रतिबंध है. बिहार में लॉटरी के टिकट पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. सूत्रों के मुताबिक़ प. बंगाल अवैध लॉटरी के कारोबार का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां लॉटरी के माफ़िया सैंटियागो मार्टिन की मज़बूत पकड़ है. मार्टिन लॉटरी सिंडिकेट का बॉस है. उनका कारोबार बियानी ट्रेडर्स के नाम से चलता है. इसके साथ ही मार्टिन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड अलाइड इंडस्ट्रीज के सदस्य भी हैं. यह संस्था फिक्की से संबंधित है. बियानी ट्रेडर्स के द्वारा बंगलुरू, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली से टिकट छपवाकर ज़्यादातर टिकट उन राज्यों में भेज दिए जाते हैं, जहां यह धंधा प्रतिबंधित है. वहीं इसका छोटा हिस्सा अप्रतिबंधित राज्यों को भेजा जाता है. इन टिकटों के साथ जाली टिकट भी काफी संख्या में छापे जाते हैं. इसके चलते कभी–कभी ऐसा होता है कि एक ही टिकट और नंबर के दो दावेदार ईनाम पर अपना हक़ जताते हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल का मार्टिन रोज़ाना करोड़ों रुपये का टिकट बेचता है. उसके पास सिक्किम की 28, अरुणाचल प्रदेश की 6 एवं तमिलनाडु की 17 लॉटरी एजेंसियां हैं, जबकि हाल ही में भूटान ने अपनी बंपर ड्रा वाले टिकटों की एजेंसी उन्हें दी है.

भारत में लॉटरी नियम के अनुसार बिना बिके टिकटों पर ईनाम निकालना अवैध है. ड्रॉ निकालने के पहले एजेंटों को ये टिकट जमा करने अनिवार्य होते हैं, लेकिन जो टिकट नहीं बिकते हैं, वह कभी वापस नहीं होते और ईनाम अक्सर उन्हीं टिकटों पर ही फंसता है. जाली टिकट के मामले में पता चलता है कि ईनाम कोई और ले गया. हाल ही में पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री असीम दास गुप्ता ने राज्य कैबिनेट को बताया कि कैसे मार्टिन के रैकट की वजह से पश्चिम बंगाल सरकार को चूना लग रहा है. इस अवैध करोबार का खेल पूर्णिया पुलिस को भी समझ में आने लगा है. कुछ माह पूर्व खुश्कीबाग स्थित लॉटरी के एक अड्डे पर गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा गया था, जिसमें भारी संख्या में लॉटरी की बरामदगी एवं एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, वहीं तीन अन्य लॉटरी संचालक अपने–अपने अड्डे बंद करके फरार हो गए.

लेकिन चौंकाने वाला तथ्य उस समय सामने आया जब विगत दिनों पूर्णिया के आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जीरो माईल गुलाबबाग़ से गोरखपुर जा रहे करोड़ों रुपये का लॉटरी टिकट बरामद किया, जबकि टिकट की दावेदारी को लेकर कोई भी सामने नहीं आया. लॉटरी टिकट के एक छोटे से एजेंट ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पूर्णिया में टिकट मुख्यत: प. बंगाल के नज़दीकी शहर सिलीगुड़ी, रायगंज व इस्लामपुर से आता है और इसी रास्ते से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पहुंचता है. सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी वैध, अवैध सभी प्रकार की लॉटरी बिक्री का प्रमुख बाज़ार बनकर उभर रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिलीगुड़ी ही एक ऐसा शहर है, जो सिक्किम, भूटान, असम, नागालैंड और मणिपुर समेत अन्य राज्यों का मिलन बिंदु है एवं प्रमुख व्यवसायिक केंद्र भी है. इसलिए यह क्षेत्र लॉटरी की अवैध बिक्री केंद्र के रूप में सामने आ रहा है. भारत में सालाना लॉटरी का औसतन कारोबार लगभग 14,000 करोड़ रुपये तक का है, जिसमें 60 प्रतिशत हिस्सा यानी 7,800 करोड़ रुपये अवैध टिकटों की बिक्री से आता है. हालांकि कुछ भाजपा सांसदों ने संसद में विधेयक लाकर पूरे भारत में लॉटरी टिकट पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, लेकिन जब तक पूरे भारत में ऐसा हो नहीं जाता, तब तक न जाने कितने ग़रीबों का घर उजड़ता रहेगा, करोड़पति बनने की चाह में कितने ही ग़रीबों की जानें परिवारिक कलह में जाती रहेंगी और मार्टिन जैसे माफियाओं का जीवन संवरता रहेगा.

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ एक का शेष

नेताओं के हथियार से नक्सली कर रहे प्रहार

लगाने वाले नक्सली संगठनों को शायद इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होगा कि जिस मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर उनके द्वारा बंद का आयोजन किया जा रहा है, उससे हज़ारों–लाखों लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है. नपुंसक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को कारण मानकर अपने आधार के विस्तार में लगे नक्सली संगठनों को यदि मानवाधिकार की चिंता होती तो शायद हथियार के बजाय बातचीत के प्रस्ताव को उनके द्वारा ज़रूर स्वीकारा जाता. 17 जनवरी को माओवादी नेता सुबोध की गिरफ़्तारी के विरोध में 48 घंटे का बंद बुलाया और संपूर्ण बिहार में नक्सलियों ने बंद का फरमान जारी किया. जनवरी के अंतिम सप्ताह में 25 तारीख को नक्सलियों ने तीसरी बार बंद का आयोजन किया और इस बार कारण बना उनके प्रभाव वाले इलाक़ों में पुलिस बलों का कॉम्बिंग ऑपरेशन यानी एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मर्जी लोगों पर जबरन थोपी. सात फरवरी को बिहार के मगध जोन में नक्सलियों का बंद रहा और उसके ठीक दो दिन बाद यानी नौ फरवरी को उत्तर बिहार क्षेत्र में 48 घंटे का बंद बुलाया गया. इन दोनों बंद कार्यक्रमों का कारण स्पष्ट नहीं हो सका. 17 फरवरी को बिहार में नक्सलियों ने तीन दिनों का बंद बुलाया. जमुई में पुलिस मुठभेड़ में नक्सलियों की मौत के विरोध में यह बंद आयोजित किया गया था. लालमोहन टुड्डू की हत्या के विरोध में बिहार–झारखंड में 27 फरवरी को बंद बुलाया गया. इससे पुलिस–प्रशासन दिन भर हलकान रहा. माओवादी सत्यानंद और प्रमोद की गिरफ़्तारी के विरोध में आठ मार्च को बिहार–झारखंड में बंद रखा गया. 22 मार्च को पूरे बिहार में 48 घंटे का बंद बुलाया गया. यह बंद ऑपरेशन ग्रीन हंट के विरोध में बुलाया गया था. 24 मार्च को माओवादी राजशेखर रेड्डी की गिरफ़्तारी के विरोध में बिहार–झारखंड में पुन: दो दिन का बंद बुलाया गया. 30 मार्च को माओवादी संगठनों ने पुलिस पर दमनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए 24 घंटे का बंद आयोजित किया. पांच अप्रैल को माओवादी पीटर दार की गिरफ़्तारी के विरोध में 24 घंटे तक बंद रखा. चार मई को पुलिस कार्रवाई के विरोध में उत्तर बिहार में नक्सलियों ने 24 घंटे का बंद बुलाया. बंद समाप्ति के 24 घंटे गुजरे भी नहीं थे कि पुन: इसी इलाक़े में छह मई को 48 घंटे का बंद बुलाया गया. 27 मई से नक्सलियों ने ऑपरेशन ग्रीन हंट तथा अवैध खनन के विरोध में काला सप्ताह मनाया तथा सात दिनों तक बिहार के नक्सल प्रभावित इलाक़ों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला चलता रहा. 14 जून को नक्सलियों ने शंभु की गिरफ़्तारी के विरोध में 48 घंटों का बंद बुलाया. बिहार–झारखंड में नक्सलियों के ख़िलाफ़ पुलिस मुठभेड़ों के विरोध में 17 जून को दोनों राज्यों में बंद रखा गया. 25 जून को माओवादी जय पासवान की गिरफ़्तारी के विरोध में बिहार–झारखंड में एक बार फिर 48 घंटे का बंद घोषित किया. 30 जून को बिहार–झारखंड सहित पांच राज्यों में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में दो दिवसीय बंद बुलाया गया. 7–8 जुलाई को नक्सलियों ने झारखंड बंद का आयोजन किया. आंध्र प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में माओवादी नेता आजाद की मौत के विरोध में माओवादियों ने 30 जुलाई से शहीद सप्ताह मनाने का निर्णय लिया. हालांकि इस बार बंद का आयोजन नहीं किया गया. बीते छह माह में बीस से अधिक बार नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया. हर दसवें दिन बुलाए गए बंद से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. नक्सली संगठनों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपनी ताक़त का एहसास जो कराना है. और, ताक़त जब बंदूक के बल पर दिखानी हो तो आम लोगों को तो परेशान होना ही पड़ेगा.

दिव्या कुमारी
feedback@chauthiduniya.com

695 उद्योग बंद

नए की रफ्तार मंद

● दस वर्ष के दौरान 1500 उद्योगों का निबंधन.

● 220 नए उद्यम लगाने का लक्ष्य.

धनबाद कोयलांचल का नाम प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शुमार है. बीसीसीएल एवं टाटा की कोल इंडिया कंपनियों के अलावा यहां पूर्व में काफी संख्या में छोटे–बड़े उद्योग सुचारू रूप से चल रहे थे. मगर, बाद में कई बड़े उद्योग विभिन्न कारणों से बंद होते गए. झारखंड राज्य के दस वर्ष की अवधि के दौरान 1500 नए उद्योग चालू करने का निबंधन हुआ, पर 2005–2006 तक क़रीब 695 से उद्योग बंद हो गए. यह विकास के लिहाज से किसी भी शहर के लिए शुभ संकेत नहीं है. फिलहाल कितने उद्योग चालू एवं कितने बंद हैं, इसकी जानकारी विभाग को भी नहीं है. उद्योग विभाग के महाप्रबंधक सी बारला के अनुसार अलग राज्य बनने के बाद हर वर्ष औसतन 200 से भी अधिक छोटे–बड़े उद्योगों का निबंधन किया गया. प्रत्येक पांच वर्ष पर मुख्यालय की ओर से सर्वे किया जाता है.

फिलहाल कितने उद्योग चल रहे हैं और कितने बंद हुए हैं, इसकी रिपोर्ट मुख्यालय से अभी नहीं मिली है. वर्ष 2007 से पहले तक विभाग को नए उद्योग को लगाने का लक्ष्य मिलता था, जो बाद में बंद हो गया. हालांकि, इस वर्ष 220 नए उद्योग लगाने का लक्ष्य मिला है. पूर्व में जो उद्योग बंद हो गए, उसके कई कारण थे. क़र्ज समय पर वापस नहीं होना और माल के लिए बाज़ार उपलब्ध नहीं होना प्रमुख कारण हैं. धनबाद में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से मिले लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है, ताकि अधिक संख्या में उद्योग धंधों को शुरू किया जा सके. धनबाद ज़िले में नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विकास को इस वर्ष लक्ष्य दिया गया है. हालांकि विभाग का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे मार्च तक पूरा करना है, पर उद्योग विभाग अगस्त में ही लक्ष्य के क़रीब पहुंच चुका है.

दरअसल उद्योग विभाग को 220 नए उद्यम को लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी तक उद्योग विभाग की ओर से 210 नए उद्यमों का निबंधन किया जा चुका है. इसके तहत उद्यम लगाने वाले लोगों को न्यूनतम 25 हज़ार तथा अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा. इन नए उद्यमों में टाइल्स, राइस मील, साइबर कैफे सहित अन्य कई तरह के उद्यम लगाए जाएंगे. विभाग के महाप्रबंधक सी बारला ने बताया कि 220 में से 210 नए उद्यमों का निबंधन कराने वाले लोगों की प्रक्रिया विभाग की ओर से पूरी की जा चुकी है. अब इन्हें ऋण के लिए बैंकों में भेजने का काम शुरू कर दिया गया है.

राजीव रंजन
feedback@chauthiduniya.com

उद्योगों का निबंधन

वर्ष		उद्योगों की संख्या
2001 – 2001	–	204
2002 – 2003	–	204
2003 – 2004	–	203
2004 – 2005	–	204
2005 – 2006	–	203
2006 – 2007	–	200
2007 – 2008	–	201
2008 – 2009	–	200
2009 – 2010	–	210

उद्योग शुरू करने के लिए निबंधन कराया गया.

परिसीमन ने मुश्किलें बढ़ाईं

प्रवीण गोविंद

बिहार विधानसभा चुनाव 2010 का बिगुल फुंकने के साथ ही सियासी उठापटक तेज़ हो गई है. एक ओर जहां सुपौल ज़िले के सभी विधायक पुन: अपने माथे पर ताज देखना चाहते हैं, वहीं नए प्रत्याशी भी अब लंगोट कसने लगे हैं. वर्तमान में ज़िले के पांचों विधानसभा सीटों पर जदयू का क़ब्ज़ा है. हालांकि भाजपा भी एक सीट पर दावा ठोक रही है. इधर नए परिसीमन के तहत ज़िले के दो विधानसभा क्षेत्र राघोपुर एवं किशनपुर अब अस्तित्व में नहीं रहे. राघोपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व नीरज कुमार सिंह बबलू एवं किशनपुर का अनिरुद्ध प्रसाद यादव कर रहे हैं. निश्चित तौर पर बबलू के साथ ही अनिरुद्ध के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं.

यहां बता दें कि नए परिसीमन के तहत निर्मली एवं पीपरा दो नए क्षेत्र जुड़े हैं. निर्मली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मली, राघोपुर और सरायगढ़ प्रखंड को शामिल किया गया है. इस नए विधानसभा में नए समीकरण के आसार हैं.

यहां यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी–खासी है, जबकि सवर्णों के साथ ही वैश्य, पिछड़ा, कोइरी–कुर्मी के अलावा मुसलमानों की संख्या भी काफी है. पिपरा विधानसभा क्षेत्र में किशनपुर और पिपरा प्रखंड के अलावा सुपौल प्रखंड के वीणा, लाउढ, करिहो, अमहा, हरदी पूरब एवं पश्चिम पंचायत को शामिल किया गया है. इस नए विधानसभा क्षेत्र को कोइरी–कुर्मी बहुल क्षेत्र माना जा रहा है. इससे पूर्व भी यह क्षेत्र त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था. यहां अक्सर यादव एवं केवट उम्मीदवार के बीच ही टक्कर होती थी. सुपौल प्रखंड के जो पंचायत इस नए विधानसभा में जोड़े गए हैं, उससे भी उनकी बहुलता बढ़ी है. नए परिसीमन के बाद सुपौल विधानसभा की भी तस्वीर बदलने के आसार हैं. मरौना प्रखंड के जुड़ जाने से यादव मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. छातापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छातापुर एवं बसंतपुर को लिया गया है, जिससे वहां सवर्णों की स्थिति बदली है. नए परिसीमन से सवर्णों के साथ ही मुसलमानों, कोइरी–कुर्मी और वैश्य मतदाताओं की संख्या अच्छी–खासी है. पूर्व में यह क्षेत्र सुरक्षित था. राघोपुर के विधायक नीरज बबलू छातापुर से ही किस्मत आजमाना चाहते हैं. कांग्रेस यहां किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को ही टिकट देगी. किसी भी दल से अगर प्रतिष्ठत सवर्ण नेता को टिकट दिया गया तो बबलू की परेशानी बढ़ सकती है. वैसे राघोपुर का बसंतपुर और वीरपुर नगर पंचायत अब इसी क्षेत्र का हिस्सा है. यही बबलू के लिए प्लस प्वाइंट है.

इस नए विधानसभा क्षेत्र को कोइरी-कुर्मी बहुल क्षेत्र माना जा रहा है. इससे पूर्व भी यह क्षेत्र त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था. यहां अक्सर यादव एवं केवट उम्मीदवार के बीच ही टक्कर होती थी. सुपौल प्रखंड के जो पंचायत इस नए विधानसभा में जोड़े गए हैं, उससे भी उनकी बहुलता बढ़ी है.

वंशमणि सिंह

अनोखा देवी

अजय कुमार सिंह

नीरज कुमार सिंह बबलू

भूपेंद्र यादव

प्रणय कुमार सिंह

बहरहाल क्या होगा, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा, लेकिन विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाने से किशनपुर के विधायक का पांव उखड़ चुका है. राघोपुर के विधायक सुरक्षित जगह की तलाश में हैं. छातापुर का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व मोहन भारती की भी परेशानी बढ़ी है. यह सामान्य सीट हो गई है. भारती त्रिवेणीगंज सुरक्षित से टिकट के प्रबल दावेदार हैं. पिपरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक दिलेश्वर कामत चुनाव लड़ सकते हैं. सुपौल से जल संसाधन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का भी चुनाव लड़ना तकरीबन तय है. वह वर्ष 1990 से लगातार यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

वैसे राजद के दमदार नेता सह प्रदेश महासचिव भूपेंद्र प्रसाद यादव उर्फ बीपी यादव की भी यहां से मजबूत दावेदारी है. वह क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर रहे हैं. बीपी यादव टिकट मिलने और चुनाव जीतने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं. यहां से राजद नेता राजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार यादव सहित कई अन्य दावेदार भी हैं. कांग्रेस पार्टी से जिप उपाध्यक्ष प्रणय कुमार सिंह के नाम की चर्चा जोर–शोर से है. सिंह के पास युवाओं की फौज है. प्रणय के समर्थकों का मानना है कि वही यहां से कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं. इसी पार्टी से ज़िला अध्यक्ष वंशमणि सिंह भी टिकट की दौड़ में हैं. उनके समर्थकों को भी विश्वास है कि पार्टी से टिकट उन्हें ही मिलेगा. पूर्व विधायक प्रमोद कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, आनंद मल्लिक, अनोखा देवी आदि के नामों की भी चर्चा है. एक ओर जहां अजय की अपनी अलग पहचान है, तो वहीं अनोखा भी कम नहीं हैं. कुल मिलाकर विजेंद्र बमबम हैं तो बीपी, प्रणय, अनोखा, अजय, वंशमणि आदि टिकट की कतार में खड़े नेतागण भी कम नहीं हैं.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

रिंकू ने सोनी टीवी के साथ दुर्गेश नंदनी और कलर्स के साथ मोहे रंग दे धारावाहिक किए थे.

किसान की बेहाली

कौड़ियों के दाम चाय पत्ती

> केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हितों की बात करती हैं, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर दावे करती हैं, लेकिन सिर्फ़ दावों और बातों से किसानों का भला नहीं होने वाला. इसके लिए ज़रूरी है इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाना, नहीं तो उनकी स्थिति जस की तस बनी रहेगी.

नीरज कुमार

किशनगंज के चाय उत्पादक किसानों के मामले में सरकार की नीति हवा हवाई साबित हो रही है. आज किशनगंज के चाय उत्पादक किसान बिहार सरकार के उदासीन रवैये के कारण परेशान हैं. वे चाय पत्ती को पश्चिम बंगाल के बिचौलियों के हाथों औने–पौने दामों पर बेचने को विवश हैं. इस संबंध में किशनगंज पोठिया प्रखंड के चाय उत्पादक गयालाल सिंह एवं कुंजबिहारी सिंह का कहना है कि टी प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में हरी चाय पत्ती को बिचौलियों के हाथों कौड़ियों के भाव में बेचना पड़ता है. सरकार की वित्तीय मदद के बिना ही हमलोगों ने चाय के पौधों को लगाया, जिससे कभी–कभी मौसम की बेरुख़ी और प्राकृतिक विपदा के कारण भारी नुक़सान भी उठाना पड़ जाता है. इससे बाकी बची जमा पूंजी भी ख़त्म हो जाती है. वहीं बरसात के मौसम में बंगाल के तीस्ता बैराज से अचानक पानी छोड़ने से चाय के खेत पानी में डूब जाते हैं और चाय के पौधे गल जाते हैं. व्यवसायिक फ़सल होते हुए भी सरकार का ध्यान चाय की खेती के प्रति उदासीन ही रहा है.

ग़ौरतलब है कि बिहार का किशनगंज चाय का उत्पादन करने वाला पहला ज़िला है. यहां चाय की खेती करने वाले किसानों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है. मालूम हो कि किशनगंज ज़िला बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले से सटा हुआ है, जिससे यहां की भौगोलिक संरचना, मिट्टी, जलवायु और वातावरण आदि दार्जिलिंग से मेल खाती है. किशनगंज में जब किसी ने चाय की खेती के बारे में सोचा भी नहीं था, उस वक़्त डॉ. एम.एम.फजाईल ने अपने बूते किशनगंज में चाय की खेती की बात सोची. वह इस दिशा में 1982 से ही प्रयासरत थे. इस संबंध में 18 नवंबर 1992 को टी बोर्ड कोलकता को चाय की खेती के लिए उन्होंने आवेदन दिया. भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तत्कालीन अवर सचिव बीबी महतानी ने ए.टी. 17012/1/93 के आदेश में अध्यक्ष टी बोर्ड कोलकता को किशनगंज ज़िले में चाय बागान की स्थापना हेतु उचित कार्रवाई करने का निर्देश भेजा. वर्तमान में किशनगंज में कई प्रमुख हस्तियों के साथ व्यवसायी एवं अनेक छोटे–बड़े उत्पादक खाद्य फ़सलों की खेती से विमुख होकर चाय की खेती में लगे हुए हैं.

किशनगंज के थोक कपड़ा व्यवसायी राजकरण दतरी के मन में भी यह विचार आया कि बिहार भी चाय उत्पादक राज्य की श्रेणी में शामिल होना चाहिए. इसके लिए वह किशनगंज के भौगोलिक वातावरण को देखते हुए चाय की खेती से जुड़ गए और 1993 के अंत में किशनगंज ज़िला अंतर्गत पोठिया प्रखंड के कच्चाखोआ ग्राम में चाय का पौधा लगाकर चाय बागान की नींव डाली. दतरी को जहां तत्कालीन ज़िलापदाधिकारी राधेश्याम बिहारी सिंह ने चाय की खेती के लिए कोलंबस की उपाधि दी, वहीं ज़िलाधिकारी बी प्रधान ने किशनगंज को चाय की खेती के राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का सारा श्रेय राजकरण दतरी को दिया. वहीं इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन नई दिल्ली ने दतरी को भारतीय उद्योग रत्न अवॉर्ड से नवाजा, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस सोसाइटी, नई दिल्ली ने दतरी को नेशनल इंडस्ट्रीयल एक्सीलेंस अवॉर्ड से नवाजा.

तत्कालीन उद्योग निदेशक आर के राव एवं निदेशालय के पदाधिकारी आर पी सिंह के प्रयास से चाय प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए राज्य सरकार की मदद से एक पैकेज स्वीकृत कराया गया. इस पैकेज से राजकरण दतरी ने ज़िले में दो चाय प्रसंस्करण यूनिट मेसर्स ऐपेक्स टी एक्सपोर्ट प्रा. लि. एवं मेसर्स दतरी टी स्टेट स्थापित किए. इसी के परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री का बयान आया कि किशनगंज को टी सिटी बनाया जाएगा एवं राजाबाड़ी चाय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी. आज किशनगंज में लगभग 27,000 एकड़ में चाय की खेती हो रही है, लेकिन प्रसंस्करण इकाई के अभाव में किसान चाय पत्ती को पश्चिम बंगाल के बिचौलियों के हाथों औने–पौने दामों में बेचने पर विवश हैं.

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पोठिया प्रखंड के कच्चाकली में सरकारी टी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना का निर्णय लिया. इसके तहत वर्ष 2006 में सरकारी टी प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण हुआ, लेकिन इस यूनिट के निर्माण में तत्कालीन ज़िला पदाधिकारी बी सेंथिल कुमार के समय में लगभग 12 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें उनकी संलिप्तता जगज़ाहिर हुई. आज भी यह प्रोसेसिंग प्लांट बंद है और इसके उपकरण ज़ंग लगने से ख़राब हो चुके हैं. डॉ. फजाईल का कहना है कि किशनगंज में स्थापित अनेक चाय बागान विवादित हैं, जो भूदान की ज़मीन को स्थानीय एवं पड़ोसी राज्य बंगाल के व्यवसायियों द्वारा बंदोबस्ती करके लगाए गए हैं. यह भूमि आदिवासियों के क़ब्ज़े में थी. इस भूमि पर टी बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाकर स्थानीय हल्का कर्मचारी एवं प्रशासन ने मिलकर बागान लगाने का काम किया. टी बोर्ड के नियम के कॉलम 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि ज़मीन पट्टे की नहीं होनी चाहिए और कॉलम 16 के अनुसार ज़िलाधिकारी से नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट(एनओसी) मिलना चाहिए. इन सबके बावजूद वर्तमान में किशनगंज को टी सिटी बनाने का सपना अधूरा नज़र आ रहा है. न जाने वह दिन कब आएगा जब किशनगंज के चाय उत्पादक किसान मानचित्र पर छा जाएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

रिंकू की धमाकेदार एंट्री

भोजपुरी फिल्मों में ज़्यादातर तारिकाएं करियर बनाने के दौरान ही अंगप्रदर्शन, ग्लैमरस और बोल्ड किरदारों के ज़रिए सुर्ख़ियां बटोरती हैं. कुछ फिल्मों तक तो वह इस छवि को कैश करती हैं, लेकिन आख़िर में वही टिकता है, जिसमें सेक्सी लुक, ग्लैमर के साथ–साथ अभिनय प्रतिभा भी होती है. रिंकू घोष को भी ऐसी ही अभिनेत्रियों की फ़ेहरिस्त में शुमार किया जाता है. उन्होंने एक्सपोजर से ज़्यादा अपने गंभीर किरदारों से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है. शुरुआत में उनका सितारा बुलंदी पर था, लेकिन अचानक रिंकू भोजपुरिया पर्दे से ग़ायब सी हो गईं. अफ़वाहें कई उड़ीं. किसी ने कहा कि उन्हें हिंदी की कुछ बड़ी फिल्मों के ऑफर हाथ लगे हैं, जिसकी वजह से वह अब भोजपुरी फिल्मों को अलविदा कह देंगी. पर असलियत कुछ और थी. इसका ख़ुलासा ख़ुद रिंकू करती हैं. उनके मुताबिक़ टीवी सीरियल्स से उन्हें कुछ बेहतरीन किरदार करने का मौक़ा मिला था, जिन्हें वह ठुकरा नहीं पाईं. ग़ौरतलब है रिंकू ने उस दौरान सोनी टीवी के साथ दुर्गेश नंदनी और कलर्स के साथ मोहे रंग दे धारावाहिक किए थे. दोनों ही सीरियल्स में उनकी ज़ोरदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें तारीफ़ें मिली थीं, लेकिन जैसे ही दोनों सीरियल ऑफ एयर हुए, रिंकू ने एक बार फिर से भोजपुरी पर्दे की ओर अपना रुख़ किया है. इस बार रिंकू की वापसी कई मायनों में सफल और ज़ोरदार रही. एक ओर जहां उन्हें फिल्म विदाई के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने दिनेश लाल यादव के साथ *सात सहेलियां*, रवि किशन के साथ *बलिदान* और पवन सिंह के साथ *गठबंधन प्यार* के जैसे बड़े प्रोजेक्ट साइन किए. अब तो वह भोजपुरी फिल्मों में पूरी तरह रम गई हैं.

> रिंकू एक्सपोजर से ज़्यादा अपने गंभीर किरदारों से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई है. शुरुआत में उनका सितारा बुलंदी पर था, लेकिन अचानक रिंकू भोजपुरिया पर्दे से ग़ायब सी हो गईं. अफ़वाहें कई उड़ीं. किसी ने कहा कि उन्हें हिंदी की कुछ बड़ी फिल्मों के ऑफर हाथ लगे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

कवर्धावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

स्वतत्रंता दिवस के पावन पर्व पर
हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन

चंद्रशेखर साहू
कृषि मंत्री छ.ग. शासन

कृषि विभाग, कवर्धा

स्वतत्रंता दिवस के पावन पर्व पर
हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन

बृजमोहन अग्रवाल
लोनिवि मंत्री छ.ग. शासन

लोक निर्माण विभाग, कवर्धा

स्वतत्रंता दिवस के पावन पर्व पर
हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन

रामविचार नेताम
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
छ.ग. शासन

समस्त ठेकेदार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला कबीरधाम

स्वतत्रंता दिवस के पावन पर्व पर
हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन

विक्रम उसेण्डी
वन मंत्री छ.ग. शासन

वन विभाग, जिला कबीरधाम

स्वतत्रंता दिवस के पावन पर्व पर
हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन

हेमचंद यादव
जल संसाधन विभाग मंत्री
छ.ग. शासन

जल संसाधन विभाग, जिला कबीरधाम

स्वतत्रंता दिवस के पावन पर्व पर
हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन

रामविचार नेताम
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
छ.ग. शासन

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला कबीरधाम

स्वतत्रंता दिवस के पावन पर्व पर
हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन

केदार कश्यप
आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री
छ.ग. शासन

आदिम जाति कल्याण विभाग, कवर्धा

स्वतत्रंता दिवस के पावन पर्व पर
हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन

लता उसेण्डी
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्री छ.ग. शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग, कवर्धा

स्वतत्रंता दिवस के पावन पर्व पर *हार्दिक शुभकामनाएं*

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला कबीरधाम, कवर्धा

स्वतत्रंता दिवस के पावन पर्व पर *हार्दिक शुभकामनाएं*

सरपंच - श्रीमती सुनीता चंद्रवंशी
सरपंच प्रतिनिधी - ओखराज चंद्रवंशी
सचिव - रमेश शर्मा
(अध्यक्ष - सचिव संघ)

ग्राम पंचायत डेगड़ा, जनपद पंचायत, कवर्धा

संकलन कर्ता

जे. चंद्रवंशी
ब्यरो कार्यालय
कबीरधाम कवर्धा

चौथी दुनिया

विशेषांक
छत्तीसगढ़

www.chauthiduniya.com

शिक्षण संस्थानों का फ़र्ज़ीवाड़ा

NATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT
nim
NATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT
Just Click Cyber Cafe
SAVE COST TIME & SPACE

छत्तीसगढ़ में इस समय फ़र्ज़ी शिक्षण संस्थानों और फ़र्ज़ी डिग्रियों का काला कारोबार ज़ोरों पर है. स्कूल, कॉलेज हो या व्यवसायिक शिक्षण संस्थान, हर जगह मार्कशीट-डिग्री बेची जा रही हैं. मजबूरी कहें या फिर सफलता का शॉर्टकट, छात्र भी इस धंधे में शरीक होकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

शिवा कुमार

हाल में जारी प्रदेशों की विकास दर में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है. यह रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री एवं राज्य के विभिन्न सरकारी महकमे इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और अपनी बात में यह जोड़ने से नहीं चूकते कि आने वाले दिनों में इस तरह के विकास कार्यों की और भी कई योजनाएं हैं. जबकि राज्य में शिक्षा की बदहाली का आलम यह है कि नई पीढ़ी का भविष्य गर्त में जाता दिखाई दे रहा है. स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर किसी तरह का इंस्टीट्यूट हर जगह फ़र्ज़ी डिग्रियां बेची जा रही हैं. पूरे प्रदेश में व्यवसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षाओं में मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारियां जारी हैं. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें बग़ैर परीक्षा छात्रों को पास करा दिया गया. ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं, पर अब तक सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे संस्थानों के ख़िलाफ़ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए.

राज्य के मेडिकल कॉलेज के दाखिले में एक बड़ा गोलमाल सामने आया है. व्यापम (व्यवसायिक परीक्षा मंडल) द्वारा एमबीबीएस के लिए चुने गए छह परीक्षार्थियों के दस्तावेज फ़र्ज़ी पाए गए हैं. सभी दस्तावेजों में उनका पता राजधानी रायपुर अंतर्गत कबीर नगर बताया गया है. इनमें से चार का पत्र व्यवहार का पता ग्राम तेंदुआ है. जांच के दौरान ग्राम तेंदुआ के पते पर उक्त चारों परीक्षार्थियों के नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला. गांव का पोस्टमैन उक्त चारों परीक्षार्थियों के नाम के पत्र रायपुर की एक कंसल्टेंसी एजेंसी को देता था. व्यापम में जमा दस्तावेजों में उक्त सभी परीक्षार्थियों के पतों की लिखावट भी एक है. इससे एक बात तो साफ़ तौर पर ज़ाहिर है कि सभी फॉर्म किसी एक ही व्यक्ति ने भरे हैं. दो छात्रों के पते बिल्कुल एक जैसे हैं और दूसरों के मकान भी उनके आसपास हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन पतों पर कोई नहीं रहता. इन मकानों पर ताले लगे हुए हैं. फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर फ़र्ज़ी हैं. एक-दो नंबरों पर रिंग जाती है, पर कॉल कोई रिसीव नहीं करता. इन छह परीक्षार्थियों में से चार को एमबीबीएस में दाखिला मिल चुका है. इस गड़बड़झाले की जानकारी व्यापम और चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों को दी जा चुकी है. इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.

बोर्ड परीक्षाओं में भी बग़ैर परीक्षा अंकपत्र देने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं. पिछले दिनों बिलासपुर ज़िले के कुछ गांवों के छात्र ऐसी धांधली के शिकार हुए. हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद एवं संस्कारमुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नामक संस्थाओं ने घर बैठे अंकपत्र दिलाने के नाम पर इन छात्रों से अच्छी-ख़ासी रकम वसूली. हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद ने आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में बच्चों को प्रवेश दिया. इसके बाद एक साल तक परीक्षा नहीं ली गई. शिकायत पर बच्चों से कहा गया कि बग़ैर परीक्षा उन्हें मार्कशीट मिल जाएगी. इसके बाद से संस्था के संचालक नदारद हैं. संस्कारमुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान स्वयं को दिल्ली बोर्ड से मान्यता प्राप्त बताता था. संस्था के पत्रक में मान्यता देने वाले बोर्ड का नाम भी कहीं नहीं है. संस्था के अनुसार वह केंद्र एवं राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्डों से परीक्षा की व्यवस्था करती है. संस्थान ने पिछले दिनों एक कमरे में नकल सामग्रियों के साथ परीक्षा कराई. लापरवाही की हद तब हो गई, जब संस्था दसवीं की परीक्षा में छह विषयों में से संस्कृत की परीक्षा लेना ही भूल गई. इतना ही नहीं, प्रवेश पत्र में गणित की परीक्षा के लिए तय की गई तारीख को रविवार था. माध्यमिक शिक्षा मंडल से जब इन संस्थाओं की शिकायत की गई तो अधिकारियों का जवाब था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद के संबंध में माशिमं के अधिकारियों ने साफ़ कहा कि शासन से उसे किसी भी तरह की मान्यता प्राप्त नहीं है. संस्था की ओर से ली जाने वाली किसी भी तरह की परीक्षा का माध्यमिक शिक्षा मंडल से कोई लेना-देना नहीं है. राज्य सरकार ने केवल चार बोर्डों को ही मान्यता दी है. इनमें माध्यमिक शिक्षा मंडल, उर्दू बोर्ड, राज्य ओपन स्कूल एवं संस्कृत बोर्ड शामिल हैं. इसके अलावा किसी भी बोर्ड को शासन की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं है. ऐसे में यदि कोई संस्था छात्रों को प्रवेश दे रही है, शुल्क ले रही है और परीक्षा आयोजित कर रही है तो वह फ़र्ज़ी है. इसी तरह बिलासपुर में पीएमटी की परीक्षा के दौरान रायपुर से आई क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया था. परीक्षा फॉर्म पर नाम किसी और का था और फोटो किसी और की. यह कार्रवाई भी तब संभव हुई, जब महासमुंद में मेडिकल परीक्षा के दौरान पुलिस ने मुन्ना भाई गिरोह का भंडाफोड़ किया था. इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे बिलासपुर में होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले फ़र्ज़ी परीक्षार्थियों के नाम सामने आए थे.

इन सारे मामलों के अलावा पिछले दिनों एक इंस्टीट्यूट के फ़र्ज़ीवाड़े का पर्दाफ़ाश हुआ. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नामक यह अंतरराज्यीय संस्थान 30 से लेकर 50 हज़ार रुपये में एमबीए, एमई और एमसीए की डिग्रियां बांट रहा था. नौकरी के लिए अपना प्रोफाइल बेहतर बनाने के लिए युवा इस संस्थान से मोलभाव करके सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे. रायपुर और बिलासपुर में इस संस्थान से कई लोगों ने फ़र्ज़ी सर्टीफिकेट हासिल किए. संस्थान में अपने दस्तावेज जमा करने के बाद न तो पढ़ाई करनी होती थी और न ही परीक्षा देने की ज़रूरत थी. आवेदक सिर्फ़ कोर्स के ख़ात्मे के समय या किस्तों में सर्टिफिकेट के लिए संस्थान की ओर से मांगी गई रकम का भुगतान करता था और डिग्री हासिल कर सकता था. संस्थान को एमबीए के सर्टिफिकेट देने के लिए यूजीसी, एआईसीटीई या डीईसी तक की मान्यता नहीं थी. यह बात भी सामने आई है कि संस्थान के ख़िलाफ़ गुजरात, मुंबई एवं अन्य राज्यों में ठगी का मामला दर्ज किया गया है. संस्थान के फ़र्ज़ी होने की बात सामने आने के बाद रायपुर एवं बिलासपुर के अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यालयों में ताला लगाकर ग़ायब हो गए. कर्मचारियों के फोन भी बंद हैं.

feedback@chauthiduniya.com

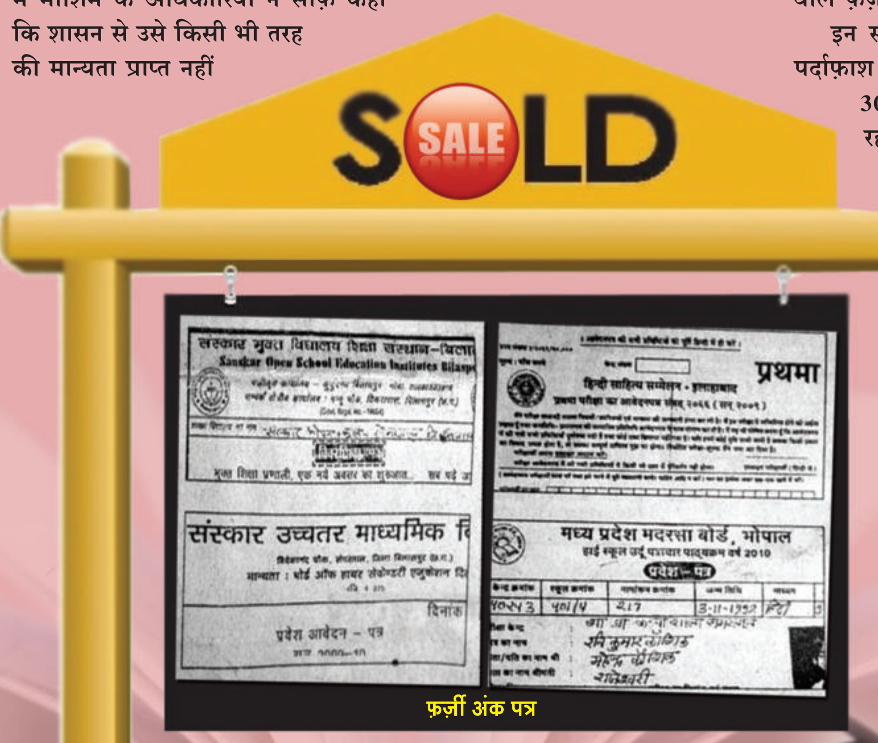

संस्कार मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान–बिला
Sanskar Open School Education Institutes Bilasp
संस्कार उच्चतर माध्यमिक वि
दिनांक
प्रवेश आवेदन – पत्र

प्रथमा
हिन्दी साहित्य सम्मेलन • इलाहाबाद
मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल
प्रवेश–पत्र

फ़र्ज़ी अंक पत्र

बोर्ड परीक्षाओं में भी बग़ैर परीक्षा अंकपत्र देने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं. पिछले दिनों बिलासपुर ज़िले के कुछ गांवों के छात्र ऐसी धांधली के शिकार हुए. हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद एवं संस्कारमुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नामक संस्थाओं ने घर बैठे अंकपत्र दिलाने के नाम पर इन छात्रों से अच्छी-ख़ासी रकम वसूली.